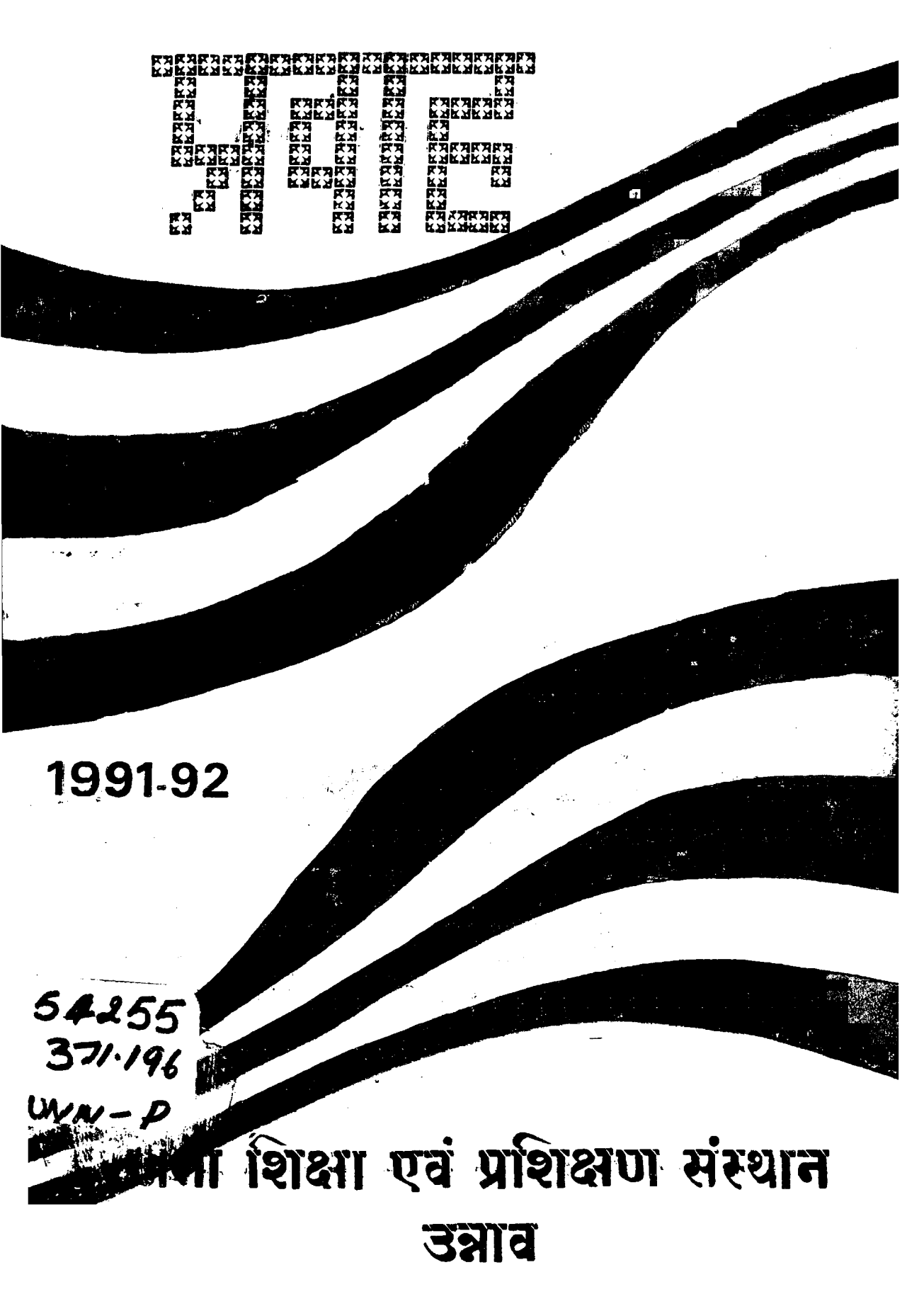

प्रवाह

1991-92

54255
371.196
UNN-P

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
उन्नाव

प्रवाह

प्रथम पुष्प

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

उन्नाव

1991-1992

— 54255
371.196
UNM — P

अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
१.	सन्देश	
२.	सरस्वती वन्दना	
३.	हमारे प्राचार्य (चित्र)	
४.	मेरा पन्ना	५–६
५.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के संरक्षक	७
६.	संस्थान की समितियाँ	८
७.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव में कार्यरत स्टाफ विवरण	९–१०
८.	प्राचार्य द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री का स्वागत एवं शिक्षामंत्री द्वारा संस्थान के नवीन भवनों का उद्घाटन (चित्र)	
९.	संस्थान के नवनिर्मित भवन (चित्र)	
१०.	संस्थान का स्टाफ (चित्र)	
११.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का संक्षिप्त परिचय	१६–१९
१२.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव का वर्ष १९९१–९२ का प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम	२०
१३.	उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण	२१–२६
१४.	प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं का पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण ..	२७–३३
१५.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का विद्यालयी प्रबन्ध एवं नियोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण	३४–३९
१६.	बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण एवं निदान	४०–४५
१७.	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का कार्यानुभव सम्बन्धी प्रशिक्षण ...	४६–५२
१८.	अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक/अनुदेशिकाओं का अभिनवीकरण प्रशिक्षण	५३–६०
१९.	पूर्ण साक्षरता अभियान के स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवश्यक विचार–बिन्दु	६१–६४
२०.	बालक भविष्य की ज्योति ... —	६५–६७
२१.	आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में 'खुला विश्व–विद्यालय'	६८–७२
२२.	आधुनिक कला के मूल आधार और उसके उद्देश्य	७३–७५

२३.	शैक्षिक-अभिकरण एवं सहयोगी विद्या	७६–७८
२४.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी	७९–८३
२५.	आधुनिक वैज्ञानिक युग में कम्प्यूटर का महत्व	८४–८९
२६.	योग शिक्षा	९०–९४
२७.	आज के परिवेश मे जनसंख्या शिक्षा	९५–९९
२८.	हिन्दी भाषा मे उच्चारण दोष के कारण एवं निदान और वर्तनी	१००–१०३
२९.	आत्मिक सुख की खोज	१०४–१०६
३०.	मानव का जीवन क्रम	१०७–१०८
३१.	पुष्पांजलि	१०८
३२.	यत्त्वैमथविन्दति	१०९–११०
३३.	क्या आप जानते हैं	१११
३४.	वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता समारोह...	११२–११४
३५.	जनपद उन्नाव की स्थापना और विकास से सम्बन्धित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर	११५
३६.	पर्यावरणीय संस्कृति एवं संरक्षण	११६–११९
३७.	शिक्षा : मानव का विकास है	१२०–१२१
३८.	विदायी समारोह–कुछ झलकियाँ	१२२–१२४
३९.	जिन्दगी और मौत की हार जीत	१२५
४०.	बी०टी०सी० दो वर्षीय प्रशिक्षण में सम्मिलित छात्राध्यापिकाओं का विवरण	१२६

हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक ६ जून १९९२

सन्देश

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों ही क्षेत्रों में विकास यात्रा के मील स्तम्भ है । शिक्षा की सारी प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि है । हर युग और हर समाज ने शिक्षक को यह मान्यता दी है । मानी हुई बात है कि समाज की इन अपेक्षाओं के प्रति शिक्षक की भी एक प्रतिबद्धता है एक ऐसी प्रतिबद्धता जो व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के दायित्वों से जुड़ी है । शिक्षक की इसी प्रतिबद्धता को "प्रशिक्षण" द्वारा सांस्कारिक स्वरूप दिवा जाता है । इसके लिए शिक्षा को कर्म के रूप में ग्रहण कर संकल्प रूप में स्थापित करना होगा ।

"प्रवाह" इसी संकल्प को शिक्षाकीय जीवन में प्रवाहित कर सके यही मेरी शुभ कामना है ।

(हरि प्रसाद पाण्डेय)
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०, लखनऊ

डा० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय

अ०शा० पत्रांक डी०ई०/

शिक्षा निदेशक, उ० प्र० (बेसिक)
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ

दिनांक : जून १० १९९२

सन्देश

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव अपनी वार्षिक पत्रिका "प्रवाह" का प्रकाशन कर रहा हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु विभिन्न क्षेत्रों यथा-सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण, शोध, पाठ्यक्रम विकास एवं पुनर्रचना, प्रकाशन, प्रचार एवं प्रसार में केन्द्रीय भूमिका निभाते हैं। मुझे आशा है पत्रिका के माध्यम से संस्थान अपनी उपलब्धियों के दिग्दर्शन के साथ ही नवीन शैक्षिक क्रियाकलापों द्वारा शिक्षा के उत्कर्ष में अभीष्ट योगदान देगा।

पत्रिका की सफलता हेतु शुभकामनायें।

डा० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय

श्री विजय कुमार सक्सेना
प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
उन्नाव।

सरस्वती वन्दना

हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे
अम्ब विमल मति दे

जग सिर मौर बनाये भारत वह बल विक्रम दे
अम्ब विमल मति दे।

साहस शील हृदय में भर दे जीवन त्याग तपोमय कर दे
संयम सत्य स्नेह का वर दे स्वाभिमान भर दे
अम्ब विमल मति दे।

लवकुश, ध्रुव, प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरें हम
सीता, सावित्री, दुर्गा माँ फिर घर-घर भर दे।
अम्ब विमल मति दे।

⊂=⊂

हमारे प्राचार्य

युवा, कर्तव्यनिष्ठ एवं संस्थान के विकास में सतत प्रयत्नशील

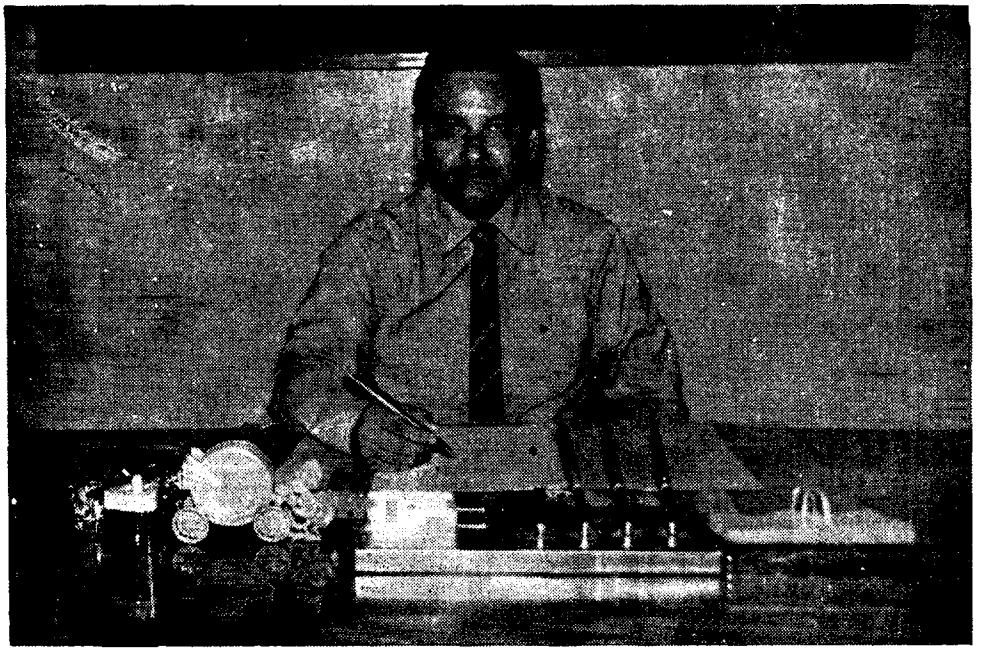

श्री विजय कुमार सक्सेना

एम.एस-सी., एल.एल.बी., डी.ई.पी.ए., पी.ई.एस

मेरा पत्रा

राजकीय शिक्षा नीति १९८६ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का उल्लेख है। इन संस्थानो के माध्यम से बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में क्रान्तिकारी सुधारों की अपेक्षा हैं। संस्थानों के माध्यम से समाज में ऐसे बच्चों तथा प्रौढ़ों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा जो कि पर्याप्त समय से मुख्यधारा से नहीं जुड़ सके है एवं पूर्णतयः उपेक्षित रहे हैं। इन संस्थानों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए उन समस्त व्यक्तियों जो कि दूरस्थ स्थानों पर कार्य कर रहे है को नवीनतम शैक्षिक प्रौद्योगिकी से अवगत कराया जायेगा। संस्थानों के माध्यम से "सदैव स्वागत है" का संदेश का प्रसार प्रचार होगा जिससे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को यह आभास हो सके कि वे जब चाहें संस्थान में आकर अपनी समस्याओं का निदान कर सकते है। संस्थान में पदार्पण करने पर वे यह अनुभव करेगें कि एक बार संस्थान में आने पर वे हमेशा संस्थान के अंग रुप में रहेगें। आपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालयों को सुसज्जित किये जाने का वृत्त प्रदेश शासन ने लिया है जो कि एक अत्यन्त सराहनीय कार्य है। प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा अधिकमियों को जिला स्तर पर प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति इन संस्थानों के माध्यम से की जा रही हैं। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के बालको में अवश्यक ज्ञान, बोध, कौशल तथा चरित्रिक विकास में सहायता प्रदान करना भी इन संस्थानों का उद्देश्य रहा है।

जनपद उन्नाव शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरुप सेवा पूर्व एव सेवारत प्रशिक्षणो के साथ-साथ पाठ्य क्रम विकास, श्रव्य दृष्य, सामग्री विकास कार्यानुभव, पार्यावरण सम्बन्धी शिक्षा विज्ञान, कलासंगीत, तथा योग के प्रोत्साहन हेतु भी इस संस्थान में सराहनीय प्रयास किये है।

संस्थान का विकास शैशवावास्था में है। संस्थान के अधिकांश रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ होना शेष है। फिर भी अपने सीमित साधनों के होते हुए भी संस्थान ने अपने कार्य क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी है संस्थान में आने वाले प्रत्येक शिक्षा प्रेमी को संस्थान अपना घर सा प्रतीत होता है। वास्तव में संस्थानों का प्रदेश में उदय अपने आप में एक क्रान्तिकारी घटना है।

मैं विशेष रुप से आभारी हूँ कि श्री हरि प्रसाद पाण्डेय, निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ० प्र० निशातगंज, लखनऊ तथा डा० एल० पी० पाण्डेय शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० का जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय एवं मार्ग दर्शन मुझे प्रदान किया है।

जिसके फलस्वरुप यह संस्थान उच्चकोटि का कार्य करने में सफल रहा हैं। मैं अनुग्रहीत हूँ श्री साहब सिंह निरंजन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव का जिनके सद प्रयास से मुझे सदैव सहयोग प्राप्त होता रहा।

संस्थान की पुस्तिका 'प्रवाह' के माध्यम से संस्थान में होने वाले क्रिया कलापो की एक झलक प्रस्तुत की गयी है। आशा ही नही पूर्ण विश्वास है कि पाठक गण प्रथम पुष्प को स्वीकार करेगें।

विजय कुमार सक्सेना
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उन्नाव।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव।

संरक्षक :

१–माननीय श्री राजनाथ सिंह
शिक्षा मंत्री
उत्तर प्रदेश ।

२–श्री कर्नेल सिंह
प्रमुख सचिव (शिक्षा)
उत्तर प्रदेश ।

पथ प्रदर्शक :

१–श्री हरि प्रसाद पाण्डेय
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद, उत्तर प्रदेश ।

सम्पोषक :

१–श्री बी० पी० खण्डेलवाल
शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

२–डा० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश ।

३–डा० कृष्णावतार पाण्डेय
निदेशक (प्रौढ़ शिक्षा)
उत्तर प्रदेश ।

४–श्री रुद्र नारायण शर्मा
निदेशक (प्राच्च भाषा)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

५–श्री विनोद कुमार
अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश ।

६–श्री महानन्द मिश्र
अपर शिक्षा निदेशक (विश्व बैंक परियोजना)
मेन्टर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
बीसलपुर, पीलीभीत ।

७–डा० वेदपति मिश्र
अपर शिक्षा निदेशक (मा०)
उत्तर प्रदेश ।

संस्थान की समितियां

(अ) परामर्शदात्री समिति :

१– श्री विजय कुमार सक्सेना — अध्यक्ष
प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उन्नाव ।

२– श्री विजय कुमार सक्सेना — सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक,
उन्नाव ।

३– श्री विश्वनाथ त्रिपाठी — सदस्य
जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी
उन्नाव ।

४– श्री साहब सिंह निरंजन — सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
उन्नाव ।

(ब) क्रय-समिति :

१– श्री विजय कुमार सक्सेना — अध्यक्ष
प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उन्नाव ।

२– श्री विजय कुमार सक्सेना — सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक
उन्नाव ।

३– श्री साहब सिंह निरंजन — सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव ।

(स) पुस्तकालय समिति :

१– श्री विजय कुमार सक्सेना — अध्यक्ष
प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उन्नाव ।

२– श्री विजय कुमार सक्सेना — सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक,
उन्नाव ।

३– श्री साहब सिंह निरंजन — सदस्य
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव ।

४– कु० विभा त्रिपाठी (प्रभारी) — सदस्य
संस्थान की पुस्तकालयाध्यक्ष,

५– श्रीमती मदुला पंडित — सदस्य
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राजकीय जिला पुस्तकालय,
उन्नाव ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव, में कार्यरत स्टाफ विवरण

(१) अधिकारी/अध्यापिका विवरण :-

क्रमांक	नाम	पद	वेतनक्रम	शैक्षिक योग्यता
१-	श्री विजय कुमार सक्सेना	प्राचार्य	३०००-४७५०	एम०एस०सी०एल०एल बी०, डी०ई०पी०ए०
२-	श्रीमती कृष्णा सक्सेना	सहायक अध्यापिका	१६००-२६००	एम० ए० (इतिहास) सी०टी०
३-	" सरिता गुप्ता	,,	,,	बी०एस०सी०एम०ए०, बी०एड०
४-	" किश्वर महबूब जिलानी	,,	,,	एम०ए० (उर्दू पेंटिंग) बी० एड०
५-	" शोभा सरीन	,,	,,	एम० ए० (इतिहास) एल० टी०
६-	" राशदा शरफ	,,	,,	एम०ए० (इतिहास) पी.ई.डी.ए.सी.सा-२
७-	,, रेखा कपूर	,,	,,	एम०ए० (इतिहास) बी०एड०
८-	,, प्रेमवती गुप्ता	,,	,,	एम०ए० (हिन्दी) बाम्बे आर्ट मास्टर आर्ट
९-	,, सरला श्रीवास्तव	,,	,,	एम०ए० (समाजशास्त्र) सी०टी०
१०-	,, सरला बाजपेई	,,	,,	एम०ए० बी०एड०
११-	,, कु० विभा त्रिपाठी	,,	,,	एम०ए० (अर्थशास्त्र) बी०एस०सी०बी०एड०
१२-	,, श्रीमती आशा गौड़	,,	,,	एम०ए० (समाजशास्त्र) एल०टी० (बेसिक)

(२) लिपिक वर्गीय विवरण :

क्रम सं०	नाम	पद	वेतनक्रम	शैक्षिक योग्यता
१–	श्री मनीष सक्सेना	कनिष्ठ लिपिक	६५०–१५००	इण्टरमीडिएट
२–	श्री अमृतलाल कुशवाहा	"	"	बी०ए०
३–	श्री अजय कुमार शुक्ल	"	"	एम. काम.
४–	श्री गिरीश चन्द्र	"	"	इण्टरमीडिएट
५–	श्री इन्द्रजीत	"	"	बी. ए.
६–	श्री निर्मल प्रकाश श्रीवास्तव	"	"	बी. काम.
७–	श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी	"	"	बी. ए.
८–	श्री मोहम्मद अहमद	"	"	एम. काम.
९–	श्री अनिल कुमार मिश्र	प्रयोगशाला सहायक	"	बी. एस. सी.
१०–	श्री चन्द्रशेखर	"	"	बी. एस. सी.

(३) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का विवरण :-

क्रम सं०	नाम .	पद	वेतनक्रम
१–	श्री देशराज	परिचारक	७५०-६५०
२–	श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव	"	"
३–	श्री राम नरेश	"	"
४–	श्रीमती फूला देवी	परिचारिका	"
५–	श्रीमती प्रेमा	सफाई कर्मचारी	"

*

प्राचार्य द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्वागत

माननीय शिक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा संस्थान
के नवीन भवनों का उद्घाटन
(दिनांक १८-११-९१)

संस्थान के नव-निर्मित भवन

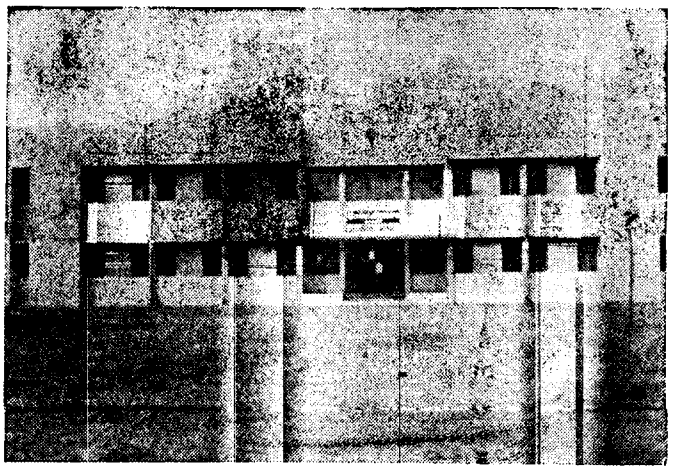

प्रशासनिक भवन

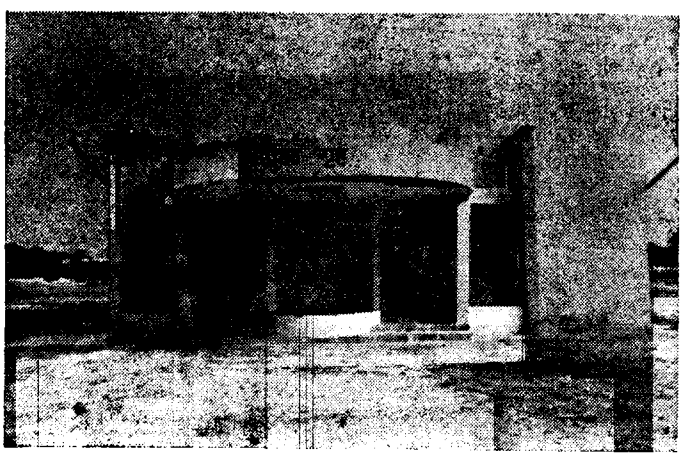

प्रेक्षागृह

संस्थान का स्टाफ

कुर्सी पर बैठे हुए (बाएँ से दाएं) :-श्रीमती किश्वर महबूब जीलानी (स०अ०) श्रीमती शोभा सरीन (स०अ०) श्रीमती रेखा कपूर (स०अ०), श्रीमती सरला श्रीवास्तव (स०अ०), श्रीमती कृष्णा सक्सेना (स०अ०), श्री विजय कुमार सक्सेना (प्राचार्य) श्रीमती राशदा शरफ (स०अ०), श्रीमती सरिता गुप्ता (स०अ०) श्रीमती सरला बाजपेई (स० अ०), कु० विभा त्रिपाठी (स० अ०), श्री मनीष सक्सेना (लिपिक)।

खड़े हुए (बायें से दाएं) :-श्रीमती बिन्देश्वरी (च०श्रेक), श्री निर्मल प्रकाश श्रीवास्तव (लिपिक) श्री अनिल कुमार मिश्र (प्रयोगशाला सहायक), श्री मोहम्मद अहमद (लिपिक), श्री अमृतलाल कुणवाहा (लिपिक), श्री चन्द्रशेखर (प्रयोगशाला सहायक), श्री इन्द्रजीत (लिपिक), श्री गिरीशचन्द्र (लिपिक), श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव (च०श्रे०क०), श्री देशराज (च०श्रे०क०)।

धन से ज्ञान बड़ा है,

क्योंकि कि हम धन की रखवाली करते हैं

और

ज्ञान हमारी रखवाली करता है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
का
संक्षिप्त परिचय

●: वी० के० सक्सेना (प्राचार्य)

शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ शिक्षा के ग्राम स्तर से विकास खण्ड स्तर तक के समस्त शिक्षक कर्मियों के सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु शिक्षा की अभिनव प्रवृत्तियों, नवीन शिक्षण विधियों शैक्षिक नवाचारों, पाठ्यक्रमों पाठ्य सामग्रियों, श्रव्य-दृश्य उपकरणों के प्रयोग मेधावी तथा मन्द अधिशासी छात्रों के उपचारात्मक शिक्षण के लिये प्रदेश प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है ।

समाज की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु शिक्षार्थियों की अधिगम उपलब्धियों में गुणात्मक सुधार लाना, शिक्षकों और निरीक्षकों को शैक्षिक तकनीकी से अवगत कराना, प्रवर्तन एवं सतत् व्यापक मूल्यांकन की विधा अपनाने में निपुण बनाना, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसन्धान करना, शैक्षिक कार्यक्रमों के जनपद स्तर पर नियोजन प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन के लिये सूचनायें एकत्र करना और उच्चाधिकारियों को प्रेषित करना, शिक्षार्थियों में आत्म-निर्भरता, श्रमशीलता और स्वरोजगार की भावना विकसित करने के लिये कार्यानुभव का कार्य कराना तथा अभिभावकों, अधिकारियों, स्वैच्छिक संस्थाओं और विशेषज्ञों से वांछित सहयोग प्राप्त करके शैक्षिक कार्यक्रमों को सर्वतोभावेन कारगर बनाना ही इन संस्थानों का लक्ष्य है ।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के कार्य

१, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों 'शिक्षकों' तथा पर्यवेक्षकों के लिये सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

२. प्रौढ़ शिक्षा के अनुदेशकों तथा पर्यवेक्षकों के लिये सेवा प्रवेश तथा सेवारत प्रशिक्षण 'सतत् शिक्षा' की व्यवस्था करना ।

३. विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिये संस्थागत नियोजन एवं प्रबन्ध तथा सूक्ष्म नियोजन में प्रशिक्षण अभिनवीकरण कार्यक्रम संचालित करना।

४. सामुदायिक नेताओं, स्वैच्छिक संगठनों के कर्मियों तथा विद्यालयी शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिये अभिनवीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।

५. विद्यालय संकुलों तथा जिला शिक्षा बोर्डों को अकादमिक सहयोग प्रदान करना।

६. शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान तथा प्रयोग परीक्षण हेतु कार्यक्रम संचालित करना।

७. प्राइमरी विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों अनौपचारिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लिये मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करना।

८. शिक्षकों तथा अनुदेशकों के लिए साधन केन्द्र/शिक्षा इकाई के रूप में सेवायें उपलब्ध कराना।

९. जिला शिक्षा बोर्ड जैसी संस्थाओं के लिए परामर्श तथा अकादमिक सहयोग प्रदान करना।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के विभाग

१. सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण विभाग।

२. कार्यानुभव विभाग।

३. प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा विषयक जिला संसाधन इकाई।

४. सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय सम्पर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग।

५. पाठ्यक्रम, सामग्री विकास तथा मूल्यांकन विभाग।

६. शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग।

७. नियोजन तथा प्रबन्ध विभाग।

जनशक्ति–प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के लिये अधोलिखित स्टाफ की व्यवस्था है।

क्रमांक	पद नाम	पद संख्या	वेतनमान
१.	प्राचार्य	१	रु० ३०००–४७५०
२.	उप-प्राचार्य	१	रु० ३०००–४५००
३.	वरिष्ठ प्रवक्ता	६	रु० २२००–४०००
४.	प्रवक्ता	१७	रु० १६००–२६६०
५.	तकनीकी सहायक	३	रु० १४००–२३००
६.	कार्यालय अधीक्षक	१	रु० १४००–२६००

७.	लेखाकार	१	रु० १२००-२०४०
८.	कनिष्ठ लिपिक	६	रु० ६५०-१५००
६.	प्रयोगशाला सहायक	२	रु० ६५०-१५००
१०.	आशुलिपिक	१	रु० १२००-२०४०
११.	पुस्तकालयाध्यक्ष	१	रु० १४००-२६००
१२.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	५	रु० ७५०--६५०
	योग	४८	

प्रदेश में संस्थानों की स्थापना :—सभी ६३ जनपदों में तीन चरणों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित है।

प्रथम चरण – में निम्नलिखित २० जनपदों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है।

१.	लखनऊ	२.	उन्नाव	३.	बरेली	४.	पीलीभीत
५.	झांसी	६.	हमीरपुर	७.	बहराइच	८.	बाराणसी
६.	बलिया	१०.	आगरा	११	मथुरा	१२.	मुरादाबाद
१३.	इटावा	१४.	फैजाबाद	१५.	इलाहाबाद	१६.	मेरठ
१७.	बुलन्दशहर	१८.	गोरखपुर	१६.	नैनीताल	२०.	पिथौरागढ़

द्वितीय चरण —में निम्नलिखित २० जनपदों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

१.	फतेहपुर	२	कानपुर	३.	फर्रुखाबाद	४.	शाहजहाँपुर
५.	ललितपुर	६.	रामपुर	७.	मुजफ्फरनगर	८.	मिर्जापुर
६.	अलीगढ़	१०.	अल्मोड़ा	११.	हरदोई	१२.	बाराबंकी
१३.	जौनपुर	१४.	गाजियाबाद	१५.	बदायूं	१६.	देहरादून
१७.	रायबरेली	१८.	मैनपुरी	१६.	बाँदा	२०.	हरिद्वार

तृतीय चरण--में निम्नलिखित २३ जनपदों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना होना है।

१.	सीतापुर	२.	लखीमपुर	३.	प्रतापगढ़	४.	सुल्तानपुर
५.	गोंडा	६.	बस्ती	७.	सिद्धार्थनगर	८.	आजमगढ़
६.	मऊ	१०.	देवरिया	११.	गाजीपुर	१२.	सोनभद्र

१३. कानपुर देहात	१४. जालौन	१५. एटा	१६. फिरोजाबाद
१७. सहारनपुर	१८. बिजनौर	१९. टिहरी	२०. पौड़ी
२१. चमोली	२२. उत्तरकाशी	२३. महराजगंज	

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव के भवन निर्माण हेतु कुल रु० ३१.१८ लाख तथा उपकरण क्रय हेतु कुल रु० ६.४१ लाख आवंटित हुआ था। उपकरण आदि क्रय की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है तथा भवन निर्माण हेतु जो धनराशि प्राप्त हुई थी उसे लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा व्यय की जा चुकी इस प्रकार शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि व्यय की जा चुकी है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव।

उत्तर प्रदेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव का भवन लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा सम्पादित किया गया है। इस हेतु ३१.१८ लाख रुपये की धनराशि आवंटित हुई थी जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यय की जा चुकी है। भवन तीन खण्डों में विभाजित है।

१. मुख्य प्रशासनिक भवन
२ बहुउद्देशीय हाल
३. छात्रावास

छात्रावास में छात्रों के ठहरने के लिए दो डारमेट्री का निर्माण हुआ है। जिसमें मात्र २० 'बीस' छात्र ही एक समय में ठहर सकते हैं। भवन अत्यन्त छोटा है और अधिक कक्षों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। वर्तमान में डायट भवन में निम्नलिखित कार्यों की और अधिक आवश्यकता है।

१. बाउण्ड्रीवाल का निर्माण
२. कार्यानुभव हेतु वर्कशेड का निर्माण

संस्थान में वर्ष १९९१-९२ में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, तथा प्रौढ़ शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिसमें प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और संस्थान में उपलब्ध विभिन्न शैक्षिक उपकरणों आदि की भूरि-भूरि प्रशंसा की। शिक्षा के क्षेत्र में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का उदय एक अविस्मरणीय घटना है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उन्नाव का वर्ष १९९१–९२ का प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम

राज्य पोषित कार्यक्रम प्लान

क्र. सं० कार्यक्रम	विषय	वांछित परिव्यय
१– प्रशिक्षण	१– उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण।	४५,०००–००
	२– प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण।	६०,०००–००
	३– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्या० का कार्यानुभव सम्बन्धी प्रशिक्षण।	६०,०००–००
	४– प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का विद्यालयीय प्रबन्ध एवं नियोजन प्रशिक्षण।	२३,४००–००
	५– सेवापूर्व बी०टी०सी० द्विवर्षीय प्रशिक्षण।	नियमित बजट से
	योग–	१,८८,४००–००
	६– प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों/अनुदेशिकाओं का पुनर्बोध एवं अभिनवीकरण प्रशिक्षण।	५०,६५०–००
	७– अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक/अनुदेशिका अभिनवीकरण प्रशिक्षण।	४८,०००–००
	योग	९८,६५०–००
२– शोध/अध्ययन/सर्वेक्षण	१– प्रा० पा० के अध्यापकों का अनुपस्थिति के कारण एवं निधन (तीन दिवसीय कार्यशाला)	६ ०००–००
	योग:–	६,०००–००
३– कार्यशाला/विचारगोष्ठी	१– लैब एरिया में प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचपरिक शिक्षा केन्द्रों के क्रियाकलाप का तुलनात्मक अध्ययन (तीन द्विवसीय कार्यशाला।	६,०००–००
	२– बी०टी०सी० अनुदेशक चयन प्रक्रिया (तीन दिवसीय विचार गोष्ठी)	६,०००–००
	३– प्रभावी अनुदेशक चयन प्रक्रिया (तीन दिवसीय विचार गोष्ठी)	६,०००–००
	४– प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की संकुलगोष्ठी	६ ०००–००
	योग:–	३६,०००–००
४– परियोजना	१– प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा के प्रेरक/पर्यवेक्षकों को अक्षर ज्ञान की नवीनतम प्रणाली से अवगत कराना (दो फेरा ५० प्रतिभागी प्रतिफेरा)	१५,०००–००
५– प्रकाशन	१– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की वार्षिक उपलब्धियों के सम्बन्ध में पत्रिका का प्रकाशन।	१५,०००–००
	महा-योग:–	३६२३५०–००

नोट :—क्रमांक ६ एवं ७ पर अंकित प्रशिक्षण का व्यय बेसिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय से प्राप्त होगा।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण

श्रीमती सरिता गुप्ता
प्रभारी
सेवारत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय सम्पर्क
एवं
प्रवर्तन समन्वय
विभाग

भूमिका :

यथावत रहने की अपेक्षा परिवर्तन सफल जीवन के लिए आवश्यक हैं, तथा शिक्षा व्यवस्थित एवं अपेक्षित परिवर्तन प्राप्त करने के लिए उत्तमसाधन माना गया है। हमारी समाजिक परिस्थतियां जिस तीव्र गति से परिवर्तित हो रही हैं उस दौड़ में शैक्षिक परिवर्तन पिछड़ गया है। चारों ओर से इस बात की माँग है कि शिक्षा में सामाजिक आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों के अनुरुप परिवर्तन किया जाये। नई शिक्षा नीति १९८६ इसी दिशा में गतिशीलता की ओर एक कदम है। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शिक्षा प्रणाली में जिन नये विचारों, नये कार्यक्रमों एवं नई तकनीकों के द्वारा सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है उन्हें हम शैक्षिक नवाचार कहते हैं।

जनसंख्या विस्फोट, औद्योगीकरण एवं ज्ञान का विस्फोट पुराने शिक्षकों को बहुत पीछे छोड़ चुका है। भावी नागरिकों की शैक्षिक प्रगति के लिए नवीन ज्ञान एवं नवीन शैक्षिक तकनीकी के ज्ञान की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना एक अनिवार्यता बन गयी है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में नवाचारों का समावेश ही इस समस्या का समाधान कर सकता है। शिक्षण व प्रशिक्षण की तकनीकी को नित्य नवीन रुप देने वाले ज्ञान और उससे उत्पन्न माँगों के अनुरुप बदलना होगा और यह तभी सम्भव है जब शिक्षकों को समय-समय पर शिक्षण की नई विधाओं से अवगत कराया जाये एवं पूर्वज्ञान का पुनर्बोध कराया जाये। बेसिक शिक्षा के उन्नायन के लिए प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एक प्रभावी प्रयास है।

प्रशिक्षण की अवधि :

सर्वप्रथम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में दिनांक १०-२-९२ से १९-२-९२ तक संस्थान द्वारा जूनियर विद्यालयों के शिक्षकों का गणित एवं विज्ञान प्रशिक्षण आयोजित हुआ। यह दस दिवसीय प्रशिक्षण

पूर्णतः आवासीय रहा एवं भोजन व्यवस्था का प्रबन्ध संस्थान के द्वारा किया गया।

प्रशिणार्थियों की संख्या :

इस प्रशिक्षण में ८० शिक्षक/शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिसमें से ७२ प्रशिक्षणार्थी ही इस प्रशिक्षण से लाभान्वित हुए।

प्रशिक्षण पर व्यय :

इस प्रशिक्षण पर कुल रु० १६२७५=०० व्यय किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य :

विज्ञान के प्रतिदिन होने वाले नये-नये आविष्कारों को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी नित नये परिवर्तन करने पड़ रहे हैं। यदि हम गतवर्षों के गणित एवं विज्ञान के पाठ्यक्रम की ओर नजर डालें तो हम देखेगें कि जो पाठ शिक्षक ने कक्षा दस में पढ़े थे, उनको आज कक्षा छः का छात्र अध्ययन कर रहा है। यदि इस प्रकार गणित एवं विज्ञान के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न किया जाये तो इन विषयों के पूर्ण-ज्ञान से छात्र उच्च कक्षाओं में वंचित रह जायेंगे। अतः इस प्रशिक्षण में हमने कक्षाओं में बढ़ते पाठ्यक्रम तथा नये विषयों को समझाने का पूर्ण प्रयास किया है।

गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों के पूर्वज्ञान को और अधिक विकसित करने हेतु एवं उनकी जिज्ञासाओं को शान्त करने का भी प्रयत्न किया गया।

हमारे बेसिक विद्यालयों में कुछ जूनियर विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ परिस्थितिवश गणित एवं विज्ञान विषय के अध्यापक नहीं हैं। उन विद्यालयों में अन्य विषयों के अध्यापक गणित एवं विज्ञान का शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अतः उनकी अनेक समस्यायें हमें प्राप्त हुई। उदाहरणार्थ अंकपद्धति एवं बीजगणित में ग्राफ द्वारा समीकरण पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करने की समस्यायें शिक्षकों द्वारा रखी गयीं। हमारा पूर्ण प्रयास रहा कि हम उन्हें यह विषय स्पष्ट कर सकें और वे प्रशिक्षण से लौटने के पश्चात शिक्षार्थियों को इससे लाभान्वित करा सकें। इस प्रकार उन शिक्षकों की गणित एवं विज्ञान विषय से सम्बन्धित व्यक्तिगत समस्याओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया।

क्रियाविधि—उक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक १०-२-९२ को प्रातः १० बजे से शिक्षक/शिक्षिकाओं का नामांकन किया गया। संस्थान के अनुभवी शिक्षाविद प्राचार्य द्वारा प्रशिक्षण का विधिवत उद्घाटन किया गया। प्राचार्य ने जिले के विभिन्न अंचलों से आये हुए शिक्षकों का अभिनन्दन करते हुए अपने बहुमूल्य एवं रचनात्मक विचारों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को भावाभिभूत कर दिया।

संस्थान की अनुभवी शिक्षिकाओं द्वारा तैयार किये गए विचार पत्रक एवं समय विभाग चक्र फाइल

में लगाकर पेन सहित प्रशिक्षार्थियों को वितरित किया गया जिससे प्रशिक्षण से लौटने के पश्चात भी कुछ सामग्री उनके पास उपलब्ध रहे। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन ९ से १० बजे प्रातः के बीच जलपान ग्रहण कर १० बजे ईशवन्दन हेतु उपस्थित हो जाते थे।

इस प्रशिक्षण में गणित एवं विज्ञान के अतिरिक्त कुछ अन्य विषयों का समावेश समयानुकूल किया गया जैसे राष्ट्रीय एकता। आज की परिस्थितियों में जबकि भाषावाद, धर्मवाद, क्षेत्रीयतावाद अपनी पराकाष्ठा पर हैं भारत जैसे राष्ट्र को राष्ट्रीय एकता की बहुत आवश्यकता हैं। यह प्रयास हमारे बच्चों के साथ करना ही उत्तर होगा क्योंकि बच्चों के कोमल मस्तिष्क पर जो अंकित हो जाता है वह स्थायी होता है। बच्चों में हम किस प्रकार से राष्ट्रीय एकता ला सकते हैं इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। शिक्षिकाओं ने तो अपने विचारों से प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित कराया ही प्रशिक्षणार्थियों द्वारा भी उपयोगी सुझाव दिए गये। सर्वधर्म प्रार्थना विभिन्न धर्म के मानने वालों के त्योहारों मे सभी बच्चों का सम्मिलित होना आदि सुझाव प्राप्त हुए।

नैतिक स्तर में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुभव कर रहा है। यदि शिक्षक स्वयं ही नैतिक आचरण करे तो बच्चे अनुकरण द्वारा स्वयं ही नैतिक आचरण करने लगते हैं। कोरी नैतिकता की शिक्षा देने से बच्चों में नैतिकता आने की सम्भावना नहीं है। शिक्षिका द्वारा नैतिक मूल्यों की चर्चा की की गई प्रशिक्षणार्थियों ने उत्साहपूर्वक चर्चा में भाग लिया। उदाहरण एवं कहानियों के द्वारा विषय को रुचिकर बनाया गया। बच्चे अच्छी कहानियाँ पसन्द करते हैं अतः कहानियों द्वारा बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता है। जैसे-जैसे बालक बड़ा होता है और सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है उसकी समस्यायें निरन्तर बढ़ती जाती हैं। ऐसे में यदि शिक्षक बच्चों की समस्याओं की जानकारी किये बिना उन पर ज्ञान थोपेगा एवं उनकी समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए व्यवहार नहीं करेगा तो छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेंगे। अतः प्रशिक्षण में बढ़ते हुए बच्चों की विभिन्न समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया।

प्रदूषण आज की ज्वलन्त समस्याओं में से एक है। आज लगभग सम्पूर्ण विश्व इस समस्या के लिए चिन्तित है और इसके निराकरण के उपायों को खोज रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि छोटी उम्र से ही बच्चों में प्रदूषण के प्रति सजगता उत्पन्न की जाए। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण की जानकारी करते हुए विस्तृत वार्ता की गई कि किस प्रकार से इन प्रदूषणों को न्यूनतम किया जा सकता है।

अन्य विषयों के साथ स्काउट/गाइड का अपना ही महत्व है। प्रशिक्षार्थियों को स्काउट/गाइड के विभिन्न नियमों एवं अन्य सभी प्रकार की जानकारी दी गई। किस प्रकार बच्चों को दीक्षा दी जाती हैं? किस प्रकार उसके प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकते है? जीवन में उसका क्या महत्व है? आदि पर चर्चा

की गई। अन्तिम दिन कैम्प फायर का भी आयोजन किया गया। प्रशिक्षणार्थियों से नित्य योगाभ्यास भी कराया गया जिसमें प्रशिक्षणार्थियों ने विशेष रुचि दिखाई। विशेषज्ञ द्वारा बताया गया कि किस प्रकार योग के द्वारा शरीर को सुडौल एवं स्वस्थ रखा जा सकता है। अधिकांश बीमारियों को भी योग द्वारा ठीक किया जा सकता है और उनसे दूर रहा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के आसनों का लाभ बताते हुए उन्हें करने की सही विधि का ज्ञान कराया गया। आसनों को गलत ढंग से करने से हानि भी हो सकती है यह भी बताया गया।

गणित विषय में समानुपात तथा समानुपाती भाग को किस प्रकार से बच्चों को सरल विधि से समझाया जा सकता है बताया गया। विभिन्न प्रश्नों को लेकर हल करके बताया गया। खेतों का क्षेत्रफल निकालना बताया गया। इसमे बच्चों की मुख्य समस्या पैमाना मानना है अतः इस पर विशेष बल दिया गया। विभिन्न प्रश्न लेकर पैमाना मानकर आकृतियां बनाई गई एवं सूत्रों की सहायता से उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना बताया गया। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं व्यवहार गणित को पढ़ाने में शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गयी। उन बिन्दुओं को ढूँढ़ने का प्रयास किया गया जहाँ शिक्षार्थी त्रुटि करते हैं। आयतन के विभिन्न आयामों को स्पष्ट किया गया।

सजातीय एवं विजातीय पद, सरल समीकरण तथा उस पर आधारित प्रश्नों मे शिक्षकों की कठिनाइयाँ दूर की गयीं तथा जिन शिक्षकों को गणित पढ़ाने में कठिनाई अनुभव होती है उनको विशेष रूप से विषय को स्पष्ट करके लाभान्वित कराया गया।

गणित शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग करके विषय को रुचिकर एवं बोधगम्य बनाने पर बल दिया गया। गणित विषय विद्यार्थियों को विशेष रूप से कठिन लगता है। अतः उसे मनोरंजक बनाने हेतु गणित के कुछ खेल बच्चों को सिखाने का सुझाव दिया गया। गणित किट बाक्स का प्रयोग बताया गया। गोले से कटी विभिन्न आकृतियों के द्वारा भिन्न का ज्ञान सिखाने में किस प्रकार सहायता मिलती है समझाया गया। वर्ग, शंकु, आयत, गोला आदि विभिन्न ठोस आकृतियाँ दिखाई गयीं। क्यूबिक राड्स के द्वारा जोड़ तथा घटाना खेल विधि से सिखाया जा सकता है। स्पाइक ए बाक्स दिखाया गया जिसके द्वारा छात्रों को स्थानीय मान का ज्ञान कराना सिखाया गया। इससे बच्चों को स्पष्ट किया जा सकता है कि हासिल लेते समय हम दस क्यों जोड़ते हैं। स्पाइक ए बाक्स की सहायता से कई संख्याओं का जोड़ भी सरलता से किया जा सकता है। सबसे आकर्षक नेपियर पट्टियाँ लगी जिनसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा बहुत जल्दी किया जा सकता है। शिक्षकों ने इन्हे बनाना भी सीखा।

किट बाक्स की सामग्री एवं प्रयोग में प्रशिक्षणार्थियों ने विशेष रुचि दिखाई और विद्यालय में स्वयं बच्चों की सहायता से उन्हें बनवाने का आश्वासन भी दिया।

शिक्षक/शिक्षिकाओं से गणित के प्लान भी बनवाये गये। विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि

सहायक सामग्री का प्रयोग अवश्य किया जाये तथा कक्षा में बच्चों को अधिक से अधिक सक्रिय रखा जाये। ग्रुप विभाजन कर प्रत्येक ग्रुप से अंकगणित, बीजगणित एवं रेखागणित के दो दो पाठ संकेत बनवाये गये। ग्रुपों ने अपने पाठों को विधिपूर्वक पढ़ाया। अन्य ग्रुपों के द्वारा पाठों की रचनात्मक समीक्षा की गयी।

विज्ञान में जड़ तथा तने की सामान्य रचना उसके रूपान्तरण तथा कार्य बताये गये। बीजों की रचना, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री बीज, उपरिभूमिक तथा अधोभूमिक अंकुरण बताये गये। संदर्भदाता द्वारा प्रोजेक्टर का प्रयोग किया गया एवं पहले से ही ट्रान्सपिरेन्सी तैयार कर ली गई जिनका प्रदर्शन प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष किया गया। इससे प्रशिक्षणार्थी विशेष रुप से प्रभावित हुए और उन्होंने उसके उपयोग की विधि की जानकारी करने की इच्छा व्यक्त की। उनकी जिज्ञासा शान्त की गई तथा उन्हें उसके उपयोग की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने विद्यालयों को प्रोजेक्टर प्राप्त कराने की मांग भी रखी।

तापमान, ऊर्जा तथा कृषि में रसायन आदि पाठों पर चर्चा की गयी। इनमें कौन-कौन से प्रयोग करके दिखाये जा सकते हैं उनको दिखाया गया तथा प्रशिक्षणार्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया।

प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि विज्ञान विषय बिना प्रयोग दिखाए एवं सहायक सामग्री का प्रयोग किये स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों ने प्रयोग प्रदर्शन के सम्बन्ध में सामग्री आदि की समस्याएं रखीं जिस पर विस्तृत विचार किया गया। सदर्भदाता द्वारा बताया गया कि किस प्रकार स्थानीय साधनों द्वारा एवं स्वनिर्मित उपकरणों के द्वारा जूनियर कक्षाओं के लगभग सभी पयोग प्रदर्शित किये जा सकते हैं। इस कार्य में छात्रों से भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक एक दिन पूर्व ही यह देख ले कि उसको कौन सा पाठ पढ़ाना है और उसके पढ़ाने में कौन से प्रयोग दिखाने होंगे और उन प्रयोगों में किस सामग्री की आवश्यता होगी। यदि शिक्षक एक वर्ष श्रम कर ले तो आगे के लिए उसे उतने परिश्रम की आवश्यता नहीं होगी। इस दिशा में संदर्भ दाता द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को अस्थाई आरोपण द्वारा प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं का प्रदर्शन करना सिखाया गया सुदर्शन की पत्ती की निचली सतह से स्टोमेटा का प्रदर्शन एव गुड़हल के पुष्प के परागकणों का स्लाइड बनाना भी सिखाया गया। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ों तथा तने की स्थाई स्लाइड दिखायी गयी। अमीबा पैरामीशियम हाइड्रा तथा रक्त के तैयार स्लाइड माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाये गये।

वाष्पोत्सर्जन का प्रयोग बेलजार में पौधा रखकर तैयार किया गया एवं दिखाया गया। श्वसन क्रिया प्रदर्शित करने हेतु बेलजार में ट्यूब लगाकर गुब्बारे द्वारा बेलजार के मुँह पर बड़े गुब्बारे का डाय-फ्राम बनाकर प्रदर्शित किया गया। पौधे दिन में आक्सीजन छोड़ते हैं प्रयोग द्वारा दिखाया गया इस प्रकार जीवविज्ञान के कक्षा ६, ७ व ८ के लगभग सभी प्रयोग प्रदर्शित किये गये।

स्क्रूगेज द्वारा तार का व्यास नापना, बर्नियर कैलीपर्स द्वारा बेलन का व्यास निकालना, नपना

गिलास द्वारा छोटे बेडौल ठौस का आयतन निकालना, विभिन्न प्रकार के लैंस व दर्पण दिखाये गये एवं बताया गया कि किस प्रकार उनको पहचाना जा सकता है। ब्यूरेट एवं पिपेट का प्रयोग करके दिखाया गया। कार्क में छेद करना, काँच की नलियों को विभिन्न कोणों पर मोड़ना बताया गया। रसायन विज्ञान में आक्सीजन, कार्बनडाई आक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैसें बनाकर दिखाई गयीं एवं उनकी पहचान करना सिखाया गया।

शिक्षकों को प्रोत्साहित किया गया कि प्रत्येक ग्रुप चार-चार प्रयोग स्थानीय सामग्री द्वारा दिखाये और स्पष्ट करे कि उन प्रयोगों द्वारा कौन-कौन से विषय स्पष्ट किए जा सकते हैं। शिक्षकों ने काफी उत्साह दिखाया एवं विद्यालय परिसर से ही अधिकांश ऐसी सामग्री एकत्रित करली जिससे जूनियर कक्षाओं के अधिकांश प्रयोग दिखाकर विषय स्पष्ट किए जा सकते हैं।

शिक्षकों के प्रत्येक ग्रुप ने विज्ञान के पाठ संकेत भी बनाए एवं उनका शिक्षण भी किया। इनमें से कुछ पाठ वास्तव में काफी प्रभावी ढंग से पढ़ाए गए।

प्रशिक्षण में एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिसमें गणित एवं विज्ञान विषयों के शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया गया एवं उनके निराकरण पर रचनात्मक विचार दिए गए।

शिक्षकों ने कई समस्यायें रखीं जैसे :--

१. विद्यार्थियों का भाषा ज्ञान, एवं गणित का प्रारम्भिक ज्ञान संतोषजनक न होना।
२. विज्ञान शिक्षण के लिए चक्र कम निर्धारित है जिसमें क्रियात्मक कार्य के साथ पाठ्यक्रम पूरा कराना सम्भव नहीं है।
३. कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कहीं कहीं बहुत अधिक है।
४. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जैसे किसी-किसी जूनियर विद्यालय में एक ही शिक्षक है या दो ही शिक्षक हैं आदि।

निष्कर्ष

प्रशिक्षण के अन्तिम दिन सभी ग्रुपों ने दस दिन की रिपोर्ट पढ़ी जिसके मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं।

प्रशिक्षण से सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुए तथा सभी को यह अनुभव हुआ कि दस दिन का कार्यक्रम इतना विविधतापूर्ण ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक रहा कि प्रशिक्षण अवधि कब बीत गई पता ही नहीं चला और जाने का समय आ गया ऐसा प्रतीत होता है कि सीखने को बहुत कुछ बाकी रह गया।

प्रशिक्षण की आवासीय व्यवस्था, जलपान एवं भोजन व्यवस्था उत्तम प्रकार की रही।

गणित एवं विज्ञान का यह प्रशिक्षण उन शिक्षकों के लिये ज्ञानवर्धक सिद्ध हुआ जो गणित एवं विज्ञान केवल जूनियर कक्षाओं तक ही पढ़े थे। गणित एवं विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों के ज्ञान का पुनर्बोध हुआ जिससे वे भी लाभान्वित हुए।

सभी शिक्षकों ने अपना यात्रा भत्ता प्राप्त किया और अपने-अपने निवास स्थानों की ओर प्रस्थान किया।

अन्ततः यह दस दिवसीय गणित विज्ञान का उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल रहा।

प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं का पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण

श्रीमती किश्वर महबूब जीलानी (प्रभारी)
पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग

भूमिका :-

स्कूली पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। समाज की बदलती स्थितियों में उसे भी बदलना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता व गतिशीलता होनी चाहिए अन्यथा उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाती हैं। अत: राष्ट्र की प्राथमिकतायें एवं सहमति पाठ्यक्रम में समुचित रूप से परिलक्षित होना चाहिये।

शिक्षा एक चिरन्तन प्रक्रिया है। इस दृष्टि को ध्यान में रखकर पाठ्यकम के माध्यम से बच्चों को ऐसा ज्ञान देना है जो केवल पुस्तकीय ही न हो बल्कि बालकों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी चाहिए ताकि वे जाति पाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्रीयता, सम्प्रदायिकता आदि संकीर्ण मनोवृत्तियों से ऊपर उठकर बदलते परिवेश व समय में विभिन्न सामाजिक, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिये तत्पर रहें।

शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये अध्यापक अपनी शिक्षण संस्थाओं में जिन गतिविधियों का आयोजन करते हैं या योजना बनाते हैं वही पाठ्यक्रम है। एक अध्यापक अधिकतर अपना समय कक्षा के भीतर तथा बाहर पाठ्यक्रम के निष्पादन में लगाता है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास पर विशेष बल दिया गया हैं। अध्यापकों का कर्त्तव्य है कि वह पाठ्यक्रम में नई गतिविधियाँ संगठित करें, और छात्र इन्ही गतिविधियों का सीढ़ियों से नया ज्ञान, समुचित दृष्टिकोण व दक्षता प्राप्त करें। समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के बदलने के साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन एवं संशोधन अनिवार्य है। आज हमारे समाज में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि विभाजनकारी प्रवृत्तियों ने जन्म ले लिया है। इन सब प्रवृत्तियों को दूर करने के लिये हमें स्कूली पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना होगा उसे लचीला बनाना होगा ताकि समाज में पनपने वाली इन बुराइयों का एक अंश भी छात्र को न छू सके।

प्रशिक्षण की अवधिः दिनांक २०-२-९२ से २९-२-९२ तक उक्त प्रशिक्षण संस्थान के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय था।

प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :—इस प्रशिक्षण में ८० प्रशिक्षणार्थियों को बुलाया या जिसमें से ७५ प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतिभाग किया।

प्रशिक्षण पर व्यय :-इस केशिक्षण के संचालत हेतु रु० १४, ८००-०० का व्यय हुआ।

प्रशिक्षण के उद्देश्य :- आदिकाल से ही शिक्षा मानव समाज के विकास के लिये मूलमन्त्र रही है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि शिक्षा वह अस्त्र है जिससे व्यक्ति का न केवल आर्थिक पक्ष बल्कि भौतिक, सामाजिक एवं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है।

समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना लाभप्रद ही नहीं वरन् आवश्यक है तभी सही मानों में पाठ्यक्रम का उद्देश्य पूरा हो सकता है।

पाठ्यक्रम में सीखने वाले के सभी अनुभव सम्मिलित किये जाते हैं। यह समस्त अनुभव एक कार्यक्रम का रुप लेते हैं जो बालक को मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक रुप से विकसित करते हैं। बालक की शिक्षा में पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है।

१- पाठ्यक्रम शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यही उन विषयों को निर्धारित करता है, जिनका जिनका बालकों को अध्ययन करना है।

२- पाठ्यक्रम शिक्षाधिकारियों को यह निश्चित करने में सहायता देता है कि विभिन्न स्तरों के शिक्षकों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

३- पाठ्यक्रम वह माध्यम है जिसके द्वारा हम यह आशा करते हैं कि बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।

४- शिक्षा के चाहें जो उद्देश्य हों उनको केवल पाठ्यक्रम के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

५- विद्यालय का मुख्यकार्य बालकों को ज्ञान और अनुभव प्रदान करने के अतिरिक्त उनके लिये विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आयोजन करना भी है, ताकि उनका अधिकतम विकास हो सके और वे समाज के लाभप्रद सदस्य बन सकें। पाठ्यक्रम ही बिद्यालय के इस कार्य को सफलतापूर्वक करने में सहायता दे सकता है।

६- पाठ्यक्रम उस लक्ष्य को निश्चित करता हैं जिसे शिक्षकों और छात्रों को प्राप्त करना है। यह शिक्षकों को इस बात का ज्ञान प्रदान करता है, जिसे शिक्षकों और छात्रों को प्राप्त करना है। यह

शिक्षकों को इस बात का ज्ञान प्रदान करता है कि उन्हें वर्ष में कितना और क्या पढ़ना है। इस ज्ञान की सहायता से वे वर्ष में सम्पूर्ण कार्य का विभाजन करते हैं और उसके शिक्षण की उचित से उचित तैयारी करते हैं।

पाठ्यक्रम की आवश्यकता तथा महत्ता को ध्यान में रखते हुए सफाया एवं शैदा ने लिखा है :-

'पाठ्यक्रम शिक्षा सम्बन्धी कार्यों और विद्यालय कार्यों को उचित प्रकार से नियोजित करने का मुख्य आधार है।"

शिक्षा प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाठ्यक्रम का है यदि पाठ्यक्रम का नियोजन उचित ढंग से होता है तो शिक्षक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए होता हैं। पाठ्यक्रम जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है।

कार्यविधि :- पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण के प्रथम दिन के प्रथम चरण में १० बजे प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव द्वारा उद्घाटन एवं परिचय प्राप्त किया गया। उपस्थिति पंजिका पर नामांकन करके हस्ताक्षर कराये गये तत्पश्चात् प्रशिक्षण में आये प्रशिणार्थियों को संस्थान की शिक्षिकाओं द्वारा तैयार किये गये विषय में सम्बन्धित विचार पत्रकों की फाइल, समय विभाग चक्र तथा उनके प्रयोग के लिए पेन वितरित किये गये।

भाषा शिक्षण में भाषा की विधाएं तथा शब्दों के भेद समझाये गये वर्तनी मे सुलेख अनुलेख पर चर्चा हुई। श, स और ष का अन्तर भली भाँति समझाया गया आधी र का प्रयोग भी सिखाया गया। स्वर व्यंजन तथा श्रुतिलेख तथा वर्ण समूह वाक्य और वाक्य खण्ड के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से ज्ञान कराया गया।

सामान्य जीवन में गणित का बहुत अधिक महत्व है। गणित के अन्तर्गत गिनती व पहाड़े खेल-खेल में सिखाने का ज्ञान दिया गया तथा ६, १६, २६, ३६ ४६ और इसी क्रम में पहाड़े बनाने का गुर बताया गया। ३, ५, ७, ६ के वर्गों की संख्याओं का योग सभी ओर से बराबर हो, सिखाया गया जो बहुत ही आसान तथा सुन्दर था। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी बाल केन्द्रित शिक्षा का भी विशेष रुप से ध्यान रखा गया। गुणनखण्ड आदि का भी बहुत ही रोचक ढंग से ज्ञान कराया गया जिससे प्रशिक्षणार्थी बहुत ही प्रभावित हुए।

मनुष्य और पर्यावरण का घनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिए अध्यापक तथा अभिभावक को बच्चों की पर्यावरण की शिक्षा पर बल देना चाहिए। इस प्रशिक्षण में बताया गया कि पर्यावरण क्या है ? तथा उसके विभिन्न घटक कौन-कौन से है साथ ही स्थानीय पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों की जानकारी दी गई और उन्हें यह भी बताया गया कि मनुष्य और पर्यावरण में क्या सम्बन्ध है तथा पर्यावरण से क्या लाभ तथा उसके प्रदूषण से क्या हानियाँ हैं ? उनके गम्भीर परिणामों के विषय में भी बताया गया।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर विशेषज्ञों को बुलाकर विषय पर वार्ता, चर्चा तथा मार्ग दर्शन किया गया। जैसे-वित्त सम्बन्धी अभिलेखों के विषय में, भाषा, शिक्षण तथा परिषदीय विद्यालयों का रख रखाव आदि।

पाठ्यक्रम विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण में बढ़ते हुए बच्चे की आवश्यकताएं और समस्याएं शीर्षक बहुत अधिक महत्व रखता है यदि इस बात को ध्यान में रखकर पाठ्य क्रम का निर्धारण किया जाये तो शिक्षा के हर क्षेत्र में सफलता सम्भव है।

भोजन तथा आवासीय आवश्यकताओं के अतिरिक्त बच्चों की कुछ सामाजिक और भावात्मक आवश्यकताएं भी होती हैं। जिनको पूरा न होने से बच्चे विभिन्न प्रकार के असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। यदि अध्यापक को बच्चों की इन आवश्यकताओं की जानकारी होगी तो वह बच्चों के असामान्य व्यवहार के विषय में गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं और यदि उनकी इस प्रकार की आवश्यकताएं पूरी न की गई तो बच्चों के व्यवहार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे- अक्रामकता, अन्तर्मुखी होना, हकलाना, अनुशासनहीन बनना, कम उपलब्धि प्राप्त होना आदि।

इसलिए अध्यापक तथा माता-पिता दोनों के लिये आवश्यक है कि बच्चों की आवश्यकताओं को समझ कर पूरा करें।

शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा उसके प्रसार के लिये जन माध्यम का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सकता है। पुराने जमाने में शिक्षक ही एक ऐसा माध्यम था जिससे बच्चों को ज्ञान प्राप्त होता था। वह मौखिक रूप से अपने शिक्षार्थियों को पढ़ाता था। बाद में छपाई की तकनीक का विकास हुआ पुस्तकों की छपाई हुई। पुस्तकों से शिक्षकों को पढ़ाने तथा विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में बहुत अधिक लाभ हुआ। अखबारों के प्रयोग से उन्हे विभिन्न चीजों और घटनाओं के बारे में जानकारी मिली।

परन्तु अब नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत रेडियो तथा टेलीवीजन का प्रयोग भी शिक्षा के विस्तार एवं प्रसार के लिये होने लगा है। जिससे शिक्षणार्थी बहुत अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। जन माध्यम का शिक्षा के स्तर को सुधारने तथा शिक्षा के प्रसार के लिये और अधिक उपयोग किया जा सकता है।

विद्यालय को स्वच्छ तथा सुन्दर कैसे रखा जा सकता है ? बच्चों के अन्दर इस भावना का विकास कैसे किया जा सकता है बताया गया। सुन्दरता तथा स्वच्छता के विषय में उन्हे बताया गया कि किस प्रकार हम विद्यालय को सुन्दर तथा स्वच्छ बना सकते हैं।

प्राथमिक स्तर पर प्रवेश तथा पढ़ाई में लगे रहने हेतु उन्हे प्रोत्साहित किया गया। प्राथमिक स्तर पर अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश अधिक से अधिक कराये तथा बीच में अपने बच्चों का किसी भी स्थिति में नाम न कठवायें तथा उन्हें निरन्तर पढ़ाई में लगे रहने के लिये प्रोत्साहित करते रहें।

कार्यानुभव का लक्ष्य भावी नागरिकों में वैयक्तिक गुण, गौरव और दक्षता की गहन भावना उत्पन्न करना और उनमें आत्मोत्कर्ष तथा समाज सेवा की भावना को सुदृढ़ करना है। सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग कार्यानुभव को होना चाहिये। कार्यानुभव एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण और सार्थक शारीरिक कम है जो सिखाने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है और जिससे समाज को वस्तुयें और सेवायें मिलती हैं। यह अनुभव एक सुसंगठित और क्रमबद्ध कार्यक्रम के रूप में दिया जाना चाहिये। कार्यानुभव की गतिविधियाँ विद्यार्थियो की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिये।

शिक्षक को छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, आवश्यकताओं, शैक्षिक स्तर के बढ़ने पर ज्ञान तथा कौशल में होने वाली वृद्धि के स्तर के अनुरुप कार्यों का समावेश करना चाहिये। यह अनुभव उनका कार्य जगत में प्रवेश होने पर सहायक सिद्ध होगा।

स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा विद्यालयी पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के लिए सुविधायें अधिकतर विद्यालय से प्राप्त हैं। इस क्षेत्र में क्रियाकलापों के आयोजन में शिक्षकों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। इन क्रियाओं में बच्चे सहर्ष और अपनी इच्छा से भाग लेते हैं। पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य ही शारीरिक स्वास्थ्य की परिभाषा है।

इन प्रशिक्षण में सामुदायिक सहभागिता, जनमाध्यम तथा जनसंख्या शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया है।

अब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जबकि मनुष्य की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई है जितनी कि उनका शिक्षण कौशल, कार्याभ्यास और उनकी आदत। दूसरे शब्दों में उनकी गुणवत्ता ही अब प्रत्येक चीज की कसौटी बन गई है।

आजकल स्त्री शिक्षा का बड़ा महत्व बढ़ गया है परन्तु यह सच है कि सौ वर्ष पूर्व भारत में नारी शिक्षा को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। आज भारतीय नारी शिक्षित महिला के रुप में बाह्य जगत में प्रवेश कर रही है। आज स्त्री जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष से कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही है। इससे स्पष्ट है कि नारी शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

विद्यालय संकुल मूलत: शिक्षा के विद्यमान ढाँचे और उसके व्यवहारिक स्वरुप में सुधार है। अपने विद्यालय से ८ किलोमीटर की परिधि के अन्दर के सभी शिक्षण संस्थाओं को वे चाहें सरकारी, स्थानीय निकायों या पंचायतीराज और सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित हों चाहें ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हों सभी को जूनियर हाई स्कूल या उ०मा०वि० या अन्य उच्चतर संस्था से सम्बद्ध कर दिया जाता है। इनी को विद्यालय संकुल कहा जाता है। ऐसे विद्यालयों को प्रमुख विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय भी कहा जाता है। विद्यालय संकुल में शामिल विद्यालयों के नियोजन तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए यह समिति उत्तरदायी होगी। यह समिति क्षेत्र में सभी विद्यालयों का दिशा निर्देश भी करेगी।

सारभौमिकरण का अर्थ है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा सुलभ हो। शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष की वस्तु न होकर जन साधारण को प्राप्त हो। जन-जन तक शिक्षा को पहुंचाया जाए तथा प्राथमिक स्तर पर बालक इससे लाभान्वित हो सके। हण्टर आयोग के अनुसार 'प्राथमिक शिक्षा को जन साधारण की शिक्षा मानना चाहिए"। स्वामी विवेकानन्द के शब्दों में हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है, इसमें शिक्षा का अभाव है अतः यदि देश को समुन्नत बनाना है तो सर्वप्रथम जन साधारण को शिक्षित किया जाये।"

इस दस द्विवसीय प्रशिक्षण के अन्तर्गत ह्रास एवं अवरोध अनौपचारिक शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा तथा परिषदीय विद्यालयों के रखरखाव के विषय में भी विचार विमर्श प्रस्तुत किए गए तथा शिक्षा के विस्तार एवं प्रसार हेतु नये-नये सुझाव दिए गए।

शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय काम हैं और देश द्वारा किये जाने वाले किसी भी कार्य की रीढ़ है। क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक है। अपने देश की बागडोर उसके कन्धों पर है। कोई व्यवस्था सदा एक सी नहीं रहती है, समय-समय पर परिवर्तित होती रहती है। भिन्न-भिन्न कमीशनों एवं कमेटियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने की बात दोहराई जाती रही है। कोठारी कमीशन ने शिक्षा का एक मूल उद्देश्य राष्ट्रीय एकता बताया है। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने में शिक्षा की मुख्य भूमिका होती है।

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में सह पाठ्यक्रम क्रियाओं द्वारा विषय से सह सम्बन्ध करके राष्ट्रीय एकता का विकास किया जा सकता है। भाषा साहित्य, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एव विज्ञान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का विकास कर सकते हैं। उदाहरण के लिये यदि भारत के इतिहास को सही परिपेक्ष्य में पढ़ाया जाये तो विविधता में एकता पर बल देना होगा।

कला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ले जानी वाली एक प्रक्रिया है। यह अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है, कला जीवन को देखने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए भविष्य की सृजनात्मक, उत्पादक एवं सुखद योजना के निर्माण का एक माध्यम है।

आज रटने की विद्या एवं परीक्षाओं पर अत्यधिक बल दिया जाता है। छात्र अधिगम एवं ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं लेते। विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर जो भी सिखाया जाता है वह अधिकतर निश्चित सिद्धान्तों, निर्मित नियमों एवं विधियों पर आधारित होता है। यह यथार्थ रूप में छात्र की संलग्नता का निषेध करता है। इस परिस्थिति में कला एक स्वतन्त्र शक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विज्ञान मानव का प्रयास है। पिछले १५० वर्षों में इसने मानव समाज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अनुसंधान से विज्ञान तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि विज्ञान के बिना आज अर्थपूर्ण जीवन बिता सकना असंभव हो गया है। आज विज्ञान पर केवल वैज्ञानिकों का अधिकार नहीं रह गया है। हर इन्सान प्रकृति के नियमों और

सिद्धान्तों को किसी न किसी रूप में अनुभव करता है और इनमें से अधिकांश अनुभव उन्हें जाने बिना ही करना है। पर जानने में मानव की पर्यावरण के साथ अन्तः क्रिया की भाषा बढ़ती है।

वर्तमान समय में समाज के बढ़ते हुए व्याभिचार, अनुशासनहीनता, के चरणों में स्काउटिंग तथा गाइडिंग जैसे उपेक्षित विषय को पुनः जीवित तथा अनुपेक्षित रूप से प्रस्तुत कर दिया है। समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में स्काउटिंग तथा गाइडिंग विषय की महत्ता राष्ट्र की गरिमा बनाये रखने के लिये अनिवार्य बन गई है। स्काउटिंग तथा गाइडिंग के क्रियाकलापों से धन की प्राप्ति नहीं होती वरन् उसके क्रियात्मक पक्ष के द्वारा छात्र छात्राओं में सहयोग, प्रेम, स्वावलम्बन तथा विश्व बंधुत्व की भावना को साकार करना ही लक्ष्य है।

अनुसंधानों से पता चला है कि पर्यावरण में शोर की तीव्रता प्रत्येक १० वर्षों में दुगनी होती जा रही है। प्रदूषण का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर स्पष्ट पड़ता है। वायु, जल, भूमि, जन्तु, बनस्पति में पाँचों तत्व एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनका जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस स्तर पर छात्रों को अपने जनपद तथा क्षेत्र विशेष की पर्यावरण की समस्याओं से भलीभांति परिचित कराते हुए उनके संरक्षण के प्रति उचित अभिवृत्ति विकसित की जा सकती है।

निष्कर्ष—

यह प्रशिक्षण अत्यधिक लाभकारी रहा। इससे प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान में वृद्धि हुई और उनको पाठ्यक्रम सम्बन्धी नयी-नयी विधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इसमें उपस्थित सभी अध्यापक तथा अध्यापिकाओं ने आपसी विचार विमर्श के पश्चात अपनी अपनी आख्या प्रस्तुत की और संकल्प लिया कि वे अपने विद्यालयों में जाकर ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। पाठ्यक्रम के माध्यम से उनमें नयी जागृति, प्रेमभावना, शुद्ध लिखना पढ़ना, बोलना तथा परस्पर सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना सिखायेंगे जिससे छात्र राष्ट्र निर्माण में वांछित योगदान दे सकें।

तत्पश्चात् अध्यापक तथा अध्यापिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए और जो अति सराहनीय रहे। इसके उपरान्त प्राचार्य महोदय ने इसका समापन किया तथा अध्यापक और अध्यापिकाओं के जीवन की सफलता की कामना करते हुए उन्हें आशीष बचन दिए तथा आभार प्रकट किया। अन्त में यात्रा भत्ते का भुगतान हुआ और सभी लोग अपने-अपने गन्तव्य की ओर चले गये।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का विद्यालयी प्रबन्ध एवं नियोजन सम्बन्धी प्रशिक्षण ।

श्रीमती प्रेमवती गुप्ता
प्रभारी
प्रबन्ध एवं नियोजन विभाग

भूमिका :—

संस्थागत प्रबन्ध एवं नियोजन में विद्यालय के वे सभी पहलुओं का समावेश है जो विद्यालय से सम्बन्धित है। या यूँ कहिये कि विद्यालय के सर्वांगीण सुधारों का समावेश किया गया है। हमारा देश ग्राम प्रधान देश है और ग्रामीण अंचलों में तथा नगर क्षेत्रों में माध्यमिक विद्यालयों की अपेक्षा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है। इस प्रशिक्षण में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के सुधार हेतु विद्यालय स्तर पर प्रबन्ध एवं नियोजन करने सम्बन्धी जानकारियों का समावेश किया गया है। विद्यालय के कार्यों को जिसमें छात्र भी सम्मिलित हैं, नियोजित रूप से करने के लिये कार्य अनुस्थापित योजना की तैयारी तथा आँकड़ों का संकलन व प्रस्तुतीकरण करना। योजना बद्ध कार्य करने से कार्य करने में कठिनाई नहीं होती है। छात्रों की अनुपस्थिति के कारण, बढ़ते बच्चे की आवश्यकताओं तथा समस्याओं का निदान सम्बन्धी जानकारी का समावेश किया गया। प्राय: यह देखने में आता है कि प्रधानाध्यापक और शिक्षक उस तकनीक से अनजान रहते हैं जिससे वे अपने विद्यालय सुचारु रूप से सुधार कर सके। शिक्षा का स्तर दिन-प्रतिदिन गिरता चला जा रहा है इसलिये शिक्षा का स्तर उठाने के लिये समय-समय पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। बच्चे का भविष्य शिक्षण पर बहुत अधिक निर्भर करता है बच्चे को अनुशासित बनाना तथा बच्चे का चरित्र निर्माण करना एक शिक्षक का कर्त्तव्य है। देश को ऊँचा उठाने के लिये बच्चे की नींव मजबूत हो सके तभी वे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और स्वत: उनका विकास होता चला जायेगा। बच्चे की व्यक्तिगत व सामूहिक शिक्षा को नियोजित ढंग से करने की आदत डालने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये शिक्षक को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है क्योंकि बच्चे का अधिकांश समय विद्यालय में बीतता है और बच्चा शिक्षक के कथन और व्यवहार को आदर्श समझकर उसका अनुकरण करता है। इसलिये प्रबन्ध एव नियोजन का प्रशिक्षण देने के लिये प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के एक शिविर के आयोजन की

आवश्यकता समझी गई ताकि प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों का मार्ग दर्शन कराया जा सके । विद्यालय स्तर पर सभी पहलुओं अर्थात् विद्यालय के चारों ओर के पर्यावरण आदि का सुधार हो सके । विद्यालय को प्रभावी बनाने सम्बन्धी जानकारियों का समावेश किया गया। ताकि विद्यालय तो प्रभावी हो ही साथ में शिक्षा का स्तर भी ऊँचा उठ सके तथा बच्चे परिश्रमी और आत्म निर्भर बन सके । प्रबन्ध एवं नियोजन में कार्य अनुस्थापित योजनाओं की प्रक्रिया अपनाना विशेष महत्व रखता है ।

अवधि-

इस प्रशिक्षण की अवधि दस दिन थी। यह प्रशिक्षण दिनांक ३. ३. ९२ से १२. ३. ९२ तक संचालित रहा ।

प्रशिक्षण में प्रतिभागी संख्या:-

इस प्रशिक्षण में जनपद के ९५ प्रतिभागी भाग लेकर लाभान्वित हुये ।

प्रशिक्षण में व्यय :-

प्रशिक्षण के संचालन हेतु रु० २०५१२-व्यय किया गया ।

उद्देश्य :-

प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यालय को अल्प व्ययी साधनों द्वारा प्रभावी बनाना, शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास करना है । शिक्षक के माध्यम से छात्रों के चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में सहभागिता की भावना का विकास करना । शिक्षक कार्य अनुस्थापित योजनाओं के आंकड़ों का संकलन कर सके व उसका प्रस्तुतीकरण कर सके । शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है । योजनाओं द्वारा बच्चे की शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास हो सके, बच्चों में एकता की भावना का समावेश हो शिक्षक के प्रयासों द्वारा छात्र आत्म निर्भर बन सके तथा छात्रों को अनुशासित एवं नियोजित ढंग से रहने की आदत डाल सके ।

कार्यविधि -

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सेवारत प्रधानाध्यापकों के शिविर के संचालन हेतु प्रयोगार्थ कोर्स निदेशकों तथा संदर्भदाताओं द्वारा पाठ्य सामग्री विचार पत्रक के रूप में विकसित की गई । अधिगम अनुभवों को समृद्ध करने हेतु जन माध्यमों की सहायता लेकर प्रशिक्षण कराया गया । सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षिकाओं द्वारा अधिगम संबोधो का मार्गदर्शन किया गया । इसमें प्रतिभागियों के लिये पूर्व संचित विवरण समुचित प्रेषण सुविधा तथा प्रश्नोत्तर विचार विमर्श सम्मिलित किये गये है ।

जैसा कि उपरोक्त व्याख्यायित है कि पाठ्यक्रम के रुप में विकसित विचार पत्रकों, अधिगम क्रिया-कलापों/अनुभवों की कार्यवाही के आधार पर शिविर में कार्य किया गया । विचार पत्रकों की एक-एक प्रति प्रत्येक प्रतिभागी को इस आशय से प्रदान की गयी कि सभी प्रतिभागी इन विचार-पत्रकों को रात्रिकालीन

संस्थागत प्रबन्ध एवं नियोजन के अन्तर्गत विद्यालय के सर्वांग विकास सम्बन्धी सभी पहलुओं की जानकारी दी गई। योजनाबद्ध कार्य करने पर विचार विमर्श किया गया। विद्यालय स्तर पर प्रबन्ध एवं नियोजन में सभी की भागीदारी की आवश्यता के सन्दर्भ में तर्क दिये गये किसी विद्यालय की विशेष आवश्यकताओं को इंगित करते हुये उनके विकास कार्यक्रमों के लिये सुझाव दिये गये। तथा समूह में कार्य कराया गया।

विद्यालय की उन सभी वस्तुओं का रख रखाव, जैसे भवन मरम्मत आदि पर विचार विमर्शोपरान्त सुझाव दिये।

शिक्षा के उन्नयन हेतु प्रयास करने सम्बन्धी जानकारी देने के लिये उप-निरीक्षिका बालिका विद्यालय बेसिक कार्यालय को विशेषज्ञ के रूप में बुलाकर जानकारी दिलाई गई।

शिक्षा किसी देश की उन्नति का प्रतीक है स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के नव निर्माण एवं उन्नति के लिये शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता का अनुभव करते हुये शिक्षा में ६ से ११ वय वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने के प्रयास सम्बन्धी वार्ता-चर्चा की गई और सुझाव दिये गये। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की कठिनाइयों पर विचार करके उसके निराकरण सम्बन्धी वार्ता-चर्चा एवं सुझाव दिये गए।

भारत में बढ़ती जनसंख्या से रहने की भूमि, खाद्यान्न व पहनने के कपड़ों की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। परिणामस्वरूप इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो कृषि के लिए भूमि नहीं मिलेगी इस पर विस्तृत वार्ता करते हुए शिक्षण के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षण की पद्धति को समझाया गया।

प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय का प्रशासक होता है। अत: प्रधानाध्यापक की भूमिका बहुत अहम् स्थान रखती है। वह अपने विद्यालय को सहायकों की सहायता से नियोजित करता है। छात्रों की उपस्थिति, विलम्ब से आने वाले छात्रों की समस्याओं पर कार्य अनुस्थापित योजना को तैयार कराकर निदान करने के प्रयास सम्बन्धी सुझाव दिये गये। प्रधानाध्यापक स्वयं समय से विद्यालय पहुंचे तथा सभी के साथ समानता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करने सम्बन्धी वार्ता-चर्चा करके सुझाव दिये गये। स्पष्ट किया गया कि अपने सहायकों से किस प्रकार सहायता लेकर विद्यालय को नियोजित ढंग से चलायें।

प्राय: प्राथमिक विद्यालयों में कहीं-शिक्षकों की कमी, कहीं भवन की कमी के कारण शिक्षा सुचारु रूप से नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में बहु-कक्षा शिक्षण का अभिज्ञान दिया गया तथा चार्ट भी बनाकर समझाया गया ताकि शिक्षा के समय का अधिकतम उपयोग हो सके।

किसी अधिगम को प्रभावी बनाकर पढ़ाया जाय तो अधिक ग्राही होता है। इसलिये अधिगम को प्रभावी बनाने सम्बन्धी अल्पव्ययी साधनों द्वारा शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करने की प्रक्रिया बताई गई तथा कुछ का निर्माण करके प्रदर्शन किया गया। तत्पश्चात् प्रतिभागियों को अपने क्षेत्र पर कच्चामाल

अध्ययन के लिए पढ़ने में समय दें। तथा एक-एक प्रति केन्द्र निदेशक तथा सन्दर्भदाताओं को भी दी गयी। विषय पत्रकों के साथ प्रशिक्षण की समय सारणी भी संलग्न है। यह रूप रेखा प्रत्येक विचार पत्रक में सुझाये गये विषय वस्तु की आवश्यकताओं तथा अधिगम कार्यकलापों पर पुनर्वलन है तथा इसके अतिरिक्त क्रियाओं को भी सुझाया गया है और प्रतिभागियों के विचारार्थ नवीन कार्योन्मुखी योजनाओं को सोदाहरण विस्तार किया गया है जिससे प्रतिभागी शिविर के लिये अपने को तैयार कर सकें।

प्रथम दिवस का पूर्वाह्न अधोलिखित क्रिया कलापों में लगाया :—

प्रतिभागियों का पंजीकरण किया गया, पंजीकरण क्रमबन्ध की दृष्टि से किया गया।

संस्थान के आचार्य द्वारा उद्घाटन किया गया तथा उन्होंने इस शिविर के महत्व का उद्देश्य बताया और अपने भाषण में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में भागलेने व कार्य करने का प्रोत्साहन दिया।

प्रतिभागियों द्वारा स्व परिचय दिया गया। स्व परिचय एक महत्वपूर्ण कार्य है जो प्रतिभागियों और शिविर आयोजकों को एक दूसरे के विषय में जानने, व्यक्ति और समूह को समझने तथा सामाजिक सम्पर्क बढ़ाने में सहायक होता है।

एक दूसरे के साथ अपेक्षाओं की भागीदारी प्रतिभागियों को शिविर से अपनी अपेक्षाओं के प्रति अधिक यथार्थ सम्बोध प्राप्त करने में सहायक होता है। इस शिविर में आने पर शिक्षकों के मन में पाठ्यक्रम के प्रति कुछ चिन्तन और कल्पनायें उभरे होंगे तथा कुछ अपेक्षायें विकसित हुई होंगी। अपेक्षाओं का स्पष्टीकरण किया गया।

प्रतिभागियों को समूहों में विभाजित करने से सम्बोधों तथा समस्याओं के निदान हेतु सहभागिता सहायक होती है। एक दूसरे के अनुभवों का आदान-प्रदान होता है।

सभी विचार-पत्रक फाइल में संलग्न करके प्रत्येक प्रतिभागी को वितरित किये गये तथा एक-एक पेन भी वितरित किया।

विद्यालय में बच्चे पढ़ते है इन बढ़ते बच्चे की आवश्यकतायें एवं समस्यायें तथा निदान पर वार्ता-चर्चा की गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि अध्यापक विद्यालय से सम्बन्धित सामाजिक शैक्षिक समस्याओं के निदान में सहायता करे। कभी-कभी अध्यापक अपने व्यवहार से अपने छात्रों में सामाजिक तथा शैक्षिक समस्या उत्पन्न कर देते हैं। संदर्भ दाता द्वारा पूछा गया कि वे ऐसी घटनाओं का स्मरण करें और लिखें जबकि अनजाने में उन्होंने अपने छात्रों के लिए समस्या उत्पन्न कर दी हो इससे सम्बन्धित एक प्रपत्र पर आकड़े लिखा कर एकत्रित किये गये। सन्दर्भ दाता ने इसी प्रकार के एक या दो अनुभवों को लेकर उनका विश्लेषण पारस्परिक विचार विमर्श करते हुए उनके अनुभवों का विचार विमर्श हेतु श्यामपट पर लिखा ताकि उनमें सुधारात्मक अभिज्ञान हो सके।

आसानी से मिलने वाली चीजों से सहायक सामग्री का निर्माण कर लिखने को कहा गया व उसकी विधि भी लिखने को कहा गया।

शिक्षा के क्षेत्र में जनमाध्यम का प्रयोग बहुत अधिक महत्व रखता है। विद्यालय उस क्षेत्र का एक समुदाय है। प्रतिभागियों को यह बताया गया कि समुदाय के क्षेत्र में जो रेडियो, टेलीविजन उपलब्ध हो सके उनका प्रयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु किस प्रकार करें, इस दिशा में प्रेरित किया जाय।

प्रतिभागियों को रेडियो तथा टेलीविजन पर कार्य सौंपा गया और आंकड़े तैयार करने को कहा गया। इन आंकड़ों का प्रपत्र विचार पत्रक में सम्मिलित है।

प्राय: प्राथमिक विद्यालयों में वंचित वर्ग के छात्रों की अवहेलना होती है इससे इन बच्चों में हीन भावना पनपने लगती है। वंचित वर्ग के छात्रों के साथ समानता का व्यवहार किस प्रकार करें, इस पर विस्तृत वार्ता–चर्चा करके सुझाव प्रस्तुत किये गये तथा उनको कार्यान्वित करने की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया।

प्रतिभागियों को समुदाय में कार्य करने हेतु समूहों में बाँटकर कार्य कराकर सामुदायिक सहभागिता की उपयोगिता का अभिज्ञान कराया गया। समुदाय के साथ सहभागिता से कार्य करने का महत्व एवं लाभ पर विचार विमर्श किया गया। शैक्षिक विकास के लिए शिक्षक समुदाय का सहयोग ले सकता है यदि शिक्षक का व्यवहार समुदाय के प्रति अच्छा है तो वह शैक्षिक विकास हेतु समुदाय की सहायता ले सकेगा जैसे बच्चों की उपस्थिति, भवन की मरम्मत आदि। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन तथा नियमित रूप से स्कूल जाने को प्रेरित करना आदि समुदाय पर बहुत निर्भर करता है। क्योंकि विद्यालय समुदाय का एक अंग है। अत: समुदाय की सहभागिता अनिवार्य रूप से लेने पर बल दिया गया।

पर्यावरण के अध्ययन के अन्तर्गत विद्यालय के चारों ओर का पर्यावरण भी है। उससे सम्बन्धित सुधार के उपायों पर प्रकाश डाला गया कि विद्यालय किस स्थान पर हो उसके चारों ओर के प्रदूषण को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।

प्राथमिक स्तर पर छात्रों के प्रवेश तथा उनकी पढ़ाई जारी रखने के प्रोत्साहन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। प्राय: यह देखा जाता है कि बच्चा स्कूल नहीं आता या विलम्ब से आता है तथा कुछ बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं। इन सब कारणों की अध्यापक को जानकारी करनी है। अध्यापक इन कारणों की जानकारी करें, विभिन्न विन्दुओं को रखकर विश्लेषण कराया गया और कुछ प्रपत्र भराये गये।

प्रत्येक अध्यापक प्रतिभागी अपने क्षेत्रों से सम्बन्धित कुछ कार्य अनुस्थापित योजना की तैयारी में सहायता करता है। इस योजना का विचार पत्रक विकसित करके प्रतिभागियों को दिया गया जिससे प्रति–भागी का मार्ग दर्शन होगा। जो शिविर से जाने के बाद अपने विद्यालय के वातावरण को उन्नत करने के लिये कक्षा के अन्दर तथा बाहर लागू करना चाहिये।

संदर्भदाता द्वारा कार्य अनुस्थापित योजना के निर्माण में समाहित दो पक्ष बताये गये हैं।

१. प्रतिभागियों के अनुभव के आधार पर सहगामी कार्यवाही जो विचार विमर्श तथा अन्तर्क्रियाओं का प्रतिफल हो।

२. प्रतिभागियों द्वारा योजना का निर्माण।

उपरोक्त दोनों पक्षों पर विचारविमर्शोपरान्त प्रतिभागियों को समूह में बांटकर एक घटना विषय देकर कार्य योजना का उदाहरण देकर योजना को बनवाया गया। योजना के बनाने पर उसको विश्लेषित करके विचार श्यामपट पर लिखे गये, और उन पर विचार विमर्श करके उनको कार्यान्वित करने के सुझाव लिये।

विस्तृत जानकारी देने के लिये लेखाधिकारी बेसिक कार्यालय उन्नाव के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई जिससे अधिक विचार विमर्श हुए और सभी ने अपनी समस्याओं के निदान हेतु प्रश्न रखे, तथा उनका निराकरण लेखाधिकारी द्वारा किया गया।

समाज में अनियार्य मूल्यों में कमी निरन्तर बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक जीवन में नैतिकता व सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इन मूल्यों को विकसित करने का सबसे उपयुक्त स्थान विद्यालय होता है। इसलिये अध्यापक द्वारा मूल्यों की कमी को दूर करने को प्रोत्साहित किया गया। तथा अध्यापक को बताया गया कि वह किस प्रकार नैतिकता, सौन्दर्यगत, अध्यात्मिक भावनाओं को विकसित करें।

छात्रों में जनतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानताव वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस प्रकार अपनाकर विकसित करें।

शारीरिक शिक्षा व स्काउट गाइड के अन्तर्गत खेलकूद व योगाभ्यास कराया गया।

कार्यानुभव में कच्चे माल की आसानी से उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुये उनके बनाने की विधि तथा उनका प्रयोग और व्यवसाय सम्बन्धी विधियों को बताया गया।

निष्कर्ष :-

उपरोक्त प्रशिक्षण एक प्रकार से विद्यालय के सर्वांगीण विकास की योजना है। यह शिविर बहुत प्रभावी रहा और अधिक से अधिक प्रतिभागी लाभान्वित हुए। यह शिविर पूर्णतः आवासीय था। रहने और भोजन व जलपान की व्यवस्था सुचारू रुप से की गई जिससे सभी प्रतिभागी संतुष्ट थे। प्रतिभागियों को कुछ नई तकनीकी की जानकारी हुई। प्रतिभागियों का कहना था कि समय-समय पर हम लोगों को इसी प्रकार बुलाकर मार्ग दर्शन देकर लाभान्वित करते रहें। हम सभी प्रशिक्षण सम्बन्धी अभिज्ञानों को अपने-अपने विद्यालय में कार्यान्वित करके शिक्षा का विकास करेंगे। प्रतिभागियों द्वारा समापन बहुत ही प्रभावी ढंग से किया गया तथा सभी प्रतिभागियों के प्रत्येक समूह ने प्रशिक्षण में दस दित तक जो जानकारी प्राप्त की उसकी आख्या की एक-एक प्रति प्रस्तुत की व पढ़कर सुनाई। इस प्रकार दिनांक-१२-३-९२ को समापन के पश्चात यात्रा-भत्ता का भुगतान किया गया।

बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की अनुपस्थिति के कारण एवं निदान

श्रीमती सरिता गुप्ता
प्रभारी
सेवारत प्रशिक्षण, क्षेत्रीय सम्पर्क,
तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग

भूमिका :—

कुछ वर्षों से सभी की जिह्वा पर एक ही वाक्य है "शिक्षा का स्तर दिन प्रति गिरता जा रहा है"। शिक्षक, छात्र, अभिभावक सभी तो यही कहते हैं। शिक्षा के अवनयन के कारण क्या हैं ? इसका उत्तरदायी कौन है ? शिक्षक ? छात्र ? अभिभावक ? या सभी। यदि वास्तव में शिक्षा के स्तर का उन्नयन होगा तो इन तीनों के सहयोग से ही होगा। शिक्षक को लगन से पढ़ाना होगा। छात्रों को परिश्रम से पढ़ना होगा और अभिभावक को छात्रों एवं शिक्षक दोनों को ही सहयोग देना होगा।

शिक्षा वह प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा सम्पूर्ण समाज का सुधार किया जा सकता है। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान एवं डिग्री प्राप्त कर लेना नहीं है। शिक्षा सतत चलने वाली वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य जीवनपर्यन्त कुछ न कुछ सीखता रहता है। एक अच्छे शिक्षक का विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान उच्च कोटि का रखता है अपितु उच्च आदर्श भी रखता है। बच्चा शिक्षक की प्रत्येक क्रिया पर ध्यान देता है। शिक्षक क्या पहनता है ? कैसा आचरण करता है ? सर्वथा उसे आदर्श मानकर उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करता है। यदि हम यह मानते हैं तो यह भी मानना होगा कि बालक में व्याप्त बुराइयों के लिए कुछ तो दोषी शिक्षक भी है ही। समाज में शिक्षकों को जो स्थान प्राचीनकाल में था उस गरिमा को खोने का उत्तरदायित्व क्या शिक्षक पर नहीं है ? यद्यपि शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है और समाज में अपना स्तर बनाये रखने के लिये शिक्षक को काफी आर्थिक संघर्ष करना पड़ता है तथापि अर्थलाभ करते हुए शिक्षक को उचित अनुचित माध्यमों एवं अपनी गरिमा का ध्यान नहीं छोड़ना चाहिये। शिक्षण जीविकोपार्जन का साधन होते हुए भी जब तक त्याग की भावना से नहीं अपनाया जायेगा शिक्षक अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करने में सफल नहीं होगा।

अभी कुछ ही दिनों पूर्व शिक्षा के स्तर के उन्नयन को दृष्टिगत करते हुए शिक्षा जगत में व्याप्त एक दुष्प्रथा को रोकने के लिये सरकार ने नकल को संज्ञेय अपराध घोषित किया है। निश्चय ही यह नकल को

रोकने में काफी सफल हुआ है। यह एक साहसिक कदम है। शिक्षक, अभिभावक सभी नकल को रोकना चाहते हैं। नकल बन्द हो जाने से शिक्षा के स्तर में सुधार होगा छात्र पढ़ने की ओर अग्रसर होंगे। शिक्षक, छात्र तथा अभिभावक के त्रिकोण की एक कड़ी को हमने सुधारने का प्रयास किया। छात्र नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं होगी। कोचिंग तथा ट्यूशन पर भी सरकार प्रतिबन्ध लगाने जा रही है। अब यदि शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ायेंगे तो बिचारे छात्र वर्ग का क्या होगा ? यदि निष्पक्ष भाव से चिन्तन किया जाये तो शिक्षा के गिरते स्तर के लिए शिक्षक को क्या बिल्कुल दोषमुक्त पाते हैं ? शिक्षक पूर्ण निष्ठा से कार्य कर रहा हैं ? छात्रों के साथ न्याय हो रहा है ? उचित बौद्धिक विकास न होने पर छात्र नकल की ओर अग्रसर नहीं होंगे ?

इन परिस्थितियों में समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप संस्थान ने सबसे पहले अपने शिक्षक समाज की कमियों को ढूंढ़ने का प्रयास प्रारम्भ किया। समाचार पत्रों में तथा आपसी बातचीत में सभी ने पढ़ा एवं सुना होगा अभिभावक एवं छात्र शिक्षकों पर दोषारोपण करते हैं कि शिक्षक विद्यालय नहीं आते, यदि आते भी हैं तो कक्षाओं में नहीं आते। जब शिक्षक कक्षाओं में नहीं जाते तो छात्र क्या करें ? कैसे पढ़ें ? सभी तो कोचिंग एवं ट्यूशन का व्यय वहन कर सकने में समर्थ नहीं हैं। एक ओर तो शिक्षक पर यह दोषारोपण है और दूसरी ओर शिक्षकों की भी अपनी समस्यायें हैं। इसी संदर्भ में संस्थान से 'बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण एवं निदान' विषय पर एक रचनात्मक कार्यशाला आयोजित करने का संकल्प किया।

कार्यशाला की अवधि :-

बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण एवं निदान विषय पर दिनांक १३-३-९२ से १५-३-९२ तक एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पूर्णतः आवासीय थी। भोजन एवं आवास की व्यवस्था संस्थान के द्वारा की गई।

प्रतिभागियों की संख्या :-

इस कार्यशाला में जिले के विभिन्न अचलों से आये ७६ प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यशाला पर व्यय :-

कार्यशाला के संचालन हेतु रु० ५८६८-०० व्यय हुआ।

कार्यविधि :-

दिनांक १३-३-९२ को प्रतिभागियों का नामांकन प्रारम्भ हुआ। लगभग सभी प्रतिभागी प्रातः ११ बजे तक उपस्थित हो गये। सभी प्रतिभागियों को फाइल तथा पेन उपलब्ध कराने के पश्चात राजकीय बालिका इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या द्वारा कार्यशाला का विधिवत् उद्घाटन सम्पन्न हुआ। माननीया प्रधानाचार्या ने विषय पर प्रकाश डाला, प्रतिभागियों का अभिनन्दन किया एवं कार्यशाला की सफलता की कामना की।

इस कार्यशाला की प्रमुख एवं विशेष बात यह रही कि आये हुए शिक्षक प्रतिभागी प्रथम तो कार्यशाला के विषय को लेकर काफी उत्तेजित रहे। उनकी जिज्ञासा रही कि यह विषय कहां से आया ? ऐसा दोषारोपण हम पर किसने किया ? यह उचित नही है। एक बार तो ऐसा अनुभव हुआ कि यह कार्यशाला अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो भी पायेगी कि नहीं।

संस्थान के अनुभवी प्राचार्य द्वारा इस कार्यशाला की आवश्यकता पर विस्तृत प्रकाश डाला गया एवं शिक्षकों से इस सम्बन्ध में काफी चर्चा की। चर्चा के मध्य लगभग सभी शिक्षक विषय की गम्भीरता को समझने लगे। एवं विषय को दोषारोपण न समझकर इसे एक रचनात्मक सहयोग की ओर एक प्रयास अनुभव करने लगे। संस्थान की शिक्षिकाओं ने शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण एवं निदान पर भी अपने विचार प्रकट किये। शिक्षा के अतीत के इतिहास एवं आजकल शिक्षा के गिरते स्तर एवं उसके उन्नयन हेतु अनेक सुझाव प्रस्तुत किये। अब सभी प्रतिभागी इस कार्यशाला में सहर्ष रचनात्मक सहयोग देने को तत्पर हो चुके थे।

सब प्रतिभागियों को चार ग्रुपों में विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक ग्रुप ने अपने-अपने ग्रुप लीडर का चुनाव भी कर लिया।

दिनांक १४-३-९२ का पूरा समय प्रतिभागियों को अपने-अपने ग्रुप में चर्चा करने एवं विषय से सम्बन्धित बिन्दुओं को ढूंढ़ने एवं लिखने के लिये दिया गया। संस्थान की शिक्षिकाओ को प्रत्येक ग्रुप की कार्यवाही के नियमित संचालन एवं देखरेख का भार सौंपा गया। उन्होने समय-समय पर अपने अमूल्य सुझाव दिये।

सभी ग्रुपों में काफ़ी स्वस्थ वातावरण में बड़े मनोयोग से विषय पर चर्चा की गई। शिक्षकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। सभी अपना-अपना बिन्दु सबके समक्ष रखने एवं सबकी स्वीकृति पाने हेतु प्रयास रत थे। बिन्दुओं को नोट किया गया। सभी प्रतिभागियों ने पूर्ण सहयोग दिया।

दिनांक १५-३-९२ को चारों ग्रुपों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। रिपोर्टों के अनुसार बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की अनुपस्थिति के जो कारण एवं निदान प्रकाश में आये वह इस प्रकार थे।

कारण :-

१. शिक्षकों को अपने निवास के पास के विद्यालयों में न होने से विद्यालय एवं निवास की अधिक दूरी के कारण शिक्षक कभी-कभी अनुपस्थिति हो सकते हैं।

२. ऐसे स्थानों पर स्थानान्तरण हो जाना जहां रहने की उचित व्यवस्था न हो और आवागमन के अच्छे साधन भी न हों अधिकतर शिक्षक/शिक्षिकायें नहीं पहुंच पाती या देर से पहुंचते हैं।

३. शिक्षकों का बकाया भुगतान, वार्षिक वेतन वृद्धि या चयन वेतनमान अथवा भविष्य निधि से ऋण

आदि समय से प्राप्त नहीं होता जिसके कारण शिक्षकों को अनेकों बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं।

४– राजनीति में लिप्त या किसी उच्च अधिकारी का कृपा पात्र शिक्षक भी विद्यालय से अनुपस्थित होता है। उसकी होड़ में अन्य शिक्षक भी अनुपस्थित होने का प्रयास करते हैं। जिससे विद्यालय का सम्पूर्ण अनुशासन भंग होता है।

५– बहुधा अध्यापकों को सरकार की अन्य योजनाओं में संलग्न कर दिया जाता है जैसे चुनाव से पूर्व जनगणना हेतु सभी शिक्षकों को लगाया जाना, चुनाव के कार्य में लगाना, परिवार नियोजन संबंधी कार्यों में लगाना। इन सब कार्यों को करने में शिक्षक या तो विद्यालय से अनुपस्थित रहता हैं या यदि थोड़े समय के लिये विद्यालय में उपस्थित रहता भी है तो शिक्षण पर पूर्णरूपेण ध्यान नहीं दे पाता।

६– अध्यापक अपने बच्चों की शिक्षा समस्या से उलझे रहते हैं। शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा का प्रावधान नहीं है। शिक्षक अपने सीमित वेतन के द्वारा अपने बच्चों को वांछित उच्च शिक्षा देने में समर्थ नहीं हैं। जो व्यक्ति समाज के अन्य बच्चों को शिक्षा देता है, स्वयं उसके अपने बच्चे जब उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते तो उसके मन में कुंठा जागृत होती है और शिक्षण कार्य से अरुचि उत्पन्न होने लगती है तथा शिक्षक ट्यूशन, कोचिंग या अन्य व्यवसाय करने लगता हैं जिससे अपने बच्चों का सही पालन पोषण कर सके।

७– विद्यालयों में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त कार्यभार इतना अधिक बढ़ा दिया गया है कि शिक्षक उनमें लगा रहता है और कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता जैसे अनेक मदों के रजिस्टर बनाना आदि। केन्द्रीय मीटिंग, सरगना मीटिंग आदि में उपस्थित रहने से विद्यालय में नियमित उपस्थिति देने में असमर्थ रहता है।

८– अधिकारियों अथवा प्रशासन द्वारा योग्य शिक्षकों को न तो कोई पुरस्कार दिया जाता है और न ही कोई प्रोत्साहन। ऐसी दशा में कर्मठ एवं योग्य शिक्षकों के मन में कुंठा की भावना जागृत होती है। वे भी सोंचते हैं कि अच्छा व परिश्रम से कार्य करने से क्या लाभ जब सबको एक ही तराजू में तोला जाता है। इस प्रकार योग्य शिक्षकों के मन में शिक्षण के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, और विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति प्रभावित होती है।

९– शिक्षिकाओं के छोटे बच्चों के पालन पोषण की सुविधा न होने के कारण शिक्षिकायें या तो छोटे बच्चों को विद्यालय लेकर आती हैं तब उनका अधिक समय कक्षा में जाने की अपेक्षा अपने बच्चे की देखभाल में व्यतीत हो जाता है और यदि घर पर छोड़ कर आती हैं तो उनका ध्यान घर पर ही लगा रहता है। पूर्ण मनोयोग से विद्यालय में कार्य नहीं कर पाती। ग्रामों में विशेषकर जहां शिशु गृह नहीं हैं

और इसमँहगाई के समय में पूरे समय के लिये नौकर रखना शिक्षिका के लिये आर्थिक रूप से सम्भव नहीं है ।

१०– शिक्षकों एवं उनके परिवारों को सही चिकित्सा सुविधा प्राप्त न होने के कारण कभी-कभी शिक्षक धनाभाव में इधर-उधर चक्कर काटते हैं और विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं ।

११– प्रशासन दोषपूर्ण हैं, निरीक्षक वर्ग अपने निरीक्षण समयबद्ध ढंग से नहीं करते । यदि अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ हो जाये तो शिक्षक भी स्वयं ही ठीक ढंग से कार्य करने लगेगा । प्रशासन की यह अनियमिततायें अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों की उपस्थिति को प्रभावित करती हैं ।

१२– समाज का नैतिक पतन हो रहा है । शिक्षक भी इससे अछूता नहीं है क्योंकि वह भी समाज का ही एक अंग है । ईश्वर का भय मन में न होने के कारण वह अबोध बच्चे को अपनी अनुपस्थिति में होने वाली कठिनाइयों एवं उसके दुष्परिणामों की ओर ध्यान नहीं देता ।

निदान-

जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के विद्यालय से अनुपस्थित रहने अथवा देर से पहुँचने के उपर्युक्त कारणों के निम्न निदान कार्यशाला की आख्याओं के द्वारा प्रकाश में आये ।

१– शिक्षकों को अपने निवास के पास के विद्यालयों में रक्खा जाये जिससे शिक्षक समय से उपस्थित हो सकेंगे और अनुपस्थित भी यथासम्भव नहीं होंगे ।

२– शिक्षकों का स्थानान्तरण यदि ऐसे स्थान पर किया जाये जहाँ पर रहने की उचित व्यवस्था न हो और आवागमन के उचित साधन भी न हो वहां आवागमन का साधन उपलब्ध कराया जाये तथा आवास की सुविधा भी प्रदान की जाये ।।

३– शिक्षकों का बकाया भुगतान, वार्षिक वेतनवृद्धि या चयन वेतनमान अथवा भविष्य निधि से ऋण आदि लेने पर उन्हें कार्यालय द्वारा समय से प्राप्त करा दिया जाये जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आर्थिक संकट से न गुजरना पड़े और शिक्षण का समय कार्यालय के चक्कर काटने में न लगाना पड़े ।

४– उच्चाधिकारियों द्वारा सब शिक्षकों के साथ समान व्यवहार किया जाये । अपने कृपापात्रों को विद्यालय का अनुशासन भंग करने में सहायता न दी जाये जिससे अन्य सभी शिक्षक भी विद्यालय के नियमों का विधिपूर्वक पालन करें ।

५– शिक्षक जो कि शिक्षण जैसा महत्वपूर्ण कार्य करता है और जिसके साथ अनेकों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है उसे सरकार की अन्य योजनाओं जैसे जनगणना, परिवार नियोजन, चुनाव आदि में यथासम्भव न लगाया जाये जिससे शिक्षण कार्य पर प्रभाव न पड़े ।

६– अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान हो जिससे शिक्षक अपने पालितों की शिक्षा के लिये चिन्तित न रहे और धनाभाव में उच्च शिक्षा देने में असमर्थ न रहे। शिक्षक में अपने बच्चे को उच्च शिक्षा न दे पाने की कुंठा न होने पर अपने विद्यार्थियों को वे पूर्ण मनोयोग से पढ़ा सकेंगे।

७– विद्यालय में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य शिक्षकों से न करवाये जायें। जिससे शिक्षक को शिक्षण की तैयारी करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

८– अधिकारियों द्वारा अथवा प्रशासन के द्वारा योग्य शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाये एवं प्रोत्साहन दिया जाए जिससे शिक्षकों में कर्तव्यनिष्ठा एवं लगन से कार्य करने के लिये उत्साह बना रहे।

९– शिक्षिकाओं के शिशुओं के पालन के लिये विद्यालय में एक अलग कमरा हो जिसमें एक महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनकी देखभाल करे जिससे शिक्षिकाओं को अपने बच्चों की चिन्ता न रहे।

१०– शिक्षकों एवं उनके परिवारों को सही चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए जिससे शिक्षक अपनी पारिवारिक चिन्ताओं से मुक्त होकर लगन से शिक्षण कार्य कर सकें।

११– प्रशासक अपने कर्तव्य को निभाएं तथा निरीक्षण होते रहें इससे अप्रत्यक्ष रुप से उपस्थिति पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्त सभी निदानों के साथ-साथ यह तो कटु सत्य है कि यदि शिक्षक स्वयं नैतिक न हो उसके मन में ईश्वर का भय न हो कि हम बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक न हो तो कितनी भी सुविधायें प्राप्त हो जाने पर भी वह अच्छा शिक्षण नहीं करेगा शिक्षण में यदि रुचि नहीं है तो व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता।

निष्कर्ष–

इस प्रकार जो कार्यशाला एक तीव्र उत्तेजना के साथ प्रारम्भ हुई अत्यन्त शालीनता के साथ समाप्त हुई। चारों ग्रुपों की आख्यायें पढ़े जाने के पश्चात शिक्षकों ने छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जिससे अनेकों शिक्षकों की प्रतिभायें प्रकाश में आई। माननीय प्राचार्य जी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य के साथ कार्यशाला का समापन किया। शिक्षक अपना-अपना यात्रा-भत्ता लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने विद्यालय वापिस चले गये।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का कार्यानुभव सम्बन्धी प्रशिक्षण

श्रीमती राशदा शरफ
प्रभारी
कार्यानुभव विभाग

भूमिका :—

कार्यानुभव को सभी स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा उद्देश्य पूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है । इससे समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं मिलती है ।

शिक्षा के समाज वादी हल को सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने पहचाना इसी लिए उन्होंने बुनियादी तालीम का उद्देश्य कर्म रखा था और कहा था "अक्षर ज्ञान और उद्योग अलग-अलग चीजें नहीं हैं" कर्म रहित शिक्षा को गान्धी जी मनुष्य के "सतत गुलाम" बने रहने की भयावहता में देखते थे । कार्यानुभव शिक्षा में सुधार की दृष्टि से कई वर्षों में विभिन्न आयोगों द्वारा पाठ्य क्रम में किया जैसे :—

१— १९३५ में बेसिक शिक्षा के रूप में आया ।

२— १९५३ में मुदालियर आयोग ने ।

३— १९६६ में कोठारी आयोग ने कार्यानुभव (बर्क इक्सपीरियन्स) की अभिसंसा की परन्तु सफलता न मिली फिर भी इसकी महत्ता को नकारा न जा सका । तथा १९७७ में गठित ईश्वर भाई पटेल समिति ने १० वर्षीय स्कूली शिक्षा के पाठ्य क्रम समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों में प्रवृत्त करने की बात को स्वीकार किया । समिति ने यह भी अनुशसां की कि १० वर्षीय स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय । इसको शिक्षा का आधार बनाया जाय । कार्यानुभव उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा प्रयोजन-निष्ठ शारीरिक श्रम कार्य हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ के संदर्भ में राजस्थान में इस विषय को पूर्ण व्यवसायिक आधार देने की संकल्पना की गयी तथा हाथ से कार्य करने की आदत व श्रम के प्रति निष्ठा को स्कूली शिक्षा के लक्षणों का अपरिहार्य अंग माना गया ।

प्रशिक्षण की अवधि-

प्रशिक्षण शिविर दिनांक २१-३-९२ से ३०-३-९२ तक चला। यह दस दिवसीय प्रशिक्षण पूर्णतया आवासीय था भोजन आदि का संचालन संस्थान के द्वारा किया गया।

प्रशिक्षार्थियों की संख्या-

इस प्रशिक्षण में ६१ प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया और यह प्रतिभागी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाएं थीं।

प्रशिक्षण पर व्यय-

कार्यानुभव प्रशिक्षण पर कुल रुपये १४, ८१६-०० मात्र व्यय हुआ।

प्रशिक्षण का उद्देश्य-

इस संस्थान के प्राचार्य महोदय ने कार्यानुभव खेल-कूद एवं स्काउटिंग/गाइडिंग के महत्व को स्वीकारा तथा निम्नलिखित उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए कार्यानुभव के प्रशिक्षण का आयोजन किया।

१- जनपद के विद्यालय स्तर के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यानुभव के महत्व को बताना।

२- कार्यानुभव स्थान परक आवश्यकता परक एवं मुद्रा साध्य हो।

३- बाल केन्द्रित कार्यानुभव हो।

४- उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्तर पर दिए जाने वाले पूर्व व्यवसायिक कार्य क्रमों से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक कार्यक्रमों में सहायता मिले।

५- शिक्षा की कुशलता के साथ-साथ अनुकुशलताओं और ज्ञान स्तर की वृद्धि हो।

कार्य विधि-

दिनांक २१-३-९२ को प्रातः दस बजे से एक बजे अपरान्ह तक प्रतिभागियों का पंजीकरण किया गया तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी विभिन्न विषयों से संबन्धित लेख आदि की फाइल तथा पेन वितरित किया गया ताकि प्रशिक्षण के दौरान एवं बाद में इन्हें मार्ग दर्शन मिल सके। पंजीकरण के समय लगभग ११.०० बजे (ग्यारह बजे) प्रतिभागियों को चाय नाश्ता बाँटा गया।

अपरान्ह २.१० बजे भोजन के पश्चात आदरणीय प्राचार्य महोदय ने प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण द्वारा कार्यानुभव के महत्व, क्रियाविधि, खेलकूद, योगासन तथा स्काउटिंग/गाइडिंग के विषय को स्पष्ट सरल तथा उच्च विचार से अवगत कराया। आपके भाषण से प्रतिभागी तो लाभान्वित हुए ही साथ ही हम सभी संदर्भ दाताओं को भी मार्गदर्शन मिला। प्राचार्य महोदय के भाषण के फलस्वरुप प्रतिभागियों को नई चेतना मिली साथ ही प्रशिक्षण को अधिकाधिक ग्रहण करने की जिज्ञासा हुई। उद्घाटन के पश्चात प्रतिभागियों को टोली में विभाजित किया गया क्योंकि समस्त प्रशिक्षण टोली विधि में दी जाती थी। सायं

और इसमँहगाई के समय में पूरे समय के लिये नौकर रखना शिक्षिका के लिये आर्थिक रूप से सम्भव नहीं है ।

१०- शिक्षकों एवं उनके परिवारों को सही चिकित्सा सुविधा प्राप्त न होने के कारण कभी-कभी शिक्षक धनाभाव में इधर-उधर चक्कर काटते हैं और विद्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं ।

११- प्रशासन दोषपूर्ण है, निरीक्षक वर्ग अपने निरीक्षण समयबद्ध ढंग से नहीं करते । यदि अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ हो जाये तो शिक्षक भी स्वयं ही ठीक ढंग से कार्य करने लगेगा । प्रशासन की यह अनियमिततायें अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों की उपस्थिति को प्रभावित करती हैं ।

१२- समाज का नैतिक पतन हो रहा है । शिक्षक भी इससे अछूता नहीं है क्योंकि वह भी समाज का ही एक अंग है । ईश्वर का भय मन में न होने के कारण वह अबोध बच्चे को अपनी अनुपस्थिति में होने वाली कठिनाइयों एवं उसके दुष्परिणामों की ओर ध्यान नहीं देता ।

निदान-

जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के विद्यालय से अनुपस्थित रहने अथवा देर से पहुँचने के उपर्युक्त कारणों के निम्न निदान कार्यशाला की आख्याओं के द्वारा प्रकाश में आये ।

१- शिक्षकों को अपने निवास के पास के विद्यालयों में रक्खा जाये जिससे शिक्षक समय से उपस्थित हो सकेंगे और अनुपस्थित भी यथासम्भव नहीं होंगे ।

२- शिक्षकों का स्थानान्तरण यदि ऐसे स्थान पर किया जाये जहाँ पर रहने की उचित व्यवस्था न हो और आवागमन के उचित साधन भी न हो वहां आवागमन का साधन उपलब्ध कराया जाये तथा आवास की सुविधा भी प्रदान की जाये ।।

३- शिक्षकों का बकाया भुगतान, वार्षिक वेतनवृद्धि या चयन वेतनमान अथवा भविष्य निधि से ऋण आदि लेने पर उन्हें कार्यालय द्वारा समय से प्राप्त करा दिया जाये जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आर्थिक संकट से न गुजरना पड़े और शिक्षण का समय कार्यालय के चक्कर काटने में न लगाना पड़े ।

४- उच्चाधिकारियों द्वारा सब शिक्षकों के साथ समान व्यवहार किया जाये । अपने कृपापात्रों को विद्यालय का अनुशासन भंग करने में सहायता न दी जाये जिससे अन्य सभी शिक्षक भी विद्यालय के नियमों का विधिपूर्वक पालन करें ।

५- शिक्षक जो कि शिक्षण जैसा महत्वपूर्ण कार्य करता है और जिसके साथ अनेकों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है उसे सरकार की अन्य योजनाओं जैसे जनगणना, परिवार नियोजन, चुनाव आदि में यथासम्भव न लगाया जाये जिससे शिक्षण कार्य पर प्रभाव न पड़े ।

६– अध्यापकों के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान हो जिससे शिक्षक अपने पालितों की शिक्षा के लिये चिन्तित न रहे और धनाभाव में उच्च शिक्षा देने में असमर्थ न रहे। शिक्षक में अपने बच्चे को उच्च शिक्षा न दे पाने की कुंठा न होने पर अपने विद्यार्थियों को वे पूर्ण मनोयोग से पढ़ा सकेंगे।

७– विद्यालय में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य शिक्षकों से न करवाये जायें। जिससे शिक्षक को शिक्षण की तैयारी करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

८– अधिकारियों द्वारा अथवा प्रशासन के द्वारा योग्य शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाये एवं प्रोत्साहन दिया जाए जिससे शिक्षकों में कर्तव्यनिष्ठा एवं लगन से कार्य करने के लिये उत्साह बना रहे।

९– शिक्षिकाओं के शिशुओं के पालन के लिये विद्यालय में एक अलग कमरा हो जिसमें एक महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनकी देखभाल करे जिससे शिक्षिकाओं को अपने बच्चों की चिन्ता न रहे।

१०– शिक्षकों एवं उनके परिवारों को सही चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए जिससे शिक्षक अपनी पारिवारिक चिन्ताओं से मुक्त होकर लगन से शिक्षण कार्य कर सकें।

११– प्रशासक अपने कर्तव्य को निभाएं तथा निरीक्षण होते रहें इससे अप्रत्यक्ष रुप से उपस्थिति पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

उपर्युक्त सभी निदानों के साथ-साथ यह तो कटु सत्य है कि यदि शिक्षक स्वयं नैतिक न हो उसके मन में ईश्वर का भय न हो कि हम बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक न हो तो कितनी भी सुविधायें प्राप्त हो जाने पर भी वह अच्छा शिक्षण नहीं करेगा शिक्षण में यदि रुचि नहीं है तो व्यक्ति एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता।

निष्कर्ष—

इस प्रकार जो कार्यशाला एक तीव्र उत्तेजना के साथ प्रारम्भ हुई अत्यन्त शालीनता के साथ समाप्त हुई। चारों ग्रुपों की आख्यायें पढ़े जाने के पश्चात शिक्षकों ने छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जिससे अनेकों शिक्षकों की प्रतिभायें प्रकाश में आई। माननीय प्राचार्य जी ने अपने ओजस्वी वक्तव्य के साथ कार्यशाला का समापन किया। शिक्षक अपना-अपना यात्रा-भत्ता लेकर प्रसन्नतापूर्वक अपने विद्यालय वापिस चले गये।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का कार्यानुभव सम्बन्धी प्रशिक्षण

श्रीमती राशदा शरफ
प्रभारी
कार्यानुभव विभाग

भूमिका :—

कार्यानुभव को सभी स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा उद्देश्य पूर्ण और सार्थक शारीरिक काम है जो सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है । इससे समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं मिलती है ।

शिक्षा के समाज वादी हल को सबसे पहले और सबसे अच्छी तरह हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी ने पहचाना इसी लिए उन्होंने बुनियादी तालीम का उद्देश्य कर्म रखा था और कहा था "अक्षर ज्ञान और उद्योग अलग-अलग चीजें नहीं हैं" कर्म रहित शिक्षा को गान्धी जी मनुष्य के "सतत गुलाम" बने रहने की भयावहता में देखते थे। कार्यानुभव शिक्षा में सुधार की दृष्टि से कई वर्षों में विभिन्न आयोगों द्वारा पाठ्य क्रम में किया जैसे :—

१— १९३५ में बेसिक शिक्षा के रूप में आया ।

२— १९५३ में मुदालियर आयोग ने ।

३— १९६६ में कोठारी आयोग ने कार्यानुभव (वर्क इक्सपीरियन्स) की अभिसंसा की परन्तु सफलता न मिली फिर भी इसकी महत्ता को नकारा न जा सका । तथा १९७७ में गठित ईश्वर भाई पटेल समिति ने १० वर्षीय स्कूली शिक्षा के पाठ्य क्रम समाजोपयोगी उत्पादक कार्यो में प्रवृत्त करने की बात को स्वीकार किया। समिति ने यह भी अनुशसां की कि १० वर्षीय स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाय। इसको शिक्षा का आधार बनाया जाय। कार्यानुभव उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा प्रयोजन-निष्ठ शारीरिक श्रम कार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति १९८६ के संदर्भ में राजस्थान में इस विषय को पूर्ण व्यवसायिक आधार देने की संकल्पना की गयी तथा हाथ से कार्य करने की आदत व श्रम के प्रति निष्ठा को स्कूली शिक्षा के लक्षणों का अपरिहार्य अंग माना गया।

प्रशिक्षण की अवधि-

प्रशिक्षण शिविर दिनांक २१-३-९२ से ३०-३-९२ तक चला। यह दस दिवसीय प्रशिक्षण पूर्णतया आवासीय था भोजन आदि का संचालन संस्थान के द्वारा किया गया।

प्रशिक्षार्थियों की संख्या-

इस प्रशिक्षण में ६१ प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया और यह प्रतिभागी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाएं थीं।

प्रशिक्षण पर व्यय-

कार्यानुभव प्रशिक्षण पर कुल रुपये १४, ८१६-०० मात्र व्यय हुआ।

प्रशिक्षण का उद्देश्य-

इस संस्थान के प्राचार्य महोदय ने कार्यानुभव खेल-कूद एवं स्काउटिंग/गाइडिंग के महत्व को स्वीकारा तथा निम्नलिखित उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए कार्यानुभव के प्रशिक्षण का आयोजन किया।

१- जनपद के विद्यालय स्तर के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यानुभव के महत्व को बताना।

२- कार्यानुभव स्थान परक आवश्यकता परक एवं मुद्रा साध्य हो।

३- बाल केन्द्रित कार्यानुभव हो।

४- उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्तर पर दिए जाने वाले पूर्व व्यवसायिक कार्य क्रमों से उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक कार्यक्रमों में सहायता मिले।

५- शिक्षा की कुशलता के साथ-साथ अनुकुशलताओं और ज्ञान स्तर की वृद्धि हो।

कार्य विधि-

दिनांक २१-३-९२ को प्रातः दस बजे से एक बजे अपरान्ह तक प्रतिभागियों का पंजीकरण किया गया तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी विभिन्न विषयों से संबन्धित लेख आदि की फाइल तथा पेन वितरित किया गया ताकि प्रशिक्षण के दौरान एवं बाद में इन्हें मार्ग दर्शन मिल सके। पंजीकरण के समय लगभग ११.०० बजे (ग्यारह बजे) प्रतिभागियों को चाय नाश्ता बाँटा गया।

अपरान्ह २. ३० बजे भोजन के पश्चात आदरणीय प्राचार्य महोदय ने प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण द्वारा कार्यानुभव के महत्व, क्रियाविधि, खेलकूद, योगासन तथा स्काउटिंग/गाइडिंग के विषय को स्पष्ट सरल तथा उच्च विचार से अवगत कराया। आपके भाषण से प्रतिभागी तो लाभान्वित हुए ही साथ ही हम सभी संदर्भ दाताओं को भी मार्गदर्शन मिला। प्राचार्य महोदय के भाषण के फलस्वरुप प्रतिभागियों को नई चेतना मिली साथ ही प्रशिक्षण को अधिकाधिक ग्रहण करने की जिज्ञासा हुई। उद्घाटन के पश्चात प्रतिभागियों को टोली में विभाजित किया गया क्योंकि समस्त प्रशिक्षण टोली विधि में दी जाती थी। सायं

चाय के पश्चात प्रतिभागियों को कार्यानुभव एवं खेलकूद, स्काउटिंग/गाइडिंग की समबद्धता की विस्तृत जानकारी दी गई। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक विकास की भी आवश्यता है। खेलकूद के कार्यक्रमों से यह आशय है कि बालक अथवा बालिका व्यक्तिगत अथवा सामूहिक क्रिया कलापों द्वारा अपना बौद्धिक एवं शारीरिक विकास कर सके। उसे दौड़ने कूदने एवं फेकनें का अभ्यास हो सके। खेलकूद के कार्य-क्रम के लिए प्रत्येक स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन आवश्यक है। खेल कूद कार्यक्रमों में जीतने पर विनम्रता एवं हार जाने में उत्साह बनाएं रखने की शिक्षा दी जाती हैं खेल कूद द्वारा ही धैर्य, हीन भावना, साहस, लक्ष्य भेदन, संघर्ष, जय-पराजय, शक्ति एवं शौर्य आदि की शिक्षा दी जा सकती है।

स्काउटिंग/गाइडिंग खेल कूद के उद्देश्यों को भी पूरा करता है साथ ही इसके द्वारा कार्यानुभव के लक्ष्य को भी पूर्ण करता है। क्योंकि यह व्यवहारिक ज्ञान है उसमें नैतिकता कार्य कुशलता और दक्षता बैजेज द्वारा विभिन्न कौशल सिखाया जाता है। जैसे अग्नि शमन, प्राथमिक चिकित्सा, टैन्ट पिचिंग, ममोमा, मोर्स, सीटी व हाथ तथा धुयें के संकेतों से लेकर शत्रु देशों से होशियार रहना भी सिखाया जाता है।

स्काउटिंग/गाइडिंग दक्षता के बैजेज द्वारा आवश्यकता स्थान परख एवं रुचि परख के उद्देश्यों को भी पूर्ण करता है और यही उद्देश्य कार्यानुभव का भी है। इसीलिए स्काउटिंग/गाइडिंग को खेलकूद और कार्यानुभव से अलग नहीं किया जा सकता।

कार्यानुभव, खेल-कूद एवं स्काउटिंग/गाइडिंग राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध को भी मजबूत करता है। इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञ वार्ता से कार्यानुभव संधारणा पर की गयी परिचर्चा बड़ी सफल रही। प्रतिभागियों की जिज्ञासा को भी बल मिला।

कार्यानुभव प्रशिक्षण प्रतिदिन सर्वधर्म प्रार्थना से आरम्भ किया जाता था भारतवर्ष में बसे आठ धर्मों के धर्मावलम्बियों के विषय में बताया जाता था तथा उनके धर्मों के पूजा का ढंग तथा प्रार्थना बताई गई। इन प्रार्थनाओं के करने से तथा उसका अर्थ बताने पर यह सर्व मान्य रहा कि सभी धर्मों के आधार भूत उद्देश्य एक हैं। सभी धर्मावलम्बियों की मंजिल एक हैं तथा रास्ते अलग-अलग हैं जो अपने-अपने रुचि या संस्कार के आधार पर चुने गये। प्रतिभागियों ने भी इसी दृष्टिकोण को व्यक्त किया। निर्गुण प्रार्थना भी की गयी।

हिन्दू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म तथा सिक्ख धर्म की ही प्रार्थनाये उपलब्ध हो सकी थी प्रतिभागियों ने शेष ३ धर्मों की प्रार्थना की जिज्ञासा की इन धर्मों की प्रार्थना के अर्थ को विश्लेषण किया जाता था तथा परिचर्चा से विदित हुआ कि वास्तव में वास्तविक धर्म मानवता का धर्म है।

सर्वधर्म प्रार्थना के पश्चात् योगाभ्यास कराया जाता था जिसमें ध्यान, भुस्त्रिका व शीतली प्राणायाम कराया जाता था साथ ही बताया गया कि सभी रोगों के लिए यह उपयोगी है। सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास

कराया। पश्चिमोत्तान व भुजंगासन कराये गये।

पद्मासन तथा शवासन में ध्यान कराया जाता था। प्रतिभागियों की रुचि रही तथा उनकी जिज्ञासा पर किस रोग में कौन सा आसन करना चाहिए बताया गया। एक विशेष बात सर्वमान्य रही कि ध्यान या योगाभ्यास में अपने अपने धर्मानुसार मंत्र को दुहराया जा सकता है क्योंकि सभी ईश्वर प्राप्ति के लिए उत्सुक रहते हैं।

ध्वज शिष्टाचार के पश्चात प्रतिदिन जलपान का आयोजन। जलपान व्यवस्था से प्रतिभागी पूर्ण संतुष्ट थे।

कार्यानुभव में सतत मूल्यांकन पर परिचर्चा की गयी प्रतिभागियों की जिज्ञासा के द्वारा सतत मूल्यांकन का आशय है 'निरन्तर मूल्यांकन'। क्रिया कलापों का सुसंगठित एवं सुनियोजित ढंग से प्रतियोगिताओं के आधार पर अभिलेखों का रखरखाव के साथ मूल्यांकन किया जाय जिससे छात्र एवं अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में उपलब्धियों का ज्ञान होता रहे।

विद्यालय में खेल कूद एवं कार्यानुभव के मूल्यांकन व्यवस्था के क्रियान्वयन के प्रमुख बिन्द भी बताये गये जैसे :--

१- गृह प्रणाली का संचालन
२- विद्यार्थी पदाधिकारियों का चयन/नामांकन
३- संचयी अभिलेखों का मुद्रण
४- बिद्यालय में आयोजित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण
५- विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों का आवंटन
६- विद्यालय की समय सारिणी का लचीलापन
७- कार्यानुभव एवं खेलकूद का समय विभाजन चक्र
८- अभिलेखों का रखरखाव
९- संचयी अभिलेखों की प्रविष्टि तथा अभिभावकों को सूचित करना।
१०- विद्यालय संकुल निर्धारण करना
११- विद्यार्थी विकास समिति
१२- विशेषज्ञों की सहभागिता

कार्यानुभव चूंकि बाल केन्द्रित साथ ही रुचियों, योग्यता एवं आवश्यकताओं पर भी आधारित है। अत: आवश्यकताओं रुचियों के अनुसार हो सकता है कि कच्चे माल बालकों को उनके परिसर से प्राप्त न हो सके। इसके लिए उन्हें कच्चे माल बाहर से मंगाना पड़े। अत: कच्चे माल की प्राप्ति के लिये धन की व्यवस्था

कहाँ से की जाये बताया गया। प्रतिभागियों से कहा गया कि इस सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से सम्पर्क अवश्य स्थापित करें।

कार्यानुभव में निम्नलिखित सामग्रियों को बनाने की विधि बताई गई साथ ही उनके प्रयोगात्मक कार्य भी कराये गये जो टोलियों के द्वारा किया गया कार्यानुभव प्रयोगात्मक में भी प्रतिभागियों ने पूर्णरुचि दिखाई। सामग्री :—

१— नहाने का पीयर्स टाइप साबुन

२— धूपबत्ती

३— सादा मरहम

४— अमृतधारा

५— हिंगाष्टक

६— नमक सुलेमानी

७— घड़ी (जो घड़ियाँ बाजार में बिकती है उनसे बहुत सस्ती तैयार हुई)

नमक सुलेमानी हिंगाष्टक, अमृतधारा के प्रयोग से पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, भी बताया गया। कार्यानुभव के प्रयोगात्मक के साथ-साथ प्रतिभागी वार्ता भी रही। प्रतिभागियों ने स्वयं भी अपने अनुभव के आधार पर कुछ वस्तुएं बनानी सिखाई। जैसे ग्राइप वाटर, नीम का मरहम, पेट के कीड़े मारने की देशी दवाएं। फलों व सब्जियों के उपयोग से दूर होने वाले रोगों के बारे में वार्ता की गयी। जैसे निहार मुँह प्रातः टमाटर या सरसों के तेल के सेवन से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं।

कार्यानुभव से स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्र सुरक्षा को कदापि अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रशिक्षण में स्वास्थ्य शिक्षा, संतुलित आहार एवं कैलोरी के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई। प्रतिभागियों की जिज्ञासा पर "क्या प्रशिक्षण में दिया जाने वाला भोजन बताये जाने वाले भोजन के अनुरूप ही है"? प्रतिभागियों की इस जिज्ञासा को पूर्णतया संतुष्ट किया गया तथा प्रतिभागियों ने स्वीकारा भी कि उन्हें पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण भोजन दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में भोजन व्यवस्था उत्तम थी।

राष्ट्र सुरक्षा में नागरिक सुरक्षा सर्वोपरि है कहा भी जाता है कि जान है तो जहान हैं। अतः प्रतिभागियों को नागरिक सुरक्षा का ज्ञान कराया गया प्राचीन काल के युद्ध कौशल तथा आधुनिक काल के युद्ध कौशल के विषय में ज्ञान दिया गया। प्राचीन समय के युद्ध के उद्देश्य तथा आज-कल के युद्ध के उद्देश्यों से अवगत कराया गया तथा समझाने के लिए कक्षा तीन के 'काठ का घोड़ा" नामक पाठ की सहायता से स्पष्ट किया गया।

युद्ध के समय युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के बाद की सावधानियां भी बताई गई आज का युग हवाई आक्रमण का युग है। अतः नागरिक सुरक्षा का दायित्व जहां सरकार पर है वहां नागरिक अपनी सुरक्षा स्वयं

करने से इनकार नहीं कर सकता। हर घर के वासियों को हवाई आक्रमण से पूर्व, हवाई आक्रमण के समय तथा हवाई आक्रमण के बाद की क्रियाओं से अवगत होना चाहिए। यह भी मालूम होना चाहिए कि हवाई आक्रमण की चेतावनी मिलने पर घर में होने पर, सड़क पर स्कूल या पिक्चरहाल में होने पर क्या करना चाहिए।

युद्ध के समय ब्लैक आउट (प्रकाश प्रतिबन्ध) के महत्व को बताया गया। अग्नि शमन विधि तथा अग्नि शमन यन्त्र से परिचित कराया गया नागरिक सुरक्षा हेतु शासन द्वारा किये गये उपायों के विषय में बताया गया प्रतिभागियों के आकर्षण का विषय बना–प्रतिभागियों की जिज्ञासा पर "गाँव में इसकी क्या आवश्यकता है" ? पर उन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा समझाया गया :—

१– आकस्मिक घटना कहीं भी हो सकती है।

२– आज का ग्राम उनके आने वाली पीढ़ी तक व्यवसायिक केन्द्र या बड़ी फैक्ट्री के कारण एक महानगर में परिवर्तित हो जायेगा तथा उनके पालितों को पूर्ण ज्ञान आप द्वारा हो चुका होगा।

प्रतिभागियों को जन माध्यम, ह्रास अवरोध, बढ़ता बच्चा और उसकी समस्याओं, अनौपचारिक शिक्षा, बहु कक्षा शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता पर वार्ता की गयी। प्रदूषण को दूर करने तथा वृक्षारोपण पर भी विशेष ध्यान दिया गया क्यों कि प्रदूषण के कारण प्रकृति में तीव्रता से बढ़ती विषमता जैसे "ओजोन" में छिद्र के प्रभाव को भी बताया गया। प्रतिभागियों ने इसमें बड़ी रूचि दिखाई। छात्र को गणित भाषा एवं विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों को सरल एवं रूचिकर ढंग से पढ़ाने तथा सिखाने की विधियों पर परिचर्चा हुई। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है पर भी बातें की गयी।

प्रशिक्षण शिविर में प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता था। जिससे प्रतिभागियों की प्रतिभा उभर कर आयी और उनका विचार था कि यदि इस प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन न किया जाता तो प्रतिभा सभी के समझ न आती। प्रशिक्षण का समापन कैम्प फायर के विशेष आयोजन द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी। इन्होंने यह भी संकल्प लिया कि प्राचीन काल से चली आ रही कहावत—

"पढ़े फारसी बेचें तेल,
देखो यह कुदरत का खेल"।

को कदाचित चरितार्थ न होने देंगे।

बिछोह शब्द ही दुखपूर्ण है। प्रतिभागी बिछोह बेला से प्रभावित हुए बिना न रह सके उनके कथनानुसार १० दिवसीय शिविर पलक झपकते ही बीत गये।

निष्कर्ष–

कार्यानुभव प्रशिक्षण के द्वारा प्रतिभागियों ने जाना कि वास्तव में यह विषय बाल केन्द्रित है साथ ही साथ बालकों के रुचियों तथा आवश्यकताओं पर आधारित है। यह उत्पादक कार्य एवं प्रयोजन निष्ठ है, सार्थक श्रम

कार्य है जो शिक्षार्थी में ज्ञान क्रम के प्रति रूझान एवं दक्षता का विकास करता है इसके उत्पादन रखरखाव और सामुदायिक सेवा को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रवृत्ति के माध्यम से न केवल श्रम के प्रति आस्था और आदत की भावना का विकास होता है अपितु समाज में कठोर शारीरिक श्रम करने वाले के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थी को भावी जीवन के लिए तैयार करना है इसके द्वारा प्राप्त अनुभव से आगे चलकर रोजगार पाने में सहायक होगा। यही कामना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू, स्व० श्रीमती इन्दिरा गाँधी की थी। उनके विचारों में हमारा देश काफी बड़ा है। लेकिन हम देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षो में उसने काफी प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि इस प्रगति में छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे आशा है कि आने वाले वर्षों में यह प्रगति और बढ़ेगी।

पं० जवाहरलाल नेहरू

एक जमाना था जब किवाड़ों में लगाने वाली कुन्डी तथा सुई भी विदेश से मंगानी पड़ती थी। परन्तु अब बुनियादी तामील में इस विषय को पाठ्यक्रम का एक अंग बना देने पर आशा की जाती है कि देश की इतनी उन्नति होगी कि वह बाहर से सामान मंगाने के स्थान पर सामग्री स्वयं निर्यात करेगा।

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक/अनुदेशिकाओं का अभिनवीकरण प्रशिक्षण

श्रीमती शोभा सरीन
प्रभारी
जिला संसाधन इकाई

भूमिका :—

अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था एक क्रियात्मक कार्यक्रम है जो हमारे राज्य में १९७४–७५ से प्रारम्भ किया गया है जिसके स्वरूप का निश्चय विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के अनुरूप किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा की सीमाओं और कमियों की पूर्ति करती है। यह योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा निरक्षर एवं अपूर्ण रूप से शिक्षित को शिक्षित करती है।

सुदृढ़ एवं उन्नत जनतंत्र का आधार शिक्षित जनमत है। जब तक किसी भी देश में अज्ञान और निरक्षरता रहेगी समाज के पीड़ित तथा दुर्बल वर्ग का उत्थान नहीं हो सकेगा। औपचारिक शिक्षा सामान्य जन की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने के कारण सार्वजनिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं कर पाई। सार्वजनीय लक्ष्य की पूर्ति हेतु शिक्षा को औपचारिक के साथ-साथ अनौपचारिक स्वरूप अपनाने की विशेष आवश्यकता है। औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था मिलकर ही समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है।

अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की पूरक व्यवस्था है क्योंकि औपचारिक शिक्षा प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कार्यक्षमताओं एवं निपुणताओं में वृद्धि के लिए अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता जीवन पर्यन्त महसूस होती है। ऐसे बालक बालिकाओं जिन्होंने सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक कारणों से औपचारिक शिक्षा को अधूरा छोड़ दिया है अथवा औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया है उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा नीति एक मात्र विकल्प है।

अनौपचारिक शिक्षा अब केवल कल्पना ही नहीं वरन् एक अनिवार्य आवश्यकता भी बन गई है। भारत जैसे निर्धन देश में सभी बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है सभी बच्चों को शिक्षित करने के लिये न तो सरकार के पास धन है और न सभी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा देने में समर्थ है।

संविधान में व्यक्त किये गये अनिवार्य सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। अनौपचारिक शिक्षा ही इसका विकल्प है।

प्रशिक्षण की अवधि :-

यह अनुदेशिकाओं का प्रशिक्षण दस दिवसीय रहा जो दिनांक २१-३-९२ से ३०-३-९२ तक चला। प्रशिक्षण पूर्णतः आवासीय था तथा भोजन व्यवस्था का संचालन संस्थान द्वारा किया गया।

अनुदेशिकाओं की संख्या :-

इस प्रशिक्षण में ५७ अनुदेशिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रशिक्षण पर व्यय :-

इस दस दिवसीय अनौपचारिक प्रशिक्षण पर १२,४०४-०० रु० व्यय हुए।

प्रशिक्षण के उद्देश्य :-

अनुदेशिकाओं को प्रशिक्षण के द्वारा यह सिखाना कि वह किस प्रकार शिक्षण कार्य करे कि अनौपचारिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

१- विद्यालय छोड़ चुके तथा प्राथमिक विद्यालय न जाने वाले बालकों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करना।

२- समाजोपयोगी उत्पादन कार्यों के आधार पर बालकों में उनके समुदाय के विभिन्न व्यवसायों से सम्बन्धित कार्य कुशलता की वृद्धि करना।

३- बालकों में न्यूनतम भाषायी कौशलों जैसे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की योग्यता का विकास करना।

४- बालकों को स्थानीय पर्यावरण की विभिन्न परिस्थितियों को देखने समझने तथा उनके सार्थक उपयोग कर सकने के अनुभव प्रदान करना।

५- बालकों को दैनिक जीवन में व्याप्त वैज्ञानिक तथ्यों तथा उनके महत्व की जानकारी देना।

६- बालकों को अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने में दक्ष बनाना।

७- बालकों को अपने पर्यावरण में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं का अधिकतम तथा भली भांति उपयोग करने में दक्ष बनाना।

८- बालकों को सुनागरिक बनने हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करना।

९- बालकों में सामाजिक सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों की चेतना विकसित करना।

कार्यविधि :—

अनौपचारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था संस्थान के प्रेक्षागृह में की गई। प्रथम दिवस अनुदेशिकाओं का

पंजीकरण किय गया तथा प्रत्येक अनुदेशिका को फाइल व पेन वितरित किये गये। तत्पश्चात ५७ अनुदेशिकाओं को ग्रुपों में बांटा गया। छः ग्रुप बनाए गये प्रत्येक ग्रुप का एक लीडर चुना गया। ग्रुप लीडर पर ही अपने ग्रुप के खाने व नाश्ते की देखभाल का कार्य भी सौंपा गया। प्रत्येक ग्रुप लीडर को एक-एक दिन की दिनचर्या की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया जिसका प्रस्तुतीकरण दूसरे दिन प्रार्थना के बाद करवाया जाता था।

तत्पश्चात प्राचार्य महोदय ने शिविर का उद्घाटन किया तथा प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त किया। प्राचार्य महोदय ने अनौपचारिक शिक्षा क्या है ? इसका क्या महत्व है तथा इससे क्या लाभ हैं इन विशेष बिन्दुओं पर चर्चा की। तथा अनुदेशिकाओं को प्रोत्साहित किया कि वह अपना कार्य ईमानदारी तथा लगन से करें जिससे शासन की यह योजना सफल हो सके कि देश का प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हो। प्राचार्य महोदय ने यह भी बताया कि भारत विश्व के अनेक लोकतंत्रीय देशों में प्रजातंत्रीय मूल्यों को स्वीकार करने वाला एक बड़ा देश है। प्रजातंत्रीय प्रणाली तभी जीवित रह सकती है जबकि भारत के नागरिक शिक्षित हों। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा सार्वभौमिक बनाने का लक्ष्य केवल औपचारिक शिक्षा से ही पूर्ण नहीं हो पायेगा। इसके लिए अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई ६ से १४ आयु वर्ग के लाखों विद्यार्थी ऐसे है जो विद्यालय में प्रवेश तो ले लेते है पर आगे अध्ययन किए बिना ही किन्ही कारणों से विद्यालय छोड़ देते है। इन बच्चों की शिक्षा में तारतम्यता लाने तथा बाधक कारकों के निवारण हेतु अनौपचारिक शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता है आदि ज्ञानवर्धक बिन्दुओं पर चर्चाकी तथा अनुदेशिकाओं को प्रोत्साहित किया कि आप अपना कार्य मनोयोग से करें जिससे शासन की यह योजना सफल हो सके।

इस दस दिवसीय प्रशिक्षण में अनुदेशिकाओं को विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, कला, हिन्दी भाषा आदि के विषय में प्रशिक्षण के माध्यम से बताया गया कि इन विषयों का ज्ञान वह अपने केन्द्रों पर किस प्रकार दें जिससे बच्चे लाभान्वित हो सकें। उन्हे अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित अनेक बातें भी बतायी गयी।

विज्ञान के अन्तर्गत सन्दर्भदाता ने विस्तृत चर्चा करते हुए बताया कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विज्ञान का उपयोग न किया जाता हो। प्रत्येक क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित है। इस वर्तमान युग की प्रगति का श्रेय विज्ञान पर ही जाता है विज्ञान शिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों को विभिन्न अनुभव देकर उनमें वैज्ञानिक अभिरुचियों को जन्म देना है। तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना है।

संदर्भदाता ने बताया कि विज्ञान केवल मौखिक पाठों के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विज्ञान के सम्बन्धोंएवं नियमों को स्पष्ट करने हेतु उन्हें छोटे-छोटे प्रयोग करके दिखाने होगे। विज्ञान की शिक्षा

को पर्यावरण से जोड़कर तथा अपने आस-पास के वातावरण से उदाहरण लेकर स्पष्ट करना चाहिए।

आज विज्ञान केवल पुस्तकीय विषय न होकर हमारी दैनिक जीवन की प्रत्येक घटना से जुड़ गया है हमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे जीवन की समस्याओं को सुलझाने मे भी सहायक होता है। विज्ञान के द्वारा मनुष्य को बहुत सी पुरानी रूढ़ियों, आडम्बरों आदि से छुटकारा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस दृष्टिकोण से विज्ञान का अध्ययन छात्रों द्वारा आवश्यक एवं उपयोगी है।

संदर्भदाता ने विभिन्न उदाहरणों एवं प्रयोगों के द्वारा अनुदेशिकाओं को बल क्या है उसके प्रकार, मशीने, वायु, जल, तथा मौसम कार्य तथा सामर्थय तथा जीव जगत पर विस्तार से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया।

संदर्भदाता ने गणित शिक्षण के विषय में चर्चा की शिक्षा के कुछ प्रारम्भिक वर्षों में शिक्षार्थी को विशेष करके गणित के प्रारम्भिक चार नियमों जोड़, घटाना गुणा भाग सीखने की ओर ही अधिक ध्यान देना पड़ता है ये बुनियादी प्रकार का ज्ञान है कि जिस पर गणित के आने वाले ज्ञान का निर्माण किया जाता है। यह अनिवार्य है कि प्रारम्भ से ही शिक्षार्थी को इन नियमों की प्रक्रियाओं में शीघ्रता धारण करने योग्य बनाया जाय। प्रारम्भ में यह ज्ञान स्थूल सामग्री की सहायता से दिये जाये (१से २०) एक से बीस तक की संख्याओं का जोड़ एवं कोन्सफियर स्ट्रिप के माध्यम से पढ़ाया गया १, ९, ८९, ९९, १०९ आदि संख्याओं का गुणा घटाओ विधि से भी बताया गया भाग की प्रक्रिया जोड़ घटाना एवं गुणा के नियमों का पूर्ण रुप से ज्ञान के बाद ही पढ़ाने पर बल दिया। भाग में चार विभिन्न राशियों का ज्ञान होना चाहिए। भाजक, भाज्य, भजनफल तथा शेष।

समय का ज्ञान घड़ी की सहायता से दिया गया। भारतीय मुद्रा का ज्ञान विभिन्न प्रकार के सिक्कों एवं नोट दिखाकर दिया गया तथा प्रत्येक सिक्का रुपये का कौन का भाग होता है यह भी बताया गया।

संदर्भदाता ने बताया कि भूगोल विषय का ज्ञान प्राप्त करना एक शिक्षिका के लिए इसलिए भी आवश्यक होता है क्यों कि भौतिक पर्यावरण का मानवीय जीवन पर सीधाप्रभाव पड़ता है भौतिक पर्यावरण से उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक शक्ति आदि पर प्रभाव पड़ता है। उसी के अन्तर्गत दिशाओं का ज्ञान दिया गया। दिशाओं के ज्ञान से देश विदेश की स्थिति का ज्ञान अनिवार्य नक्षत्रों का ज्ञान आदि का पूर्ण ज्ञान कराया गया।

पृथ्वी का आकार पृथ्वी का पूर्व रुप तथा वर्तमान रुप तथा इसका मानवीय जीवन के लिए महत्व आदि पढ़ाया गया। पृथ्वी के संदर्भ के अन्तर्गत धरातलीय परिवर्तन तथा भिन्नता आदि को भी संक्षेप में बताया गया। इस पृथ्वी की धरातलीय भिन्नता तथा परिवर्तन का मानव जीवन पर तथा प्राकृतिक भिन्नता पर प्रत्यक्ष या परोक्ष क्या प्रभाव पढ़ता है, बताया गया।

भूगोल विषय के अन्तर्गत प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक परिवेश का ज्ञान दिया गया इसके अन्तर्गत अपने गांव प्रदेश तथा देश के प्राकृतिक परिवेश का व्यक्ति के रहन-सहन खान-पान, उद्योग तथा भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उसकी आन्तरिक शक्तियों एवं बाह्य क्षमताओं पर प्राकृतिक वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिक तथा प्राकृतिक आर्थिक परिवेश के अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन यापन सांस्कृतिक नैतिक मूल्यों तथा क्रिया कलापों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, प्रकाश डाला गया।

इतिहास विषय के अन्तर्गत बच्चों में रामायण और महाभारत के दृष्टान्तों के द्वारा नैतिकता का ज्ञान दिया गया और देश की सभ्यता और संस्कृति से परिचय कराया गया।

हमारे समाज में आजादी का इतिहास बताकर बच्चों में राष्ट्रीय प्रेम, देश भक्ति, बलिदान, साहस की भावना का विकास किया गया। यह भी बताया गया कि देश भक्तों ने किस प्रकार अपने अदम्य साहस और वीरता से देश की स्वतन्त्रता प्राप्त की तथा स्वतन्त्र भारत के इतिहास में एक नये इतिहास का सूत्रपात किया।

संदर्भदाता ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज का किसी स्वतन्त्र देश के लिये क्या महत्व होता है ? ध्वज से देश के व्यक्तियों को क्या प्रेरणा मिलती है ? आदि पर चर्चा की गयी।

संदर्भदाता ने भाषा शिक्षा के अन्तर्गत उच्चारण, श्रुतिलेख, सुलेख तथा अनुलेख के महत्व पर प्रकाश डाला। व्याकरण के अन्तर्गत संज्ञा तथा सर्वनाम की परिभाषा बताई, अलंकारों के भेदों पर प्रकाश डालते हुये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित समझाई।

संदर्भदाता ने स्वास्थ्य शिक्षा के अन्तर्गत मानव शरीर एवं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा की। गाँव के कुओं की स्वच्छता तथा गौशाला की सफाई पर भी चर्चा की। संतुलित भोजन पर प्रकाश डालते हुए यह बताया गया कि बालक के शारीरिक विकास के लिए तथा मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन का विशेष महत्व है। संतुलित भोजन से मनुष्य सदा स्वस्थ व प्रशन्नचित रहता है। संदर्भदाता ने आवास स्थिति तथा स्वच्छता पर भी विस्तृत जानकारी दी।

कला शिक्षा में संदर्भदाता ने बताया कि कला के द्वारा व्यक्ति को जीवन में आनन्द प्राप्त होता है। व्यक्ति जो स्वयं रचना करता है उससे जीवन में आनन्द प्राप्त होता है जो व्यक्ति जिस विषय में अपनी योग्यता का परिचय देता उसी का कलाकार कहलाता है। प्रत्येक विषय के शिक्षण के अपने अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। कला शिक्षण के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए धरातल की डिजाइन, बार्डर की डिजाइन कहानी चित्रण, स्मृति चित्रण, आलू के ठप्पे का प्रयोग, कागज के फूल, पेड़ वस्तु चित्रण, डिजाइन और धरातलीय डिजाइन तथा फूल पत्तियों के संदर्भ में अनुदेशिकाओं को उसका ज्ञान प्रदान कराया गया।

विशेषज्ञ ने अनौपचारिक शिक्षा की संकल्पना तथा उद्देश्य पर चर्चा की शिक्षा के बदलते हो

आवश्यकताओं तथा देश के चौमुखी विकास के संदर्भ में आज अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसे :—

१— भावी जीवन की उन्नति व समृद्धि हेतु ।

२— संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु ।

३— अनौपचारिक शिक्षा की कमियों तथा उनकी पूर्ति हेतु ।

४— शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु ।

५— शिक्षा के स्तर में गिरावट तथा छात्रों में उसके प्रति उदासीनता के समाधानार्थ ।

६— जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों के निवारणार्थ आदि पर विस्तृत चर्चा की।

संदर्भदाता द्वारा अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्य विषय एवं उनका स्तर व औचित्य पर विस्तृत चर्चा हुई। प्राइमरी शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु किये गये प्रयासों पर संदर्भदाता ने अनुदेशिकाओं को कुछ विशेष जानकारी दी।

संदर्भदाता ने बताया वर्तमान स्थिति के परिवेश में सार्वभौमीकरण में अनौपचारिक शिक्षा का क्या महत्व है। यह तो सत्य है कि शिक्षा का सार्वभौमीकरण अनौपचारिक शिक्षा के बिना संभव नहीं हैं। यह औपचारिक शिक्षा की पूरक व्यवस्था है। यह निश्चित अवधि के बन्धन से रहित है इसमें विविध प्रकार के लचीले शिक्षा-क्रम का उपयोग रहता है। इसमें सीखने वालों को पर्याप्त स्वतन्त्रता रहती है। यह शिक्षा सार्वजनिक शिक्षा के महत्व को समझने हेतु समुदाय को प्रेरित करती है। जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा पाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनका पूर्ण उत्तरदायित्व अनौपचारिक शिक्षा पर है। बिना अनौपचारिक शिक्षा के देश में साक्षरता नहीं लाई जा सकती। जब तक देश का एक-एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक देश की उन्नति संभव नहीं है। अतः देश की उन्नति के लिए अनौपचारिक शिक्षा का विशेष महत्व है।

ज्ञानदीप भाग—१ व भाग—२ पर विचार विमर्श किया गया साथ ही यह बताया गया कि इन पुस्तकों का प्रस्तुतीकरण बच्चों के समक्ष कैसे किया जाय।

संदर्भदाता ने सर्वेक्षण प्रपत्र—१ व २ की पूर्ण जानकारी अनुदेशिकाओं को दी। बालगणना रजिस्टर व प्रवेश के समय शिक्षार्थियों के शैक्षिक स्तर के रजिस्टर में प्रविष्टियों में सम्बन्धित जानकारी एकत्रित करनी चाहिये। जैसे उनके पास खाली समय कब है वे अभी तक क्यों नहीं पढ़ सके व पढ़ना क्यों छोड़ दिया। वे और क्या काम करते हैं इत्यादि। इस सर्वेक्षण से यह जानकारी प्राप्त हो जायेगी कि किसी गाँव विशेष व एक व दो मील की दूरी पर ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के कितने बालक रहते हैं, जो कभी विद्यालय गये ही नहीं

या बीच से ही पढ़ाई छोड़दी। उनका पारिवारिक स्तर क्या है। केन्द्र पर आने के लिए सुविधाजनक समय क्या है। तथा उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। इसी जानकारी के लिए प्रपत्र बनेगा। जिसकी प्रविष्टियां रजिस्टर पर की जायेगी।

संदर्भदाता ने विभिन्न अभिलेखों शिक्षण सामग्रियों पर चर्चा की और यह बताया कि केन्द्र पर किन-किन अभिलेखों का होना आवश्यक है। उपस्थिति रजिस्टर, भण्डार रजिस्टर, छात्र प्रगति रजिस्टर, प्रारम्भिक सर्वेक्षण रजिस्टर, मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र, विजिटर्स बुक, सलाहकार समिति कार्यवाही रजिस्टर, केन्द्र पर अध्ययनरत छात्र जो नियमित विद्यालयों में प्रवेश ले उनका विवरण रजिस्टर आदि केन्द्रों पर ऐसी सामग्रियां रखनी होगी जिनसे बालक सीख भी सके तथा प्रेरणा भी प्राप्त कर सके उदाहरण स्वरुप वास्तविक चित्रावली वर्णमाला, चार्ट, गिनती चार्ट कार्डशीट पर कटे हुए वर्णमाला शब्द, मात्रा ज्ञान, कहानी चित्र हार्ड बोर्ड पर कटे हुए अंक, विभिन्न प्रकार के संग्रह, सामान्य जानकारी से सम्बन्धित चित्र, चार्ट आदि। केन्द्र प्रारम्भ के लिए आवश्यक सामग्री जैसे किताबें, कापियां, स्लेट, बर्तन, श्यामपट ब्लाक, डस्टर, रजिस्टर, कागज पेंसिल, लालटेन या गैसबत्ती, टाटपट्टी, मोमबत्ती, माचिस मटका आदि।

सदर्भदाता ने मानीटरिंग तथा प्रति पोषण में शिक्षको का दायित्व तथा मानीटरिंग संकल्पना एवं क्रियान्वयन व्यय पर विस्तृत चर्चा की तथा सर्वेक्षण प्रपत्र की पूर्ति एवं सूचनाओं का नियमित प्रेषण कैसे किया जाय, विस्तार पूर्वक बताया।

संदर्भदाता ने कागज के खिलौने माला, झण्डी तथा लिफाफे बनाना सिखाया तथा यह भी कहा कि केन्द्रों पर भी इस तरह से क्रियात्मक कार्य जो कार्यानुभव के अन्तर्गत आते है वह भी कभी-कभी सिखाना चाहिए जिसमें बच्चे रुचि भी लेगे व सहायक सामग्री भी तैयार हो जायेगी।

संदर्भदाता ने पर्यावरण शिक्षा पर चर्चा करते हुए बताया कि व्यक्ति के आस पास का ज्ञान और अज्ञान प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण ही पर्यावरण है।

संदर्भदाता ने बहुकक्षा शिक्षा पर चर्चा करते हुए बताया कि बहुकक्षा शिक्षण का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमे शिक्षक को एक साथ एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों को पढ़ाना पढ़ता है। जिसे बहु-कक्षा शिक्षण कहते है। इसमें बच्चों के बैठने का प्रबन्ध करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक ही कक्षा में विभिन्न कक्षा के छात्रों को अलग-अलग दीवार की ओर मुख करके बैठाया जाय। बहु-कक्षा शिक्षण में शिक्षकों को बहुत हद तक मानीटर की सहायता लेनी होती है। तेज बच्चों को छांटकर मानीटर बनाया जाय। यह शिक्षण कार्य शिक्षक मानीटर व स्वतः अध्ययन से सचालित किया जाता है आदि बातों पर चर्चा की गई।

परियोजना अधिकारी ने ग्राम समुदाय से जनसम्पर्क, ग्राम समुदाय का सहयोग तथा सामुदायिक कार्य का महत्व व ग्राम सेवा पर विस्तृत रुप से चर्चा की।

दसवें दिन छः ग्रुपों ने अपनी-अपनी आख्या प्रस्तुत की तथा उस पर विचार विमर्श किया।

निष्कर्ष :-

उक्त प्रशिक्षण अनुदेशिकाओं के लिए अत्यधिक प्रभावी रहा इस प्रशिक्षण द्वारा अनुदेशिकाओं के ज्ञान की वृद्धि हुई। अनुदेशिकाओं के ज्ञान की पुनरावृत्तियाँ हुई। अनुदेशिकाओं ने यह भी सीखा कि किस विषय को किस तरह प्रस्तुत किया जाय जिससे बच्चे अधिक लाभान्वित हो सकें।

सभी विषयों को आकर्षक रूप से पढ़ाने की नई-नई विधियाँ सीखी अनुदेशिकाओं ने संकल्प लिया कि जो भी इस दस दिवसीय प्रशिक्षण में हम लोगों ने सीखा उससे अपने केन्द्रों पर बच्चों को अवश्य लाभान्वित करेगें।

गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विषय तथा भाषा की जो नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान प्राप्त किया है उसके माध्यम से उन्हें प्रेरित करेगे कि वह अपने केन्द्रों पर अधिक से अधिक उपस्थिति दे सकें और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहें। बच्चों का सर्वांगीण विकास तथा शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूर्ण हो सके।

दस द्विवसीय प्रशिक्षण के अन्तिम चरण में अनुदेशिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जिसमें भजन, लोकगीत, नृत्य तथा कविताएं सुनाई जो प्रशंसनीय रही तथा उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर ऐसा महसूस हुआ कि गांवों में भी चेतना जाग्रत हो रही है। उनके कार्यक्रम अत्यधिक सराहनीय रहे।

तत्पश्चात प्राचार्य महोदय ने इस दस दिवसीय प्रशिक्षण का समापन किया तथा अनुदेशिकाओं को उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। कर्मनिष्ठ तथा ईमानदारी से कार्य करने के लिए प्रोत्सहित किया।

अन्त में यात्रा भत्ते का वितरण हुआ और विभिन्न अंचलो से आयी हुई अनुदेशिकाओं ने अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। सभी अनुदेशिकाएं अत्यन्त प्रसन्नचित दिखाई दे रही थी।

पूर्ण साक्षरता अभियान के स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवश्यक विचार-बिन्दु

विजय कुमार सक्सेना
प्राचार्य

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साक्षरता से व्यक्ति में आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है। महिलाओं का स्तर ऊँचा होने में सहायता मिलती है तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरुकता बढ़ जाती है। बाल मृत्यु दर कम हो जाती है तथा जन्म दर घट जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षित व्यक्तियों को शोषण से मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है तथा आजीविका में वृद्धि होती है। साक्षर व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान देने लगते हैं तथा देश की जनतंत्रात्मकता में सहभागिता बढ़ती है।

किसी अभियान के अन्तर्गत काम करने वाले अधिक से अधिक स्वयं सेवकों की पहचान करके, उन्हें कम से कम समय में प्रशिक्षित करना होता है। अभियान के अन्तर्गत रुढ़िगत प्रशिक्षण लाभप्रद नहीं होता है। क्योंकि काफी संख्या में स्वयं सेवकों की आवश्यकता होती है। अतः स्वयं सेवकों की शैक्षिक एवं अन्य योग्यताओं तथा अनुभवों पर ज्यादा जोर दिया जाना उचित नहीं है।

(१) स्वयं सेवकों की न्यूनतम योग्यतायें

निरक्षरों को पढ़ना, लिखना व गणित सिखाने सम्बन्धी आत्मविश्वास का होना।

व्यक्ति का स्थानीय होना।

शिक्षार्थियों को स्वीकार्य होना।

स्वयं सेवकों का इच्छुक व तैयार होना।

पर्याप्त खाली समय होना।

निरक्षरों को मिलने व उन्हें पढ़ाने में नियमित होना।

स्थानीय समस्याओं से भलीभाँति अवगत होना।

समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने का इच्छुक होना।

२- भूमिका

जो साक्षर किट स्वयं सेवकों को मिले हैं, उनका सदुपयोग होना ।

किटों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाना कि अभियान के अन्त तक शिक्षार्थियों को रुचि बनी रहे ।

एक-एक या समूह में शिक्षा का आयोजन करना ।

पर्यवेक्षकों, आयोजकों, परियोजना अधिकारियों को सहयोग प्रदान करना ।

३- प्रशिक्षण का उद्देश्य :

प्रशिक्षण की समाप्ति तक स्वयं सेवक इस योग्य हो जाये कि वे साक्षरता किट का भलीभांति प्रयोग कर सकें ।

प्रौढ़ निरक्षरों को व्यक्तिगत रूप से या समूह में पढ़ाने के विभिन्न कौशल जाने व उनका प्रयोग करें ।

शिक्षार्थियों की प्रगति का आंकलन करने के तरीके जानकर उनका प्रयोग करें ।

४- प्रशिक्षण की तैयारियाँ :

कोई अभियान एक विशिष्ट क्षेत्र में कम से कम समय में एक बड़ी संख्या में तैयार किये गये स्वयं सेवकों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है । इसलिए नियोजन में हुई एक त्रुटि से कार्यक्रम गड़बड़ हो सकता है । स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अंग है । इसे सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिये ।

प्रशिक्षण का नियोजन तीन समूह में किया जा सकता :-

एक समूह में प्रशिक्षण का प्रशासनिक पहलू देखने के लिए ।

दूसरा संगठनात्मक पहलू देखने के लिये ।

तीसरा प्रशिक्षण का शैक्षिक एवं तकनीकी पहलू देखने के लिए ।

तीनों समूह भलीभांति समन्वित हों ।

प्रशिक्षण के प्रशासनिक पहलू निम्नलिखित है .-

प्रशिक्षण शिविरों की संख्या निश्चित करना ।

व्यय का ब्यौरा तैयार करना ।

व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना ।

प्रशिक्षण के व्यवस्थापक पहलू निम्नलिखित हैं :-

सुविधा युक्त स्थान का चयन करना ।

आवश्यक सामग्री की पर्याप्त संख्या तैयार कर आपूर्ति करना ।

प्रशिक्षण हेतु ठहरने एवं खानपान की व्यवस्था करना ।

प्रशिक्षण के लिए आवश्यक यंत्रों, उपकरणों की व्यवस्था करना ।

शैक्षिक पहलू निम्नवत् हैं :-

प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार करना ।

प्रशिक्षण सामग्री की पहचान करना ।

संदर्भ व्यक्ति की पहचान करना ।

प्रत्येक सत्र के लिए श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना ।

प्रशिक्षण सत्रों का प्रबन्ध करना ।

५- संदर्भ व्यक्ति

प्रशिक्षण शिविरों में संदर्भ व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक ४० स्वयं सेवकों पर एक प्रशिक्षक की व्यवस्था करना उत्तम है ।

संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करने से पूर्व उन्हें यह बताना आवश्यक है कि :-

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या एवं उनकी प्रकृति ।

प्रशिक्षण का उद्देश्य ।

प्रशिक्षणार्थियों को छोटे-छोटे इश्तहार प्रदान करने की आवश्यकता ।

प्रशिक्षण के उपरान्त शिक्षार्थियों में विचार-विनिमय के लिये समय होना आवश्यक है ।

६- प्रशिक्षण सामग्री :-

प्रशिक्षण किट का प्रारूप बनाकर स्वयं सेवकों को देना चाहिए । इसके अतिरिक्त एक छोटी पुस्तिका तथा कुछ सरल श्रव्य-दृश्य सामग्री आदि का समावेश होना चाहिए ।

७- प्रशिक्षण पद्धतियाँ :-

जहाँ तक सम्भव हो वार्ता विधि का न्यूनतम प्रयोग किया जाना चाहिए तथा अधिक समय दिया जाना चाहिए ।

प्रदर्शन के लिए ।

परेड के लिए ।

प्रशिक्षण किट की सामग्री की प्रशिक्षणार्थियों से भलीभाँति अवगत कराना चाहिये ।

बाद में होने वाले अन्य प्रशिक्षण शिविरों में स्वयं सेवकों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखना चाहिए ।

८- प्रशिक्षण प्रारूप :-

प्रशिक्षण कार्यक्रम के शैक्षिक पहलू में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होनी चाहिये :-

शीर्षक

उद्देश्य

विषय वस्तु जो बतानी है ।

प्रयोग करने वाली पद्धतियाँ ।

निर्दिष्ट समय

९- प्रशिक्षण सत्र :-

प्रत्येक सत्र डेढ़ घण्टे का हो सकता है, जिसको आवश्यकतानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। ३० मिनट का समय विचार-विनिमय के लिए होना अत्यन्त आवश्यक हैं ।

एक दिन में ४ सत्र आयोजित हो सकते हैं ।

१०- प्रशिक्षण अवधि :-

आवश्यतानुसार दिवसों की संख्या निर्धारित की जा सकती है ।

अभियान के औपचारिक मूल्यांकन के लिए एक दिन का अन्तिम सत्र भी आयोजित किया जाना चाहिए ।

११- प्रशिक्षण स्थान :-

प्रशिक्षण शिविर ऐसे स्थानों पर आयोजित होना चाहिए, जहाँ रहने खाने आदि की समुचित व्यवस्था हो सके जैसे :—

स्थानीय स्कूल

मन्दिर

मस्जिद

पंचायत घर आदि

१२- प्रशिक्षण का उचित समय :-

प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए प्रशिक्षण का समय निर्धारित किया जाना चाहिए। सामान्यत: प्रात: १० बजे से सायंकाल ५ बजे तक का समय प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त माना जाता है ।

१३- प्रशिक्षण प्रतिभागी :-

सामान्यत: एक शिविर की संख्या ४० के लगभग होना चाहिए, जिससे व्यवस्था बनी रहे । आवश्यकतानुसार संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।

———

बालक भविष्य की ज्योति

श्रीमती कृष्णा सक्सेना
प्रभारी
सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण
विभाग ।

बालक हमारे भावी कर्णधार होते हैं । उनका निर्माण अपने भविष्य के मानव समाज का निर्माण है आज का बालक कल के मनुष्य का पिता और जनक बनकर आता है । बालक की उपेक्षा करने का अर्थ है– अपने भविष्य की उपेक्षा और अवमानना करना । 'जीवन के इसी अखण्ड एवं अदम्य सत्य को लक्ष्य करके कवि वर्डसवर्थ ने कहा है कि "बालक मानव का जनक है" कवीन्द्र रवीन्द्र ने ठीक ही कहा है कि जीवन की महत्वा– कांक्षाएं बालकों के रूप में आती है । प्रत्येक बालक यह संदेश लेकर संसार में आता है कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है ।

चट्टानों एवं भग्नावशेषों के अध्ययन विकास हेतु किये जाने वाले प्रकृति के अनेकानेक प्रयोगों की कहानी कहते हैं प्रत्येक बालक मानव विकास की दिशा में एक नये प्रयोग के रूप में नए मार्ग का दीपक बनकर आता है । वह मानव विकास रूपी भवन की एक ईट एवं उसकी विकास यात्रा में मील का पत्थर बनकर आता है । निरीह निरपराध एवं निश्छल बालक सच्चिदानन्द के शिव संकल्प की अभिव्यक्ति होता है । दर्शन की भाषा में बालक सर्वांग शुद्ध और ब्रह्म् रूप है कवि टेनीसन ने भी इस संदर्भ में इसी प्रकार का वर्णन किया है–"बालक ज्ञानी होता है, क्योंकि वह इस संसार में जन्म लेते ही रोता है" । संसार में जन्म लेने का अर्थ समष्टि से विलग होकर व्यष्टि रूप में प्रकट होना महत रुप से लघु रूप में आना है । यह स्थिति पराभव अथवा स्वरुप मय दुख का कारण होना ही चाहिये ।

हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति व्यक्ति परक न होकर समूहोन्मुख हो गई है हम कक्षाओं में एक साथ लगभग ६०–७० बालकों को एक ही प्रकार से एक ही प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हैं मानो हम व्यक्ति को न पढ़ाकर किसी भीड़ को पढ़ा रहे हैं । परिणाम सामने है हमारे बालक व्यक्ति की भांति व्यवहार न करके भीड़

की ही भांति व्यवहार करते हैं और हम शिक्षा पद्धति को कोसने बैठ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि बालक को अभिशप्त शिक्षा प्रदान करने के लिये हम स्वयं उत्तरदायी हैं।

बालक नवीन समाज के निर्माता हैं अतएव यह आवश्यक है कि शिक्षा का स्वरुप विधान समाज के विकास के स्तर के अनुसार किया जाए और बालक के विकास में उक्त प्रकार निर्धारित शिक्षा का उपयोग उसके व्यक्तित्व विकास के स्तर के अनुसार किया जाना चाहिये शिक्षा-पद्धति एवं शिक्षा का स्वरुप विधान अन्योन्याश्रित है। शिक्षा-पद्धति के अनुसार बालक को शिक्षित किया जाना चाहिये और बालक की आवश्यकतानुसार शिक्षा-पद्धति का स्वरुप निर्धारित किया जाना चाहिये। बालक का विकास एक सतत् प्रक्रिया है और शिक्षा पद्धति का निर्धारण एक प्रवहमान प्रक्रिया हैं जो लोग एक ही शिक्षा पद्धति से चिपके रहना चाहते हैं और बालक को समूह के साथ जोड़कर शिक्षित करते हैं वे वस्तुतः महान पाप के भागी बनते हैं मनुष्य कृत वस्तुएं मनुष्य के प्रयासों की प्रतीक्षा कर सकती है परन्तु प्रकृति की रचना मनुष्य की प्रतीक्षा न करके अपने प्रकृत मार्ग पर चलती ही चली जाती हैं। बालक भविष्य का निर्माण और वर्तमान का समाधान होता है। उसका नाम आज है जो व्यक्ति और राष्ट्र अपने बालकों को इस रूप में नहीं देखते हैं वे जीवन एवं जगत की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। विचारक मिस्ट्रल के अनुसार "हम अनेक त्रुटियों एवं दोषों के दोषी हैं। परन्तु सर्वाधिक निकृष्ट अपराध है, अपने बच्चों की उपेक्षा करना। जीवन के प्रवाह में हम अनेक बातों के लिये प्रतीक्षा कर सकते हैं परन्तु बालक के संदर्भ में नहीं, उसकी अस्थियों का विकास प्रत्येक पल हो रहा है उसमें रक्त की रचना हो रही है, उसकी ज्ञानेन्द्रियां विकसित हो रही हैं, उसमें किसी प्रश्न का उत्तर आने वाला कल नहीं हो सकता है, उसका नाम आज हैं।

कल के प्रति चिन्तित रहने वाले के लिये "आज" और आज के बालक अत्यन्त महत्व रखते हैं साथ ही जो व्यक्ति जीवन पर्यन्त बालकोचित निरीहता निश्छलता, स्फूर्ति एवं उत्साह बनाए रखना चाहते हैं वे बालकों के साथ यथा शक्ति निकटस्थ सम्पर्क बनाए रखते हैं, अपनी छोटी सी बिटिया की तोतली बात सुनकर सुभद्राकुमारी चौहान ने बालकोचित आत्मविस्मृति की अभिव्यक्ति इस प्रकार की हैं।

"पाया बचपन मैंने फिर, से बेटी बचपन आया।
उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, मुझमें नवजीवन आया"॥

बालक व्यक्ति की चिन्ताओं को बढ़ा देते हैं यह विवादास्पद है वे उसका मृत्यु स्मरण कर देते हैं यह निर्विवाद हैं। स्वतंत्र भारत के निर्माता और विश्वशान्ति के पुरोधा पं० जवाहर लाल नेहरू सहज आत्मीयता, जीवंतता, कार्य क्षमता, आदिक उदस्त गुणों को अक्षुण्य रखने के लिये, बालकोचित प्रकृति के निर्वाह हेतु बालकों के मध्य रहना स्पृहणीय मानते थे, वह बालकों को भारत के भविष्य के रूप में देखकर उन्हें

अत्यधिक प्यार करते थे इतना ही नहीं वह बच्चों के द्वारा चाचा नेहरू कहे जाने में युवकोचित आनन्द का अनुभव भी करते थे उनका जन्म दिवस १४ नवम्बर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर वह विभिन्न वर्णों और वर्गों के बालकों को एक साथ खेलते खाते हुए देखकर वात्सल्य द्वारा अभिभूत होकर भूमा सदृश सुख की अनुभूति किया करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि बालक चमकते हुए वे सितारे हैं, जो भगवान के हाथ से छूट कर धरती पर गिर पड़े हैं। इंजील ने ठीक ही लिखा है कि यदि स्वर्ग में पहुँचने की इच्छा है तो पहले बालक बनों।

बालक वस्तुतः मानव जीवन की समस्त उलझनों की सुलझन हैं एल्ड्रस हक्सले ने नारियों की समस्याओं को लक्ष्य करके एक स्थान पर लिखा है कि नारी एक पहेली है जिसका समाधान एक बालक है। विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर का यह कथन सर्वथा संगत और समीचीन प्रतीत होता हैं कि बालक समस्त समाज की सम्पत्ति हैं। और वे हमारे भविष्य की जीवन ज्योति हैं।

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में 'खुला विश्वविद्यालय'

श्रीमती सरिता गुप्ता
प्रभारी सेवारत प्रशिक्षण
क्षेत्रीय सम्पर्क एवं प्रवर्तन समन्वय विभाग

शिक्षाजगत में इवानइलिच की "डी स्कूलिग सोसाइटी" और एवर्ट रीमर की 'स्कूल इज डैड' पुस्तकों ने एक नयी विचारधारा को जन्म दिया है। रीमर के अनुसार हमारी पारम्परिक विद्यालय पद्धति मर गई है और हमें शिक्षा के नये साधनों की खोज करनी है। इलिच का विचार है कि हम विद्यालयों को विस्थापित कर सकते हैं अथवा हम अपनी संस्कृति को विद्यालय रहित बना सकते हैं क्योंकि विद्यालय अर्थहीन हो गये हैं। इलिच विद्यालय को कारागृह मानते हैं और इसलिये वह खुले विश्वविद्यालय या स्वतन्त्र विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। उनके विचार से स्वतन्त्र विद्यालयों को दो मुख्य आवश्यकताएं हैं :—

१— उन्हें ग्रेड़ों एवं प्रमाण पत्रों से मुक्त होना चाहिये।

२— उन्हें विद्यालयी समाज के छुपे हुए मूल्यों से स्वतन्त्र होना चाहिये।

औपचारिक विश्वविद्यालयों की तरह इसमें प्रवेश के लिये किसी शैक्षिक योग्यता के निम्नतम स्तर का बन्धन नहीं रहता। उपस्थिति की अनिवार्यता विद्यालय परिसर में आकर बैठने और पढ़ने का बन्धन भी नहीं लगाया जाता।

खुले विश्वविद्यालय में २० वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति चाहे उसके पास कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र हो या न हो प्रवेश पा सकता है। विश्वविद्यालयों में आकर बैठकर शिक्षक से मौखिक पाठ लेने की आवश्यकता नहीं होती। विश्वविद्यालय के भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अपने निवास स्थान या कार्यस्थल पर अपना दैनिक कार्य अथवा जीविकोपार्जन करते हुए इन विश्वविद्यालयों द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकता है। खुले विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम को छात्र अपनी गति से समाप्त कर परीक्षा में बैठ सकता है। उनके लिए इस बात का बन्धन नहीं रहता कि पाठ्यक्रमों को सीमित अवधि में समाप्त करना हैं।

खुला विश्वविद्यालय एक ऐसा नवाचार हैं जो शैक्षिक तकनीकी का सहारा लेकर उच्च शिक्षा को आम जनता तक अल्प व्यय में पहुंचाने मे सक्षम है। एवंट रीमर के अनुसार जब छात्रों की सख्या अत्यधिक और शिक्षा के साधन न्यून हैं तब किसी प्रकार से शिक्षा नहीं दी जा सकती। उनके मतानुसार अनिवार्य

निःशुल्क शिक्षा का विचार दोषपूर्ण है। साधनों की न्यूनता के कारण कुछ साधन सम्पन्न व्यक्ति ही विद्यालयों का लाभ उठा पाते हैं और शेष लोग समाज में निम्न स्तर बनाये रखने के लिये बाध्य किये जाते हैं। विद्यालयों में चयन के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। यह एक प्रकार से पढ़े लिखे अभिभावकों, पुस्तकों और अच्छे वातावरण वाले बच्चों को पुरस्कार देने के सामान हैं।

सम्पूर्ण विश्व में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के प्रति असन्तोष और उसमें परिवर्तन की माँग बराबर की जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में खुला विश्व-विद्यालय का विचार आज की शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप है।

खुले विश्वविद्यालय का अर्थ :—

आगरा-विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में भाषण करते हुए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर नूरुल हसन ने कहा था कि देश में सामान्य शिक्षा का एक विशाल कार्यक्रम एक खुले विश्वविद्यालय जिसका क्षेत्राधिकार समस्त राष्ट्र हो, के द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिये। उनके अनुसार खुले विश्वविद्यालय में शैक्षिक दर्शन का विवेचन इंग्लैंड के खुले विश्वविद्यालय के चांसलर लार्ड क्राउथर ने २३ जुलाई १९६९ को अपने उद्घाटन भाषण में विस्तार से किया है। उन्होंने खुले विश्वविद्यालय को खुलेपन के लिए निम्न बिन्दु प्रस्तुत किये।

१- पहला खुलापन मानवों की दृष्टि से है। यह सभी मानवों के लिये खुला हैं तथा प्रवेश के लिये किसी विशेष स्तर की आवश्यकता नहीं है।

२- यह विश्वविद्यालय स्थान की दृष्टि से भी खुला है किसी विश्वविद्यालय प्रांगण की हदिश नहीं सम्पूर्ण देश के नागरिकों के लिये खुला है।

३- इस विश्वविद्यालय में शिक्षण की विधियों में भी पूर्ण खुलापन है। शिक्षण की विविध विधियों का उपयोग किया जायेगा।

४- यह विश्वविद्यालय विचारों की दृष्टि से भी खुला होगा। इसका मूल सिद्धान्त उन्मुक्त विचार, नवाचारों के लिये तत्पर तथा निरन्तर प्रयोगों से पूर्ण होगा।

खुले विश्वविद्यालय के स्वरुप एवं कार्य प्रणाली को समझने के लिये सर्वोत्तम होगा कि हम एक ऐसे खुले विश्वविद्यालय का उदाहरण लें जो विश्व के लिये एक उदाहरण बन गया हो।

ब्रिटेन का खुला विश्वविद्यालय :-

इंग्लैण्ड में खुले विश्वविद्यालय का विचार सबसे पहले वहाँ के प्रधानमंत्री हेरोल्ड विल्सन ने सितम्बर ६३ में ग्लासगो में दिया और इसे युनिवर्सिटी आफ द एअर का नाम दिया जो बाद में खुले विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया।

योजनाओं के प्रारूप का कार्यान्वयन :-

१९७० में ब्रिटेन के खुले विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसी वर्ष इसमें प्रवेश हेतु ४० हजार आवेदन पत्र आये किन्तु केवल २५ हजार व्यक्तियों को इसमें शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान किया गया सर्वप्रथम समाज विज्ञान, कला, विज्ञान और गणित में बुनियादी प्रारम्भिक पाठ्यक्रमों का शिक्षण प्रारम्भ किया गया।

१९७० की प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात पहले पाठ्यक्रम का शिक्षण १९७१ में प्रारम्भ हुआ। इस वर्ष की परीक्षाओं में जो लोग अनुत्तीर्ण हुए उनको निराश न करते हुए सूचना दी गई कि वे लोग आगामी वर्ष दुबारा, जबकि तकनीकी विषयों के भी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जायेंगे, प्रवेश हेतु आवेदन करें।

१९७१ में खुले विश्वविद्यालय का पहला शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो और स्क्रीन पर प्रस्तुत किया गया और क्लर्कों, किसानों, गृहणियों, शिक्षकों और सिपाहियों तथा अनेक प्रकार के लोगों के समूहों ने इसके छात्र के रुप में अपना अध्ययन प्रारम्भ किया। विज्ञान के छात्रों को अपने घर पर लघु प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु वैज्ञानिक उपकरण भी दिये गये।

खुले विश्वविद्यालय के लिये शिक्षण विधियाँ :—

इसमें विद्यार्थियों को सीखने सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये आवश्यक है कि शिक्षण के सभी साधनों का उचित उपयोग किया जाये। इंग्लैण्ड के खुले विश्वविद्यालय के प्रास्पेक्टस में उल्लिखित किया गया है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुछ पत्राचार के पाठ होंगे जिनमें से अनेक में छात्रों द्वारा नियमित कार्य कर लौटाये जाने की व्यवस्था होगी, अनेक टेलीवीजन और रेडियो पाठ होंगे छोटे ग्रीष्मकालीन अथवा सप्ताहांत कार्यक्रम होंगे और प्रादेशिक स्तर पर आयोजनीय ट्यूटोरियल अथवा मार्गदर्शक कार्यक्रम होंगे।

प्रत्येक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है, प्रत्येक शिक्षण विधि की प्रभावशीलता नापी जाती है। छात्रों को अपने परिणाम निकालने के लिये अनेक प्रश्न दिये जाते हैं। छात्रों के स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न-पत्र बनाये जाते हैं। इस प्रकार इस विश्वविद्यालव में प्रचलित सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है।

खुले विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले इन स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में एक शंका यह प्रस्तुत की जाती है कि इनके द्वारा स्तर में ह्रास आयेगा। इंग्लैण्ड के खुले विश्वविद्यालय द्वारा स्तर को बनाये रखने के लिए निम्न कार्यक्रय चलाये जाते हैं।

१- छात्रों द्वारा प्रश्नों के उत्तर भेजे जाते हैं जिनका मूल्यांकन पत्राचार टयूटर और कम्प्यूटर द्वारा कराया जाता है।

२– टेलिविजन और रेडियो द्वारा लिखित कार्य के सुधार के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

३– प्रादेशिक स्तरों पर ट्यूटर के बिना ट्यूटोरियल कक्षायें चलाई जाती हैं जहाँ छात्र एक दूसरे के अनुभव के आधार पर विचार विमर्श कर सीखते हैं।

४– प्रादेशिक स्तर पर ट्यूटर से विचार विमर्श कर छात्र अपनी कठिनाइयों को सप्ताहांत कार्यक्रमों या ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों में दूर करते हैं।

५– आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने के लिये परीक्षा देनी होती है। इन कार्यक्रमों से निश्चित होता है कि खुले विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त करने में कम परिश्रम नहीं करना पड़ता इस कारण उनका स्तर अन्य विश्वविद्यालयों के स्तर से कम नहीं होता।

खुला विश्वविद्यालय भारत के परिप्रेक्ष्य में-

भारत में सर्वप्रथम खुले विश्वविद्यालय की स्थापना आन्ध्रप्रदेश में हुई। यह १९८० से प्रारम्भ हुआ इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित हैं। इसमें भी शिक्षा पत्राचार, सम्पर्क, कार्यक्रम, ट्यूटोरियल और दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्रियों के माध्यम से दी जाती है। जो भी व्यक्ति २० वर्ष का हो इस विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है।

आन्ध्रप्रदेश के खुले विश्वविद्यालय की सफलता व लोकप्रियता तथा आम जनता के लिये इसकी उपयुक्तता को देखते हुए एक और राष्ट्रीय खुले विश्वविद्यालय की स्थापना १९८५ में दिल्ली में की गई तथा इसका नाम स्व० प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय-

भारतीय संसद द्वारा सितम्बर १९८५ में पारित एक एक्ट के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जिसका पत्राचार पता के–७६ होजखास, नई दिल्ली ११००१६ है।

विश्वविद्यालय का निर्धारित एवं घोषित लक्ष्य हैं उन सभी व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना जो अपनी योग्यता, दक्षता अथवा विशेषज्ञता को विकसित करना चाहते हैं। पत्राचार एवं मुद्रित पाठ्य सामग्रियों के साथ-साथ सम्प्रेषण सम्बन्धी आधुनिक माध्यमों तथा प्रौद्योगिकी का भी भरपूर प्रयोग किया जाता है।

स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दो धाराओं के अन्तर्गत किया जाता है। प्रथम वर्ग उन प्रत्याशियों का है, जिनके पास १०+२ पद्धति से प्राप्त शिक्षा है, उन्हें सीधा प्रवेश मिल जाता है। द्वितीय वर्ग उन प्रत्याशियों का है, जिनके पास १०+२ पद्धति या उसके स्तर की योग्यता नहीं है, उन्हें प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। शर्त यह है कि उनकी आयु २० वर्ष होनी चाहिए प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों को स्नातक पाठ्यक्रम में सीधा प्रवेश मिल जाता है।

इस खुले विश्वविद्यालय की शिक्षण पद्धति में स्वतः शिक्षा-धारित मुद्रित सामग्री के अतिरिक्त श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्रियाँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सम्बन्धी माध्यमों का यथोचित उपयोग किया जाता है।

खुले विश्वविद्यालय ने सारे देश में प्रादेशिक एवं स्थानीय अध्ययन केन्द्र स्थापित किये हैं। इन केन्द्रों पर छात्रों को शिक्षकों का मार्गदर्शन तथा सम्पर्क कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त होता है। पूरे देश में लगभग ११० केन्द्र स्थापित किये जा चुने हैं।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय वे सुनियोजित रीति से बी०ए० और बी०काम० पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त निम्न शैक्षिक कार्यक्रमों को लागू कर दिया है।

१— डिप्लोमा इन मैनेजमेंट।

२— डिप्लोमा इन डिस्टेन्स एजूकेशन।

३— डिप्लोमा इन क्रिएटिव इंग्लिश राइटिंग।

४— सर्टीफिकेट कोर्स इन फूड एण्ड न्यूट्रीशन।

५— सर्टीफिकेट कोर्स इन रूरल डेवलपमेन्ट।

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की सफलता और माँग को दृष्टि में रखते हुए यह विश्वविद्यालय शीघ्रा ही लगभग १४ पाठ्यक्रम और भी लागू करने वाला है।

खुले विश्वविद्यालय की उपयोगिता का प्रमाण स्वयं इसका विस्तार है। इतना तो हम सभी मानेंगे कि खुले विश्वविद्यालय के नवाचार ने आम जनता के मन में शिक्षित होने की आशा का संचार किया है।

———

आधुनिक कला के मूल आधार और उसके उद्देश्य

श्रीमती किश्वर महबूब नीलानी
प्रभारी
पाठ्यक्रम सामग्री विकास एवं मूल्यांकन विभाग

व्यक्ति के आन्तरिक संतुलन या शक्ति की सुन्दर ढंग से अभिव्यक्ति ही कला है। या यूं कह सकते हैं कि हृदय पक्ष की भूख को तृप्त करने वाले साधन को कला कहते हैं।

कला के अर्थ को विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर हम कला के अर्थ का स्पष्टीकरण उदाहरण के द्वारा कर रहे हैं।

एक सुन्दर भवन में १० चित्र नारी की वेशभूषा का प्रदर्शन एवं कपड़े के विज्ञापन हेतु रखे गये। शहर के महान व्यक्तियों को आमन्त्रित किया गया इन महान व्यक्तियों में कुछ साहित्यकार भी उपस्थित हुए। इन साहित्यकारों पर चित्रों के विषय में भिन्न भिन्न प्रभाव पड़े। एक साहित्यकार ने नारी के विषय में कहा था–

'नारी केवल नाड़ी है।"

दूसरे साहित्यकार से भी न रहा गया, उसने उस भवन को आँसुओं का ढेर कहकर अपने भाव व्यक्त किए। उसने कहा था–

"नारी केवल आंसुओं का ढेर है।"

इस प्रकार किसी ने कपड़े की सुन्दरता के बारे में कुछ नहीं कहा। भाव सभी के सुन्दर अवश्य थे इसी को कला कहते हैं। या यूं कह सकते है कला के द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें किसी वस्तु एवं घटना आदि के सच्चे अनुकरण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। क्रोसो के शब्दों में–

"कला एक संवेग हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं।"

एक अन्य विद्वान के अनुसार :–"कला भावनाओं का स्पष्टीकरण है, जिसमें विचारों की सुरक्षा होती है।"

मानव प्रकृति की गोद में ही जन्मा है उसी में खेला और बढ़ा है उसी के सानिध्य से उसने अपनी रुचि बनाई उस रुचि के द्वारा उसने सुन्दर सुन्दर वस्तुओं का विवेचन किया। एक ही जैसी वस्तु में, एक ही रंग और रूप की वस्तुओं में कौन श्रेष्ठ है अपनी रुचि और इच्छानुसार ढूंढ़ने लगा। इस रुचि के साथ उसकी सौन्दर्य अनुभूति की जिज्ञासा सम्बद्ध है। सौन्दर्य के साथ सत्य और शिव का संयोग हमारे अभीष्ट का पूर्णत्व है। जहां तक कलाकार की रुचि का प्रश्न है वहां यह पूर्णत्व आवश्यक है। और जहाँ तक कला का प्रश्न है वह इसके बिना अपूर्ण और अपंग है। आधुनिक कला में भी यह पूर्णत्व मिलता है परन्तु जबसे कला का बाजारू मूल्यांकन होने लगा है वहाँ कलाकार को उस मूल्य के आधार पर कृति का निर्माण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। विज्ञान ने भी कलाकार को एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने को बाध्य किया, समाज में भी भारतीय चित्रण कला का प्रचार व प्रसार, कलाकार को नवीन विधियां अपनाने के लिए पूर्व सूचना थी।

कला का बाजारों में मूल्यांकन, विज्ञान, भारतीय चित्रकला का प्रचार व प्रसार आधुनिक कला के निरूपण के आधार बन गए। कलाकार को मूल्यों के लिए झुकना पड़ा। विज्ञान ने भी नये-नये मार्ग प्रशस्त किए, भारतीय चित्र कला ने भी नये नये पथ ग्रहण करने के लिए कलाकार को बाध्य किया। समाज में संघर्ष और प्रतिशोध की भावना व्याप्त हुई। परिणामस्वरुप कलाकार नये-नये प्रयोगों की ओर झुक गया इन नवीन प्रयोगों ने आधुनिक कला को जन्म दिया।

आधुनिक कला के जन्म के बाद कला प्रेमियों को कला का ये नवीन रुप रुचिकर नहीं लगा। परन्तु धीरे-धीरे अभ्यस्त हो गए। आज उसने उसके लिए भी नयी राहें खोल दी हैं। आइये हम इन उद्देश्यों से भी परिचित हो जाएँ।

अनेक तत्वों के समिश्रण से आधुनिक कला का जन्म हुआ, इसका प्रारम्भिक रुप (पुरानेपन) का विरोध करना और नवीनता का वरण करना रहा हैं। धर्म, समाज आदि की पुरानी व्यवस्थाओं, परम्पराओं का विरोध करना तथा उनके स्थान पर नवीन व्यवस्थाओं और परम्पराओं की स्थापना उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और आज भी वे इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अबतो इसको कार्यविधि का रुप भी स्पष्ट होता जा रहा है। नवीनता के प्रति इसकी ललक तो है ही परन्तु विज्ञान के आलोक में इस सत्य को खोजने का एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।

आज के समाज में व्याप्त अन्तर्द्वन्द, वेदना, स्वातन्त्र प्रकृति आदि इस आधुनिक कला के तत्व हैं। यह सामाजिक जिन्दगी के बहुत नजदीक है, यह आज के दौर की उपज है। इसने कल्पना और अभिव्यक्ति के लिए अपना विशाल कैनवास फैला दिया है। इस कैनवास पर जीवन की जटिलता, गम्भीरता, गति और संगीत आदि के जीवन्त चित्र उरेहे जा सकते हैं। हमारी रूढ़िवादी कला का सीमित क्षेत्र अब अनावश्यक सा प्रतीत होने लगा है।

जहाँ तक जीवन की गतिविधियों और कला का सम्बन्ध है वहाँ तक तो कला का रूप जीवन्त है और जहाँ तक अभिव्यक्ति का प्रश्न उठता है वहाँ उसमें गम्भीरता नहीं मिलती। आज के जीवन में राजनैतिक, आर्थिक विषमताएँ घुलमिल गयी हैं। कला भी इनसे अछूती नहीं रह सकी। परन्तु यह दोष आज के जीवन का है न कि कला का। आज के दुरूह और अस्वस्थ जीवन में मानव किंकर्तव्यविमूढ़ होकर नहीं सोच पा रहा है कि कला का उद्देश्य सत्य, शिव और सुन्दर का है। वह अपने स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग कर रहा है। यह उसकी अव्यवहारिकता का दोष है न कि कला का।

जहाँ तक भारतीय कला का आधुनिक स्वरूप है वहाँ उसमें पाश्चात्य तत्व प्रधान है। जबकि भारतीय कला के आध्यात्मिक और सत्य, शिव सुन्दर के कला से प्रेरित होकर भारतीय कलाकार सुन्दर मे अलग थलग जा पड़ा है। उसकी आधुनिकता में सत्य और शिव के दर्शन हो जाते हैं परन्तु सुन्दर के नहीं। इसका कारण उसकी अकर्मण्यता नहीं है परन्तु उस पर समय की गति का प्रभाव है। यह निश्चित है कि आज का संघर्षरत मानव अपनी अभिव्यक्ति को चित्रकला, मूर्तिकला के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तब वह अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना को तो सम्मुख रखता है परन्तु सुन्दर के आधारभूत तत्व को भूल जाता है। वह यह भी भूल जाता है कि सुन्दर का न होना कला के चिरन्तन स्वरूप को आघात पहुंचाना है किन्तु यह निश्चित है कि वह आकस्मिक न्यूनता धीरे-धीरे समय की गति पूरा कर लेगी। कलाकार सचेत है। जीवन की जटिलताओं और संघर्ष का चितेरा आनन्द जैसे आधारभूत तत्व को भूल नहीं सकता अतएव आधुनिक कला आनन्द के लक्ष्य को पा लेगी। उसका लक्ष्य आनन्द ही है इसमें सन्देह नहीं।

संसार की कला का आधुनिक स्वरूप अभी जो कुछ भी हो उसमें अभी जटिलता, दुरूहता अवश्य दिखाई देती है। जनसाधारण के निकट नहीं है, फिर भी आगे आने वाले समय अर्थात् भविष्य में आनन्द की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग होगा और इसके लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे जीवन की माँग भी यही है।

शैक्षिक अभिकरण एवं सहयोगी विधा

श्रीमती सरला बाजपयी
सेवा पूर्व प्रशिक्षण विभाग

शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो मानव की जन्म जात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्य पूर्ण विकास में योय में योग देती है। मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करती है वातावरण के अनुकूल सामंजस्य के साथ जीवन और नागरिकता एवं मानव को उसके दायित्व में सहयोग देने वाली एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जानी जाती है। मनुष्य के आचार-विचार एवं दृष्टिकोण में सक्रिय सहयोग के रूप में उसे समाज, देश और विश्व के कल्याण में योग देने योग्य बनाने में अति उपयोगी है। मानव जीवन मे शिक्षा ही एक ऐसी विधा है जिसके अन्तर्गत मनुष्य को सामाजिक प्राणी का संदेश प्राप्त होता है। व्यापक अर्थ में सम्पूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का अभिकरण है।

शिक्षा को विविध श्रेणी में बांट कर ही उसे जीवन में ढालने की सुविधा होती है उस के रूप :- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, वैयक्तिक एवं सामूहिक शिक्षा, सामान्य तथा विशिष्ठ शिक्षा और औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का रूप ग्रहण करते हैं। शिक्षा अभिकरण के अन्तर्गत घर, विद्यालय, धर्मस्थान प्रेस समाचार-पत्र, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, और मनोरंजन तथा मानव के स्वयं के प्रिय कार्य आते है। अभिकरण के लिये समाज अनेक ऐसी शैक्षिक व मानवीय संस्थायें निर्माण करता है जिसके द्वारा वह जिज्ञासु (छात्र व व्यक्ति) को अभिकरण में सम्मिलित कर उचित वातावरणानुसार शिक्षा को प्रतिपादित करता है। ऐसी संस्थाओं को शिक्षा अभिकरण का पर्याय समझा जाना चाहिये। शिक्षा अभिकरण भी अनौपचारिक अभिकरण एवं औपचारिक अभिकरण का रूप लेते है। उदाहरणार्थ-बालक वयस्क व्यक्ति के कार्यकलाप देखकर उनका अनुकरण करने लगता है तो वह अनौपचारिक रूप से शिक्षित होता है। जब बालक को सचेतावस्था में शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाता है तो वह प्रणाली औपचारिक शिक्षा का रूप ग्रहण करती है औपचारिक अभिकरण एक निर्धारित योजनानुसार होता है। इसके लिये नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय, पुस्तकालय अजायबघर, चित्रदीर्घा पुस्तके व पर्यटन स्थल औपचारिक अभिकरण में सम्मिलित हैं। इस प्रकार की शिक्षा से बालक जिज्ञासु के रूप में अपने अनुभव का द्वार खोलता है यह शिक्षा उसके जीवन का अंग बन जाती है।

अनौपचारिक अभिकरणों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। इसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये बालक के आचरण का रूपान्तर करती है। परिवार और भौगोलिक ज्ञान का समविश उसे अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण की ओर इंगित करता है वह नेत्रों के समक्ष आने वाली हर वस्तु के ज्ञान का जिज्ञासु होता है और उसकी इस प्रक्रिया में घर-बाहर और खेल-कूद आदि के माध्यम से अनौपचारिकता का ज्ञान होता है। अनौपचारिक अनुभूतियों का प्रभाव गहरा और व्यापक होता है। चरित्र और मस्तिष्क के प्रत्येक पहलू प्रभावित होते हैं। अनजाने ही आदत, व्यवहार रुचि और दृष्टि कोण निर्माण करते हैं। इस प्रकार बिना किसी दबाव से अपने स्वतन्त्र वातावरण में अनौपचारिक शिक्षा अभिकरण का रूप ग्रहण करता है। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा का अधिक महत्व स्वीकारा गया है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए वैदिक एवं मानसिक तथा बौद्धिक रूप से शिक्षा के समन्वय के साथ बालकों के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। पुस्तकीय तथा बाह्य शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक रूप से स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान दिया जाता है। खेल-कूद सांस्कृतिक कार्य व समाज सेवा की भावना भी बालक के हृदय पटल पर समाने लगती है। इस प्रकार औपचारिक अभिकरण का महत्व और भी बढ़ जाता है।

विद्यालय में समाजोत्थान के साथ शिक्षा तथा रोजगार परक शिक्षा का माध्यम अति आवश्यक है। आज हमारी सरकार शिक्षा के साथ-साथ रोजगार परक शिक्षा को महत्व दे रही है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थानों में रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रारम्भ किए जा रहे हैं। देश में शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से इस प्रकार के वातावरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में भी अब इन विषयों को अनिवार्यता का माध्यम बनाकर देश में औपचारिक अभिकरण रोजगार परक शिक्षा को महत्व देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश के चुने हुए माध्यमिक तथा उच्चतर विद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा का समावेश किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति को महत्व दिया है साथ ही वैज्ञानिक युग की महत्ता को देखते हुए अनेकों ऐसे रोजगार परक पाठ्यक्रम बनाये गए हैं। जिससे बौद्धिक शिक्षा के साथ शिक्षार्थी स्वावलम्बी बन सके। प्रशिक्षण विद्यालयों में भी मुख्य रूप से रोजगार परक शिक्षा प्रणाली की ओर ध्यान दिया गया है गत दो वर्षों से इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किया गया हैं।

इस परियोजना के विकास और कार्यान्वयन का भार हमारे प्रदेश के निदेशक, श्री हरिप्रसाद पान्डेय जी पर है। वे अपने सहयोगियों सहित इस प्रकार की शिक्षा के अनुसंधान के साथ-साथ रोजगार प्ररक शैक्षिक वातावरण को सफल बनाने में भरसक प्रयत्नशील है उनका संदेश है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा के माध्यम से युवक स्वावलम्बी जीवन यापन करने में समर्थ हो। साक्षरता अभियान के साथ-साथ उसके भावी जीवन का लक्ष्य स्वावलम्बन ही बन सके।

संस्थान में अनौचारिक शिक्षा के शिक्षण अधिगम को सुग्राह्य बनाने हेतु श्रव्य - दृश्य शिक्षण उपकरण कम्प्यूटर एवं फोटोग्राफी प्रशिक्षण के साथ रोजगार पूरक कार्य के अन्तर्गत लघु उद्योगों के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गत दो वर्षों में जिले के क्षेत्रीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, आंगनवाड़ी की अनुदेशिकाओं के विद्यालयों के शिक्षक रोजगार पूरक शिक्षा व पत्राचार शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उन्नाव जिले की एक महत्व पूर्ण इकाई है वैसे भी प्रदेश में ऐसे संस्थानों की संख्या अधिक नहीं है। सरकार पर इस योजना का व्यय भार भी अधिक है। फिर भी शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा रोजगार परक शिक्षा, समाजोपयोगी शिक्षण, नैतिक शिक्षा के महत्व में यह बहुत बड़ा योगदान है।

"भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों पर भारतीयों का भविष्य निर्भर है।" कथन की पुष्टि के लिए उक्त योजनायें ही फलदायी होगी। शैक्षिक अभिकरण और उसकी विधा का सफलता पूर्वक आयोजन ही क्षेत्र में बेरोगारी अकर्मणयता और अक्षमता को दूर करने में अति उपादेय है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

श्रीमती रेखा कपूर
प्रभारी
शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग

शिक्षा का हमेशा से महत्व रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है पर मानव इतिहास में शायद इतना महत्व कभी नहीं रहा जितना आज है। विज्ञान पर आश्रित संसार में शिक्षा और अनुसंधान, देश की तमाम विकास प्रक्रिया में उसके कल्याण, प्रगति और सुरक्षा में अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

आज की दुनियां में प्रयोग और आविष्कार का महत्व बढ़ गया है। आज के तेजी से बदलते हुए संसार में एक बात तो निश्चित है कि कल की शिक्षा पद्धति से आज की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती और आज की शिक्षा पद्धति से कल की तो बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। "भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है।" विज्ञान और शिल्प विज्ञान पर आधारित इस दुनिया में शिक्षा ही लोगों की खुशहाली कल्याण और सुरक्षा के स्तर का निर्धारण करती है। हमारे स्कूलों और कालेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों की योग्यता और संख्या पर ही राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के उस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता निर्भर करेगी जिसका प्रमुख लक्ष्य हमारे रहन सहन का स्तर ऊँचा उठाना है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ-

आज शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रह गयी है। बल्कि वह व्यावहारिक ज्ञान की कसौटी बन गई है और जीवन पर्यन्त रहने वाली आवश्यक प्रक्रिया है। शिक्षा का स्वरुप आज वैज्ञानिक और व्यवहारिक बन चुका है। इसमें प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व है। जान लीढम ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ इस प्रकार व्यक्त किया है "शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण तथा सीखने में आधुनिक विधियों तथा प्रौद्योगिकी का क्रम बद्ध प्रयोग है।"

आधुनिक युग में हम शिक्षा को विज्ञान एवं कला दोनों ही रूप में मानते हैं और शिक्षा विज्ञान का वह भण्डार है जो शिक्षा की कला को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए उत्तरदायी है। उसके विपरीत शिक्षा की कला का महत्व कक्षा की गतिविधियों से है और वह छात्र तथा शिक्षक के मध्य अन्तःक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डी० बोनो का मत है कि "प्रौद्योगिकी ने वस्तुओं की गति को इतना तीव्र कर दिया है कि विभिन्न पीढ़ियों की अपेक्षा एक ही पीढ़ी में विचारों में परिवर्तन सम्भव है।"

सामान्य भाषा में प्रौद्योगिकी का अर्थ शिल्प अथवा कला विज्ञान से है। यह शब्द ग्रीक के "तकेन" से तकनीकोज शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ एक कला है। इसका लेटिन स्वरूप "टेक्सयर" है जिसका अर्थ बुनना, निर्माण करना, इस प्रकार प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध कौशल तथा दक्षता से है। यह सृजन निर्माण तथा उत्पान में सहायक है। यह विज्ञान का कला में प्रयोग है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी ने शिक्षा प्रणाली में क्रान्ति ला दी है। इसने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावित किया है और इस प्रकार से इसका महत्व शिक्षण सिद्धान्त के निर्माण और उसके विकास में निहित है।

ऐशली के शब्दों में :-

"कोई भी प्रौद्योगिकी जो शिक्षार्थी के अधिगम को बढ़ाये और कम से कम समय ले एवं अध्यापक द्वारा शैक्षिक कार्य में कम से कम समय लगाकर अधिक उत्पादन दर्शाये, वही सही रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी है।"

जी. ओ. लेथ के शब्दों में :-

"शैक्षिक प्रौद्योगिकी का अर्थ वैज्ञानिक ज्ञान का सीखने तथा सीखाने की दशा में प्रयोग द्वारा शिक्षण तथा प्रशिक्षण की कुशलता में वृद्धि करना तथा उसे प्रभावशाली बनाना है।"

शिक्षा प्रौद्योगिकी :-

शिक्षा में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी से अभिप्राय उन यान्त्रिक अभिकरणों का शिक्षा में प्रयोग से है जिससे शिक्षा को सक्षम एवं प्रभावशाली बनाया जा सके और उसे वैज्ञानिक रूप देकर छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को तीव्र करने में सहायक हो सके-रेडियो, टी०वी० टेपरिकार्डर, प्रोजेक्टर आदि सभी शिक्षा में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के सशक्त उपकरण है।

शिक्षा की प्रौद्योगिकी :-

शिक्षा की प्रौद्योगिकी से अभिप्राय है सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाना एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन, शिक्षण विधियों का ज्ञान, मूल्यांकन विधियों का विकास और उद्देश्यों का निर्धारण करना जिससे कि छात्रों में निश्चित व्यवहार परिवर्तन हो सके इस पद्धति में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लेना आवश्यक है। जैसे-सीखने के सिद्धान्त, मनोदशा मनोभाव एव व्यक्तित्व, वैयक्तिक विभिन्नता आदि।

शैक्षिक प्रोद्योगिकी में दोनों का अद्भुत समन्वय है। मानव अधिगम की प्रक्रिया का विकास, विनियोग, प्रणाली के मूल्यांकन प्रविधियों एवं सहायक सामग्रियों के माध्यम से विकसित करना ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की विशेषतायें :—

१– शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा शास्त्र का ही एक अंग है।

२– शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षा विज्ञान और शिक्षा कला की देन है।

३– शैक्षिक प्रौद्योगिकी एक वैज्ञानिक विषय और अध्ययन है।

४– शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है।

५– शैक्षिक प्रौद्योगिकी में शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम दशाओं का संगठन शामिल है।

६– शैक्षिक प्रौद्योगिकी अधिगम के प्रदाओं को जाँचने के लिए मापक यन्त्रों के डिजाइन तैयार करने पर बल देती है।

७– शैक्षिक प्रौद्योगिकी वातावरण, संसाधनों आदि विधियों के नियन्त्रण द्वारा अधिगम को सरल बनाती है।

८– शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध शिक्षा की समस्याओं, उनके विश्लेषण उनके निराकरण के लिये शोध तथा शिक्षा के सुधार से है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उद्देश्य :—

१– शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना तथा उन्हें व्यावहारिक रूप में लिखना।

२– छात्रों के गुणों का विश्लेषण करना।

३– पाठ्य वस्तु की व्यवस्था करना।

४– पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतीकरण करना।

५– छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना।

६– पुनर्बलन की प्रविधियों का चयन करता।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी की उपयोगिता :-

१– शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ सरल तथा प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है।

२– शिक्षा का दृष्टिकोण वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तथा वस्तुनिष्ठ बन जाता है।

३– शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षक एवं प्रबन्धक के रूप में छात्रों के एक बड़े समूह को कम समय तथा कम खर्चे पर अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है।

४– शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से जन साधारण की अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा अनवरत शिक्षा आदि कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रसार तथा विकास में योगदान दिया जा सकता है।

५- शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पत्राचार पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

६- शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा शिक्षण के स्वरूप को समझा जा सकता है तथा शिक्षण अधिगम को नया रूप प्रदान किया जा सकता है।

७- शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षा के संगठन, प्रशासन का प्रवन्ध की समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है।

८- राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है।

९- शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षा में अनुसधान एवं शोध कार्य को सफल बनाया जा सकता है।

१०- शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षा को जन-जन तक दूर-दूर तक गाँवों में पहुंचाया जा सकता है।

११- शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा निरक्षरता को दूर किया जा सकता है।

१२- शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से महान व्यक्तियों एवं शिक्षाविदों के विचारों को मौलिक रूप में संचित किया जा सकता है।

भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास :-

भारत वर्ष में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग सर्वप्रथम सेना व सुरक्षा कार्यों के लिए किया गया। बाद में इसका क्षेत्र उद्योग प्रबन्ध, स्वास्थ्य व्यापार तथा शिक्षा में हो गया। १९६६ में भारत में सर्वप्रथम एक भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना की गई जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयास विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में किये गये। सन् १९७० के लगभग प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किये गये। और राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद तथा उच्च शिक्षा संस्थान, बड़ौदा, मेरठ व शिमला विश्व विद्यालयों व शिक्षा विभागों में एम०एड० तथा पी०एच०डी० स्तर पर शोध कार्यों को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद के अन्तर्गत एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया है। अब यह केन्द्र केन्द्रीय संस्थान के रूप में कार्य करने लगा है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने, शिक्षा की व्यापक अभिवृद्धि करने तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ आवादी के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त असमानताओं को कम करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के स्रोतों को फैलाना है। दूरदर्शन सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराये जा रहे है। दूरदर्शन के साथ-साथ शिक्षण माध्यमों विशेष तौर पर राज्यों और फिल्मों के उपयोग को प्रोत्साहन देने की योजना थी इन उपलब्धियों को आगे ले जाने और कार्यक्रम के

संधान के संचित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों के शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कक्षों को सुदृढ़ करने और संघ राज्यों में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कक्ष की स्थापना करने का निर्णय किया गया है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फरवरी १९८० में इनसेट दूरदर्शन के उपयोग हेतु विस्तृत नीति तैयार करने के लिए कार्यदल गठित किया था । शिक्षा मन्त्रालय ने दिसम्बर १९८० में आकाशवाणी दूरदर्शन एन०सी०ई०आर०टी० और अन्य सम्बन्धित संगठनों के सहयोग से शैक्षिक प्रसारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की इस कार्यशाला की मुख्य उपलब्धि शैक्षणिक प्रसारण हेतु मार्ग दर्शन प्रारूप तैयार करना था । शिक्षा के लिए रेडियो प्रसारण के उपयोग के लिए क्षेत्रीय कालेजों के लिए मार्ग दर्शन एन०सी०इ०आर०टी० तैयार करेगी । रेडियो पाठ्यक्रम भी एन०सी०ई०आर०टी० तैयार करेगी । रेडियो प्रसारणों के उचित उपयोग और योजनाओं में राज्य शिक्षा विभागों को सम्मिलित करने के लिए एक संगठित प्रयास किया जायेगा ।

शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर जो भी शैक्षणिक कार्य होते है वे प्रभावी संप्रेषण की मांग करते है । विकासशील देश भारत में अब तक विभिन्न शैक्षणिक माध्यम उपलब्ध हो गये है । जैसे प्रिन्ट माध्यम, रेडियो माध्यम, दूरदर्शन माध्यम प्रिन्ट माध्यम का उपयोग ही मूलत: शिक्षा के क्षेत्रों में किया जाता रहा है । और प्रारम्भिक शैक्षिक तकनीकी के विकास के बाद विभिन्न प्रकार का आडियो वीडियो सामग्रियों का प्रयोग प्रभावी सम्प्रेषण के लिए विद्यालयों में किया जाने लगा है । परन्तु इसके बाद भी शिक्षा के विस्तार और शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षिक दूरदर्शन शैक्षिक रेडियो और पत्राचार प्रणाली अर्थात दूरस्थ शिक्षा विधियों का उपयोग शिक्षा में नियोजित ढंग से किया जाये । तभी संविधान में प्रतिबन्धित शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं । उत्तर प्रदेश में भी शैक्षिक दूरदर्शन और पत्राचार प्रणाली का उपयोग नियोजित ढंग से किया जा रहा है । जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में गणात्म सुधार हो सके ।

५– शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से पत्राचार पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

६– शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा शिक्षण के स्वरुप को समझा जा सकता है तथा शिक्षण अधिगम को नया रूप प्रदान किया जा सकता है।

७– शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षा के संगठन, प्रशासन का प्रबन्ध की समस्या का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है।

८– राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा तथा शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है।

९– शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षा में अनुसधान एवं शोध कार्य को सफल बनाया जा सकता है।

१०– शैक्षिक प्रौद्योगिकी की सहायता से शिक्षा को जज-जन तक दूर-दूर तक गाँवों में पहुंचाया जा सकता है।

११– शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा निरक्षारता को दूर किया जा सकता है।

१२– शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से महान व्यक्तियों एवं शिक्षाविदों के विचारों को मौलिक रूप में संचित किया जा सकता है।

भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का विकास :-

भारत वर्ष में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग सर्वप्रथम सेना व सुरक्षा कार्यों के लिए किया गया। बाद में इसका क्षेत्र उद्योग प्रबन्ध, स्वास्थ्य व्यापार तथा शिक्षा में हो गया। १९६६ में भारत में सर्वप्रथम एक भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना की गई जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयास विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में किये गये। सन् १९७० के लगभग प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किये गये। और राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद तथा उच्च शिक्षा संस्थान, बड़ौदा, मेरठ व शिमला विश्व विद्यालयों व शिक्षा विभागों में एम०एड० तथा पी०एच०डी० स्तर पर शोध कार्यों को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद के अन्तर्गत एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया है। अब यह केन्द्र केन्द्रीय संस्थान के रूप में कार्य करने लगा है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने, शिक्षा की व्यापक अभिवृद्धि करने तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त असमानताओं को कम करने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के स्रोतों को फैलाना है। दूरदर्शन सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराये जा रहे है। दूरदर्शन के साथ-साथ शिक्षण माध्यमों विशेष तौर पर राज्यों और फिल्मों के उपयोग को प्रोत्साहन देने की योजना थी इन उपलब्धियों को आगे ले जाने और कार्यक्रम के

संधान के संचित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों के शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कक्षों को सुदृढ़ करने और संघ राज्यों में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कक्ष की स्थापना करने का निर्णय किया गया है । सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फरवरी १९८० में इनसेट दूरदर्शन के उपयोग हेतु विस्तृत नीति तैयार करने के लिए कार्यदल गठित किया था । शिक्षा मन्त्रालय ने दिसम्बर १९८० में आकाशवाणी दूरदर्शन एन०सी०ई०आर०टी० और अन्य सम्बन्धित संगठनों के सहयोग से शैक्षिक प्रसारण पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की इस कार्यशाला की मुख्य उपलब्धि शैक्षणिक प्रसारण हेतु मार्ग दर्शन प्रारूप तैयार करना था । शिक्षा के लिए रेडियो प्रसारण के उपयोग के लिए क्षेत्रीय कालेजों के लिए मार्ग दर्शन एन०सी०इ०आर०टी० तैयार करेगी । रेडियो पाठ्यक्रम भी एन०सी०ई०आर०टी० तैयार करेगी । रेडियो प्रसारणों के उचित उपयोग और योजनाओं में राज्य शिक्षा विभागों को सम्मिलित करने के लिए एक संगठित प्रयास किया जायेगा ।

शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर जो भी शैक्षणिक कार्य होते है वे प्रभावी संप्रेषण की मांग करते हैं । विकासशील देश भारत में अब तक विभिन्न शैक्षणिक माध्यम उपलब्ध हो गये है । जैसे प्रिन्ट माध्यम, रेडियो माध्यम, दूरदर्शन माध्यम प्रिन्ट माध्यम का उपयोग ही मूलत: शिक्षा के क्षेत्रों में किया जाता रहा है । और प्रारम्भिक शैक्षिक तकनीकी के विकास के बाद विभिन्न प्रकार का आडियो वीडियो सामग्रियों का प्रयोग प्रभावी सम्प्रेषण के लिए विद्यालयों में किया जाने लगा है । परन्तु इसके बाद भी शिक्षा के विस्तार और शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ-साथ शिक्षा में गुणात्मक विकास हेतु यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षिक दूरदर्शन, शैक्षिक रेडियो और पत्राचार प्रणाली अर्थात दूरस्थ शिक्षा विधियों का उपयोग शिक्षा में नियोजित ढंग से किया जाये । तभी संविधान में प्रतिबन्धित शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं । उत्तर प्रदेश में भी शैक्षिक दूरदर्शन और पत्राचार प्रणाली का उपयोग नियोजित ढंग से किया जा रहा है । जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में गणात्म सुधार हो सके ।

आधुनिक वैज्ञानिक युग में कम्प्यूटर का महत्व

श्रीमती शोभा सरीन
जिला संसाधन इकाई

प्राचीन समय में मानव ने कभी यह कल्पना भी नहीं की थी, कि उस जैसा एक और मानव उत्पन्न होगा जो प्रत्येक कार्य (शारीरिक व मानसिक) साधारण मानव से भी बढ़कर कर सकेगा। आज इक्कीसवीं सदी या आधुनिक युग को कम्प्यूटर युग का नाम दिया जाय तो अतिशयोक्ति न होगा, क्योंकि मानव का धन व मस्तिष्क आज मशीनी मानव यानि कम्प्यूटर पर केन्द्रित हो गया है।

कम्प्यूटर किन-किन क्षत्रों में प्रयोग में लाया जाने लगा है यदि उसका विवेचन करें तो इसके कार्यों की एक लम्बी सूची प्रस्तुत की जा सकती है। कम्प्यूटर आज व्यक्ति के प्रत्येय कार्य क्षेत्र छपाई, रेलयात्रा, बैंकों में, चुनाव में, पुलिस विभाग में, घरों में, नेत्रहीनों व बधिरों के लिए व यहां तक की ज्योतिष विद्या में भी सहयोग देने लगा है। आज बड़े-बड़े बैंको, सरकारी कार्यालयों तथा निजी कम्पनियों में भी इसका प्रयोग अधिकाधिक किया जाने लगा है, जिससे घटों का काम मिनटों में हो जाता है।

अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज (१७९२–१८७१) को आधुनिक कम्प्यूटर विज्ञान का जन्मदाता माना जाता हैं। 'कम्प्यूटर' का परिभाषिक अर्थ है 'विद्युत चलित गणितीय यंत्र' परन्तु यह अर्थ सीमित है कि यह केवल हिसाब में जोड़, घटाना, गुणा करने वाली मशीन है, जबकि अन्य अनेक विषयों पर विचार करने व अविश्वसनीय गति से कार्य पूर्ण करने में समर्थ है।

कम्प्यूटर एक ऐसा विद्युत चलित यंत्र है, जो मौसम, ट्रैफिक, सिग्नल, कन्ट्रोल, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने, ऐतिहासिक जानकारियां रखने, अस्पताल प्रबन्धन व अपराधों का पता लगाने जैसे कठिन कार्यों से सम्बन्धित जानकारी रखता है। इन पृथक-पृथक विषयों की जानकारियां कम्प्यूटर को "फीड" कराई जाती हैं, व जब जिस विषय के बारे जानना चाहें तो कुछ ही सैकन्ड में जाना जा सकता है।

कम्प्यूटर की अपनी पारिभाषिक शब्दावली व गणितीय सूचकांक होते हैं जो टीवी, स्क्रीन पर अंकित हो जाते हैं जिससे प्रश्न का तार्किक उत्तर प्राप्त किया जा सकता है।

संरचना

कम्प्यूटर में आमतौर पर एक केन्द्रीय संसाधन इकाई और सूचनायें देने व प्राप्त करने के उपस्कर होते हैं। केन्द्रीय संसाधन इकाई 'सी०पी०यू०-सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट' कम्प्यूटर का मस्तिष्क है और सहयोगी उपस्कर आँख, कान, नाक, जीभ, हाथ पैर जैसे सूचनाओं की सूचना प्रवेश मशीनरी द्वारा पंच किए कार्डों पर, पंच किये कागज, टेप पर, चुम्बकीय टेप या डिस्क पर भरा जाता है। इन माध्यमों से सूचनायें एक उपस्कर के माध्यम से कम्प्यूटर के दिमाग में पहुंचा दी जाती हैं। इन कार्यक्रमों को कैसे जोड़ा तोड़ा जाय, यह कार्यक्रम 'प्रोग्राम' के रूप में लिखकर कम्प्यूटर के दिमाग को दिया जाता है जो सूचनाओं और इन कायक्रमो को याद रख सकता है। कार्यक्रम के आधार पर सूचनाओं के जोड़ तोड़ के नतीजे भी याद रख सकता है और जैसे ही आप चाहें वह आपको यह नतीजे अपने सहायक उपस्कर के जरिये दे सकता है।

कम्प्यूटर का दिमाग मनुष्य द्वारा भरे गये कार्यक्रम के अनुसार सारे जोड़ तोड़ बेहद तेजी से करता है। आजकल के कम्प्यूटरों में इस कार्य को नैनों सैकेण्डों में मापा जाता है (एक सैकण्ड में अरब नैनों सैकण्ड होते हैं) और इन कम्प्यूटरों के दिमाग की जगह होता है, चिप लगभग हमारे नाखून जितना बड़ा।

कार्यप्रणाली

कम्प्यूटरों में सूचनायें भरने वाले उपस्करों को 'इनपुटडिवाइसेज' कहते हैं। जो आजकल के छोटे कम्प्यूटरों में फ्लायी डिस्क का रूप ले चुका है। कम्प्यूटर निर्गत विधि के जरिए परिणाम बताता है। इनपुट डिवाइस कम्प्यूटर की आँखें हैं और आउट पुट डिवाइस उसके हाथ हैं। इनपुट उपस्करों के साथ ही है आधुनिक दृश्य पटल 'स्क्रीन' जो टेलीविजन के एक पर्दे जैसा होता है, इस पर हम देख सकते है कि हम कम्प्यूटर में क्या भर रहे हैं और हमें क्या नतीजे दे रहा है।

कम्प्यूटर आज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण करते जा रहे हैं या यूँ कहिये कि धीरे-धीरे हमारा समाज सम्पूर्ण इलेक्ट्रानिकी की ओर बढ़ता जा रहा है। विज्ञान तकनीक का उत्तरोत्तर विकास व उपयोग जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया सी बन गई है। कम्प्यूटर से मानव ज्ञान सही अर्थ में एक महानशक्ति बनने जा रहा हैं।

कम्प्यूटर आज पश्चिमी देशों व जापान की जीवन शैली बदल चुका है। हमारे देश में कम्प्यूटर गतिमान समाज की स्थापना करेगा। नवम्बर १९८४ में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी जी के कार्यकाल में देश में एक कम्प्यूटर नीति की घोषणा की गई है जो एक महत्वपूर्ण कदम है। उससे कम्प्यूटर उद्योग में अन्तर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ेगी, स्वदेशी कम्प्यूटर को आधुनिक तकनीकी मिलेगी एवं कम्प्यूटर की कीमतों में भी गिरावट आयेगी।

उपयोगिता

आज कम्प्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। शिक्षा आफिसों में चिकित्सा में, चुनाव में, कला में, फोटो कम्पोजिंग व मुद्रण में, ज्योतिष में, खेलों में, अनुवादक के रूप में घरेलू कार्यों और अन्य बहुत से क्षेत्रों में कम्प्यूटर ने अपनी धाक जमा ली है और तो और कुछ ही दिनों में मशीनी मानव यानी रोबोट (चेक भाषा में अर्थ है-गुलाम) मानव को सुख-सुविधाओं के संसार में ले जायेगा।

कम्प्यूटर एक अच्छा शिक्षक साबित हो सकता हैं। कम्प्यूटर विद्यालयों की शिक्षा के उपयोग के लिये बना है। यह आपको प्रत्येक प्रकार का सामान्य विज्ञान बगैर धैर्य खोए प्रदान कर सकता है। प्रत्येक प्रकार के स्क्रैच टीवी स्क्रीन पर उभार सकता है। यहाँ तककि यदि कोई पाठ समझ में न आये तो यह पुनः दोहरा भी सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कम्प्यूटर द्वारा पढ़ते हुये बोरियत भी अनुभव नहीं होती। कम्प्यूटर विद्यार्थी को पाठ याद करा सकता है। कम्प्यूटर का यह कार्य "कम्प्यूटर असिस्टेड लर्निंग" कहलाता है। यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिये लाभप्रद है।

शिक्षा में कम्प्यूटर को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना भी तैयार की गई है। जिसे क्लाप कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस योजना का पूरा नाम है "कम्प्यूटर लिटरेसी एण्ड स्टडीज इन स्कूल" यहाँ क्लास का अर्थ कक्षा से नहीं लिया गया इसका अर्थ है "विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता और शिक्षा" यह योजना इलैक्ट्रानिकी व शिक्षा विभागों की संयुक्त योजना है। हमारे यहाँ कम्प्यूटर द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की योजना के अन्तर्गत २५० स्कूलों व ४२ स्त्रोत केन्द्रों में करीब एक हजार कम्प्यूटर लगा दिये गये हैं। यह बड़े सरकारी स्कूलों व सेन्ट्रल स्कूलों में लगाए गऐ हैं व कई पब्लिक स्कूलों में भी कम्प्यूटर स्थापित किए गये हैं जहाँ अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। सातवीं योजना के अन्त तक ३० हजार विद्यालयों में कम्प्यूटर लग जायेगे। प्रत्येक विद्यालय में दो माइक्रो कम्प्यूटरों की आवश्यकता होगी।

एक विशेष परियोजना के अन्तर्गत कक्षा ६ व ११ के इच्छुक छात्रों को कम्प्यूटर के विषय में सारी जानकारी दी जायेगी। पूरे वर्ष में ३० घण्टे इस शिक्षा में बिताये जायेंगे व ६० घण्टे कम्प्यूटर पर अभ्यास के लिए दिये जायेंगे। बाद में भौतिकी, गणित, भूगोल व रसायन शास्त्र जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग किया जावेगा। भारत में २१ वीं सदी का नारा लगाने में "कम्प्यूटर लगाओ" का नारा निहित है। जिसका प्रमुख उद्देश्य है- कम्प्यूटर शिक्षा। आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय विद्यालयों के छात्रों के मुताबिक शिक्षा कार्यक्रम बनाए जायें व भारतीय लिपियों का उपयोग किया जाये क्योंकि अभी तक कम्प्यूटरी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। ऐसा करने पर कम्प्यूटर प्रभावकारी सिद्ध होगा क्योंकि भारतीय शिक्षा प्रणाली पश्चिमी की अपेक्षा काफी पिछड़ी हुई है। इस प्रायोजिक परियोजना के बाद देश के ढ़ाई लाख स्कूलों में शिक्षा शुरू हो जायेगी। परन्तु देशी भाषायें कम्प्यूटरी शिक्षा का माध्यम बने। इस कार्य में अभी काफी समय लगेगा।

कम्प्यूटर अभी "मूक" है व सुन सकने वाले कम्प्यूटर की खोज के लिए भी प्रयत्न जारी है, परन्तु यह अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि प्रत्येक भाषा की रचना बड़ी जटिल है व प्रत्येक कम्प्यूटर अनेक व्यक्तियों की भाषा व बोलियाँ समझ पायेगा, संदेहास्पद है। अतः उच्चारण के शब्दों को एक मशीन द्वारा समझ पाना यदि सम्भव हुआ तो कम्प्यूटर व विद्यार्थी के बीच शिक्षक विद्यार्थी जैसा सम्बन्ध स्थापित हो जायेगा। स्कूल, कालेज जाने हेतु किसी बस या वैन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि "शैक्षिक कम्प्यूटर" इतने सस्ते हो जायेंगे कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति सुगमता से खरीद सकेगा। फिलहाल यह तो तय है कि शिक्षा के क्षेत्र में निश्चय ही कम्प्यूटर क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने में समर्थ है। दफ्तरों में फाइलों की लाल फीताशाही अब कम्प्यूटर के आने से खत्म हो जायेगी, फाइलों की पत्ति लगाने से छुटकारा मिल जायेगा, क्योंकि आफिस में इस्तेमाल होने वाले कम्प्यूटर की कुंजी पटल पर बड़ी संख्या में जानकारी भण्डारण किया जा सकता है जिसे मैगनेटिक टेपों में सुरक्षित रखा जाता है। टिकट आरक्षण और बैंकों में भी कम्प्यूटर बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं। कम्प्यूटर एक अच्छा चिकित्सक विशेषज्ञ भी साबित हो सकता है। यह न केवल लक्षणों के आधार पर रोग की किस व कितने समय से रोग चल रहा है—इस बात की जानकारी देता है बल्कि उस रोग का निदान किस विधि से हो इसकी भी निष्पक्ष जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा जो रक्त कोष स्थापित किए जाते हैं इस विषय में कम्प्यूटर जानकारी देगा कि किस शहर के किस रक्त कोष में किस वर्ग का रक्त संचित है। अतः आपातकालीन केस में कम्प्यूटर में भारी जानकारी के परिणाम स्वरूप जल्द ही जाना जा सकता है कि मरीज को किस वर्ग का रक्त चाहिए।

चुनावों में भी कम्प्यूटर की एक अहम् भूमिका हो सकती है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग यंत्र बनाने का श्रेय भारत को ही है। चुनाव परिणामों व चुनावी विश्लेषणों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कम्प्यूटरों का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होगा। एक अनुमान के अनुसार देश भर में होने वाले चुनावों में ५० करोड़ रुपये की लागत होती है। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (एक यंत्र का मूल्य ४०० रु० और ५० वर्ष तक रिपेयरिंग की जरूरत नहीं) को प्रयोग कर सहज ही बचत की जा सकती है। कम्प्यूटर ग्राफिक्स की कला आधुनिक संस्कृति के अनेक क्षेत्रों में प्रवेश कर गई है। दूरदर्शन के विज्ञापनों, वीडियो खेलों मे, पुस्तकों के कवर नमूने में, फैशन वस्त्रों में कालीनों, वीडियो मिनी फिल्मों में कम्प्यूटर ग्राफिक्स के नमूने देखे जा सकते हैं। वस्तुकला में इसका काफी प्रयोग किया जा रहा है।

कम्प्यूटर संगीत सीखने सुर सजाने व लय निकालने मे मदद करता है। नये सुरों के सृजन के लिए तो यह सहयोग दे ही रहा है साथ ही पुरानी स्वर लिपियों के विश्लेषण में भी यह उपयोगी सिद्ध हो रहा है। हमारे देश में पिछले तीन वर्षों में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पटना जैसे बड़े-बड़े शहरों में कम्प्यूटर ज्योतिषी ने अपनी जगह बना ली है। जन्मतिथि, समय व स्थान की जानकारी के आधार पर किसी व्यक्ति की

कुंडली बनती है व जन्म के समय सूर्य, चन्द्र, ग्रह की स्थिति आकाश में क्या कर रही है इस आधार पर कम्प्यूटर व्यक्ति का भाग्य बनाता है।

कुप्रभाव

आज कम्प्यूटर के द्वारा अनेक कार्य बड़ी तेजी से हो जाते हैं। चारों तरफ इसी की धूम है। हमारे देश में हर वर्ष ४५,००० कम्प्यूटर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने का उत्तम साधन हैं। साथ ही एक बात और है कि कम्प्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से कर्मचारियों की छंटनी भी होगी जो कि शुभ लक्षण नहीं है।

यांत्रिक साधनों द्वारा आदमी की शक्ति को बहुगणित बनाना एक पृथक चीज थी परन्तु आदमी की बौद्धिक क्षमता में कई गुना वृद्धि करना एक नये स्तर की चीज है। आज कम्प्यूटर जो मानव के प्रत्येक कार्यक्षेत्र में दखलन्दाजी करने लगा हैं इससे एक दिन मानव ही प्रभावित होगा। इससे बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगी ही साथ ही अरबों रुपये की कम्प्यूटर योजनायें विकसित पश्चिमी देशों में भले ही सफल हो जाये पर भारत जैसे निर्धन देश में जो अभी विकास के पथ पर है व आजादी के ४५ वर्ष बाद भी गाँवों में पीने के पानी व विद्युत की समस्या व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, जिस पर भी करोड़ों रुपयों की लागत से विद्यालयों में कम्प्यूटर शुरू करने का प्रयास व अन्य क्षेत्रों में भी अंधाधुन्ध कम्प्यूटर का प्रयोग हमें कहाँ पहुंचा देगा इसका सहज अनुमान लगाना सम्भव है। सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, मजदूर वर्ग पर जो बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जायेंगे व यह बात पढ़कर हैरानी होगी कि इक्कीसवीं सदी में २० करोड़ बेरोजगार व्यक्ति होंगे। रेलवे, टेलिफोन डाकतार, बीमा कार्यालयों व बैंकों आदि में नई भर्तियाँ धीरे-धीरे कम होती जा रही है और पुराने कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है।

उपसंहार

हर चीज के दो पहलू होते है। माना कि हमारे देश में पीने के पानी जैसी बुनियादी आवश्यकतायें भी पूरी नहीं हैं, फिर भी सम्भव है कि पीने के पानी और ऐसी ही अन्य बुनियादी समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान के लिए भी हमें एक नयी शिक्षा की जरूरत हो। कम्प्यूटर जिसका एक अपरिहार्य भाग है। कोई भी कौम जो आगे बढ़ना चाहती हैं, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की उपेक्षा और अवमानना नहीं किया करती। कोरिया और जापान हमसे छोटे देश हैं, परन्तु साधन सम्पन्न और अधिक खुली विचारधारा वाले हैं, यदि हम भी संकीर्ण मानसिकता को त्याग दें तो हम भी उन्नति के शिखर तक पहुंच जायेंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम पूर्णतया कम्प्यूटर के ऊपर निर्भर न हों। हमें स्मरण रखना चाहिए कि "स्वचालन" शब्द आर्थिक सन्दर्भ में 'दासक्षम" का पर्यायवाची है अर्थात् मानव जितना उन स्वचालित यंत्रों का प्रयोग करता जायेगा,

उतना ही उसकी शारीरिक व बौद्धिक क्षमता यंत्र की गुलाम होती जायेगी व व्यक्ति जब पूर्णतया कम्प्यूटर पर निर्भर होता जायेगा तो कम्प्यूटर के बिना कोई कार्य नहीं कर सकेगा।

कम्प्यूटर इस्तेमाल करने हेतु विज्ञान की पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है इसलिये अच्छा यही होगा कि हमारी सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम चलाये जिससे सभी वर्गों के लोगों को कम्प्यूटर शिक्षा मिले और अमीर-गरीब सभी कंधे से कंधा मिलाकर आधुनिक प्रोद्योगिकी के लाभ को समझें और उसका फायदा उठायें। अगर ऐसा हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय शिक्षा प्रणाली एकबार फिर विश्व की अन्य शिक्षा प्रणालियों की सिरमौर होगी।

योग शिक्षा

श्रीमती राशदा शरफ
प्रभारी
कार्यानुभव विभाग

संसार में कितनी विभिन्नतायें है जड़, मूल, प्राणी-मनुष्य तथा अन्य जीव सभी अपनी-अपनी प्रवृत्ति से इस संसार में जी रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य चन्द्रमा दिन रात नियमित रूप से चलते है उसी प्रकार जड़ मूल प्राणी अपने निश्चित दायरे में अपने-अपने दायित्व को निभा रहे हैं। थोड़ा मनन करके देखे तो कि प्रकृति ने यह कैसा जाल बिछा रखा है। उसने अनेकानेक आश्चर्यजनक अभिव्यक्तियां रची उसने जितनी भी अभिव्यक्तियाँ रची उनमें सर्वसुन्दर, सर्वोत्तम तथा सबसे अधिक आश्चर्यजनक रचना मनुष्य है। दृश्य जगत के समक्ष जड़ पदार्थ और चेतन प्राणी के गुण धर्म तथा विविध व्यापारों के सन्दर्भ में विचार करते हुये यूनानी दार्शनिक सोफी क्लीज ने कहा है, "दुनियाँ में आश्चर्यजनक वस्तुये तो अनेक है, लेकिन आदमी से बढ़कर अद्भुत और विलक्षण कोई नहीं" इसी विचार को हमारे भूत पूर्व राष्ट्रपति डा. राधाकृष्णनन, सर्वपल्ली ने भी "पूर्व और पश्चिमी-कुछ विचार" नामक पुस्तक में मानव शरीर पर चर्चा की है।

वस्तुतः सृष्टि के समस्त प्राणियों में शारीरिक संरचना और व्यवहार गति प्रतिमान दोनों दृष्टियों से मनुष्य जाति सर्वोत्तभावेन विशिष्ट है। मनुष्य की सर्वोत्तभावेन विशिष्टता उसके स्वस्थ शरीर पर निर्भर है। क्योंकि स्वस्थ शरीर ही उच्च, सरल एवं अद्भुत विचार का उत्पादक है। शरीर को स्वस्थ बनाये रखने के लिये शारीरिक शिक्षा ही एक मात्र मार्ग है। शारीरिक शिक्षा की विभिन्न शाखायें हैं जैसे शारीरिक व्यायाम खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम।

यहाँ शारीरिक शिक्षा के उप विषयों का संक्षेप में वर्णन करना उचित होगा।

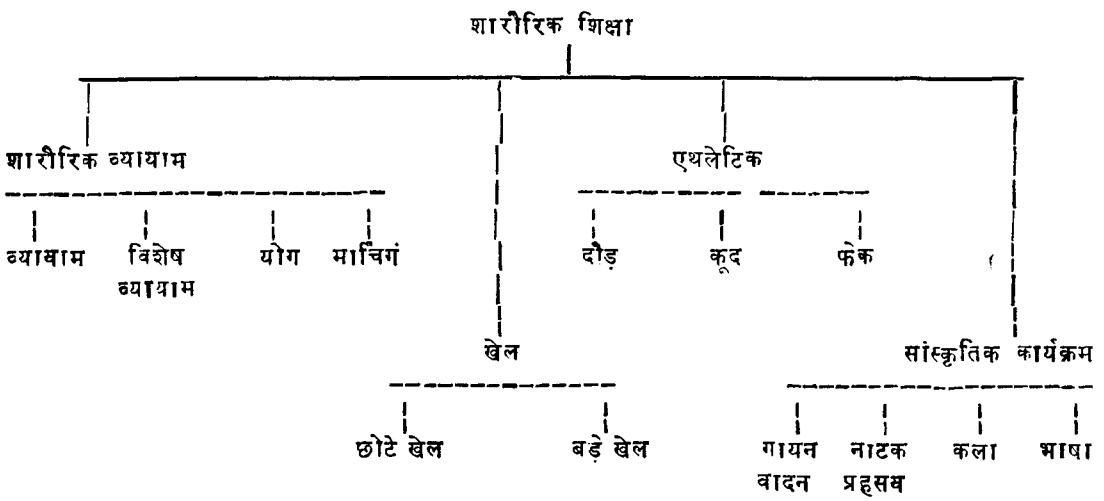

शासन द्वारा उच्च पैमाने पर शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था निम्नलिखित उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये बनाई है।

१- शारीरिक शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास कराना ताकि देश भक्ति की भावना से ओत प्रोत नागरिक तैयार हो।

२- शरीर को स्वस्थ एवं मांशपेशियों को क्रियाशील बनाना।

३- सहयोग, साहस, सतर्कता एवं उत्साह की भावना विकसित करना।

४- मस्तिष्क एवं मांसपेशियों में सामंजस्य स्थापित करना।

५- राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करना।

शारीरिक शिक्षा के उच्च उद्देश्यों को देखते हुए शासन द्वारा कई प्रयास किए गए है। जैसे—

विभिन्न संस्थायें जैसे स्काउटिंग/गाइडिंग, एन०सी०सी०, ए०सी०सी०, एन०सी०डी० तथा स्पोर्टस कालेज व योग केन्द्र आदि-आदि को प्रोत्साहन दिया। योग केन्द्र लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में खुले है। योग शारीरिक शिक्षा का एक उपविषय है यह अपने ही में बहुत महत्वपूर्ण है।

योग की परिभाषा :-

योग शब्द संस्कृत के यजु धातु से बना है जिसका अर्थ है बाँधना, युक्त करना, जोड़ना, मिलाना, ध्यान को नियंत्रित तथा केन्द्रित करना, उपयोग में लाना लगाना। योग का अर्थ है संयोग या मिलन भी होता है अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में विलीन करना ही सच्चा योग है। बुद्धि, मन, भावनाओं को अनुशासित करना जिसकी पूर्व कल्पना योग करता है।

यह योग दर्शन भारतीय परम्परागत षटु दर्शनों में से एक है पतंजलि ने अपने इस दार्शनिक सिद्धान्त को योग सूत्रों में संग्रहीत, विभाजित एवं क्रमबद्ध किया है। भारतीय विचारधारा के अनुसार प्रत्येक बस्तु उस विश्वात्मा में व्याप्त है जिसका कि जीवात्मा एक अंश है। इसे योगशास्त्र इसलिये कहते हैं कि यह मार्ग जीवात्मा को परमात्मा से युक्त करना सिखाता है उन दोनों को समन्वित करता है जिससे जीवात्मा को कैवल्य की प्राप्ति हो।

योग मार्ग का साधन करने वाले योगी या योगिन हैं भगवत् गीता के छठे, अध्याय में, जोकि योग दर्शन का अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाण हैं, श्रीकृष्ण अर्जुन को योग का अर्थ वेदना और दुख के सम्बन्ध से मुक्त बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि जब "मन बुद्धि और अहंकार वश में होते हैं और चंचल इच्छाओं से रहित होते हैं जिससे वे आत्म स्थित रह सकें, तब पुरुष" युक्त होता है जहां वायु नहीं होती है वहां दीपक का पता नहीं होता। यही स्थिति योगी की है, जो अपनी आत्मा में लीन होकर मन, बुद्धि और अहंकार को वश में करता

है योगाभ्यास द्वारा मन बुद्धि और अहंकार की चंचलता को शान्त कर दिया जाता है। तभी योग परमात्मा के अनुग्रह से अपने में पूर्ण आनन्द का अनुभव करता है वह इस अनुभूति से स्थिर रहता है विचलित नहीं होता। उसे वह निधि प्राप्त होती है जो सर्वोपरि है इससे और कुछ महान नहीं है जिसने इसे प्राप्त किया उसे महान से महान दुःख भी विचलित नहीं कर सकेगा। योग का सही अर्थ यही है "वेदना और दुख के संसर्ग से मुक्त।

जिस प्रकार अच्छी तरह तराश गये हीरे के अनेक पहलू होते हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रकार रंग फेंकते है, उसी प्रकार योग शब्द विभिन्न अर्थ प्रस्तुत करता है और आन्तरिक शान्ति तथा आनन्द की प्राप्ति के लिए मनुष्य के दीर्घ प्रयास के विभिन्न रूपों को प्रकट करता है।

भगवद्गीता कर्मयोग के सिद्धान्त पर आधारित योग की एक दूसरी व्यवस्था प्रतिपादित करती है। कहा है कि तू केवल कर्म करने का अधिकारी हैं, उसके फल पर नहीं। तेरा उद्देश्य कर्म का फल कभी न हो और न अकर्म के प्रति तेरा अनुराग हो। सब प्रकार की आसक्ति को त्यागकर परमात्मा के लिए अपना कार्य करता जा। सफलता और विफलता से प्रभावित न हो। यह मन की समता "संतुलन" ही योग कहलाती है।

योग का वर्णन कर्म के ज्ञान अथवा कार्य व्यापार समता और संयम से जीवम निर्वाह के रूप में हुआ है। योग उसके लिए नहीं है, जो बहुत अधिक खाता है और न उसके लिए है जो बिल्कुल नहीं खाता। यह उसके लिए नहीं है जो बहुत अधिक सोता है या जागता रहता है। आहार विहार के संयमन, कार्य के नियमन तथा जागरण और निद्रा के नियंत्रण से योग सभी प्रकार की वेदना और दुःखों का उन्मूलन करता है।

कठोपनिषद में योग की परिभाषा इस प्रकार की गई है :-"जबकि चेतना निष्चेष्ट हो जाती है, मन शान्त हो जाता है जबकि बुद्धि अचंचल "स्थिर" हो जाती है, तब ज्ञाम उसे सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ मानते हैं। चेतना और मन इस दृढ़ निग्रह को ही योग की संज्ञा दी गई है। जो इसे प्राप्त करता है वही बंधन मुक्त है।

पतंजलि ने अपने योग दर्शन के प्रथम पद के दूसरे सूत्र में योग को चित्त वृत्ति निरोध कहा है। इसका भाषान्तर "मानसिक रूपान्तर का नियंत्रण अथवा चेतना की चंचलता का दमन हो सकता है। चित्त शब्द का अर्थ है मन की अपनी समग्र या सम्पूर्ण चेतना जो कि तीन श्रेणियों में है। (अ) मन, मानस अर्थात स्वीकृति एवं अस्वीकृति की आन्तरिक शक्ति एवं सामर्थ्य से सम्पन्न किसी व्यक्ति का मन, मन की आन्तरिक शान्ति का अस्थिर कम्पन। (आ) बुद्धि अर्थात पदार्थों के भेद के निश्चय निर्णायिका स्थिर और (इ) अहंकार अर्थात मैं का कर्ता, मैं जानता हूं कि अवस्था।

वृत्ति शब्द व्ययुत्पन्न है संस्कृत के "वृत्त" धातु से जिसका अर्थ है मोड़ना, घुमाना, लपेटना इस प्रकार इसका अर्थ हुआ क्रिया विधि, व्यवहार, होने की रीति या प्रकार स्थिति या मानसिक अवस्था। योग वह प्रक्रिया है जिससे चंचल मन शान्त होता है और सत्य निर्माण की दिशा में नियंत्रित होती है। जिस

प्रकार शक्तिशाली नदी जब बाँध और नहरों के द्वारा ठीक तरह से व्यवस्थित होती है, तब विशाल जलराशि बनाती है, जो सूखा अकाल होने से बचाती है और उद्योग के लिए विपुल शक्ति प्रदान करती है, उसी प्रकार मन जब वश में होता है तब जीवन शान्ति प्रदान करता है और मानव की उन्नति के लिए विपुल शक्ति उत्पन्न करता है।

मन को वश में करने की समस्या का समाधान सहज नहीं है जैसा कि भगवद्गीता के छठे अध्याय के नवें श्लोक में लिखे सम्भाषण से प्रकट होता है। अर्जुन कृष्ण से पूंछते हैं 'कृष्ण आपने कहा हैं कि ब्रह्म "विश्वात्मा" जो सदा एक है से तादात्म्य ही योग है। लेकिन जब मन इतना चंचल और अस्थिर है तब यह शाश्वत कैसे हो सकता हैं? इसको वश में करना वायु को वश में करने की भाँति बहुत ही कठिन है फिर भी उसे निरन्तर अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में किया जा सकता है। जिसने अपने आपको संयमित नहीं किया है उसके लिए योग को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन कार्य है परन्तु आत्म संयमी व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है यदि वह श्रम पूर्वक साधना करता है और अपनी शक्ति उपयुक्त साधनों से नियंत्रित करता" है।

योग की अवस्थाएं :-

योग-साधना का ठीक उतना ही महत्व है जितना किसी कार्य करने या कार्य के अन्त या परिणाम का। पतंजलि आत्मा की खोज के लिए योग के आठ अंगों "अष्टांग" या अवस्थाओं के नाम गिनाते हैं। ये हैं :—

१— यम "व्यापक-सार्वभौम नैतिक कर्त्तव्य"।

२— नियम "अनुशासन द्वारा चित्त का शुद्धीकरण"

३— आसन "शारीरिक संस्कृति"

४— प्राणायाम "श्वसन क्रियाका समनियंत्रण"

५— प्रत्याहार "बाह्य वस्तु एवं ऐन्द्रिक चेतना के प्राबल्य से मन की मुक्ति और अलगाव।

६— धारणा "किसी एक विषय में चित्त की एकाग्रता"

७— ध्यान "धारणा के विषय को चेतना केन्द्र में टिकाए रखना-चिन्तन"

८— समाधि "गहन ध्यान के द्वारा प्राप्त दिव्य चेतना की वह अवस्था जिसमें साधक अपने साध्य परमात्मा का विश्वात्मा के साथ एक हो जाता है"।

यम और नियम योगी के विकारों एवं भावनाओं को नियंत्रित रखते है तथा उसे अन्य साधकों के साथ एक स्थिति में लाते हैं।

आसन शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ तथा प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण रखते हैं अन्ततः योगी अपनी शारीरिक चेतना से मुक्त हो जाता है यम-नियम तथा आसन बाहरी साधना-बहिरंग साधना है।

प्राणायाम और प्रत्याहार-साधक को श्वासों का संचालन सिखाता है जिससे मन नियंत्रित होता है। प्राणायाम तथा प्रत्याहार-योग की अन्तरंग साधना कहलाती है।

धारणा, ध्यान और समाधि योगी को इसकी आत्मा के अन्तरतम के गहन स्थान में ले जाती है। वह परमात्मा की खोज में आकाश की ओर टकटकी नहीं लगाता। उसे बोध होता है कि वह "उसमें ही है, जिसे अन्तरात्मा के रूप में जाना जाता है। धारणा, ध्यान एवं समाधि साधक और कर्ता के बीच समस्वात्मा साधन आत्मा की खोज" कहलाती है।

योग एक बहुत ही व्यापक शब्द है यदि इस विस्तार में जाने लगें तो हम अन्य बिन्दुओं की परिचर्चा से वंचित रह जायेंगे। अतः यहाँ पर केवल योग के नाम का वर्णन करके अन्य बिन्दुओं पर विचार करेंगे।

व्यक्ति जो अपने इस नश्वर शरीर में अनन्त ज्ञान, प्रेम एवं निष्काम कर्मभाव रखता है वह पवित्र आत्मा है और वह गंगा यमुना सरस्वती के संगम के पुण्य तीर्थ सा है इन्हें जो प्राप्त करते हैं वे शान्त और पवित्र हो जाते है।

इन्द्रियों का राजा मन है जिसने अपने मन, इन्द्रिय, वासना विचार और बुद्धि पर विजय पाई वह नर श्रेष्ठ है। वही "राजयोग" का अधिकारी है। अपने मन पर जिसका अधिकार हैं वह राजयोगी है।

यद्यपि पतंजलि ने मन को वश में करने के उपाय बताये हैं और उसे अष्टांग योग कहा है परन्तु उन्होंने कहीं पर भी अपने योग सूत्रों में नहीं बताया है कि यह विज्ञान राजयोगी है इसे राजयोग विज्ञान कहा जा सकता है क्योंकि यह व्यक्ति का स्वयं परिपूर्ण अधिकारी अभिव्यक्त करना है।

"हठयोग" प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम ने इसी मार्ग को हठयोग कहा है क्योंकि इसमें कठिन अनुशासन की आवश्यकता होती है। प्रायः यह विश्वास किया जाता है कि राजयोग और हठ योग सभी प्रकार के पृथक, भिन्न तथा एक दूसरे के विरुद्ध हैं कारण कि पतंजलि के योग सूत्रों में केवल मानसिक अनुशासन के विषय में कहा गया है और स्वात्माराम की हठयोग प्रदीपिका में केवल शुद्ध शारीरिक अनुशासन बतलाया गया है परन्तु बात ऐसी नहीं है। हठयोग और राजयोग एक दूसरे के पूरक हैं और मोक्ष "कैवल्य" की प्राप्ति के लिए यह दोनों एकांगी प्रयोग हैं जिस प्रकार पर्वतारोही के लिए सीढ़ियों, रस्सियों और खड़ाऊं के साथ ही साथ शारीरिक सामर्थ्य और हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चढ़ने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार योग साधक को पतंजलि के राजयोगी के राजयोग ऊंचाई पर पहुंचने के लिए स्वात्माराम के हठयोग के ज्ञान और अनुशासन की आवश्यकता है।

योग का यह मार्ग अन्य मार्गों के स्रोत हैं। इससे शान्ति और स्थिरता मिलती हैं और यह मन को उपाधि रहित आत्म समर्पण के लिए तैयार करता हैं।

अन्त में यह कहना है कि योग की परिभाषा एवं आवश्यकताओं को शब्दों से व्यक्त करना असम्भव तो नहीं परन्तु अत्यधिक कठिन है। यदि इसकी विस्तृत व्याख्या करने लगें तो इसके लिए अलग से एक पुस्तक का निर्माण करना पड़ेगा। अतः यहाँ यह प्रयास किया गया है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक पाठकों को लाभान्वित किया जा सके।

आज के परिवेश में जनसंख्या शिक्षा

श्रीमती प्रेमवती गुप्ता
प्रबन्ध एवं नियोजन विभाग

जन से जन परस्पर मिलकर निर्मित जन समुदाय का आकार जब निरन्तर बढ़ता गया उसे जनसंख्या के नाम से गिनने की आवश्यकता हुई। हमारे देश में जनसंख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। जनसख्या अधिक हो जाने पर जीवन की मूल-भूत आवश्यकतायें-भोजन, वस्त्र, तथा आवास की मांग बढ़ जाती है। और उस माँग की पूर्ति उचित मात्रा में नहीं हो पाती तो हर सदस्य का जीवन अभावग्रस्त और संघर्षमय बन जाता है। परिणामस्वरूप सामाजिक ढ़ाँचे में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। जनसंख्या की वृद्धि से व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज एवं समस्त देश की प्रत्येक क्रिया-प्रतिक्रिया प्रभावित होती हैं।

वर्तमान भारत में जनवृद्धि की गति २.५ प्रतिशत है हर डेढ़ सेकेण्ड में हमारे यहाँ एक शिशु जन्म लेता है। अर्थात हर मिनट में ४० और हर घण्टे में २४०० बच्चे जन्म लेते हैं। प्रतिदिन हमारे देश में ५७,६०० आबादी वाला एक नगर बस जाता है। यदि प्रतिदिन की आबादी को जोड़ दिया जाय तो हर माह के बाद १७ लाख २८ हजार वाला एक बड़ा नगर बस जायेगा। जन्मदर से मृत्युदर कम होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि निरन्तर बढ़ती जा रही है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद १९५१ की प्रथम जनगणना के समय भारत की जनसख्या ३६ करोड़ दस लाख के करीब थी। दस वर्ष बाद देश की आबादी १.३३ प्रतिशत की दर से बढ़कर ४४ करोड़ से अधिक हो गई। १९७१ में हमारे देश की जनसंख्या ५५ करोड़ और १९८१ में ६८--६९ करोड़ के करीब हो गई है। जनसंख्या विशेषज्ञों का अनुमान हैं कि इस दशक के बाद सन् १९९१ के भारत मे साढ़े तेरह करोड़ से अधिक जनसंख्या जुड़ जायेगी। और सन् २००० तक हम भारतीय २७ करोड़ साठ लाख और अधिक व्यक्तियों को जोड़ लेंगे परिणामस्वरूप यदि जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार बढ़ती रही तो एक दिन ऐसा आयेगा कि मुख्य उद्योग के लिये भूमि ही नहीं बचेगी, तब व्यक्ति का जीवन दुष्कर हो जायेगा। कुछ विचारकों तथा विद्वानो ने इस बढ़ती हुई विकट जनसंख्या समस्या को सीधे तथा तुरन्त प्रभावी कर अंकुश में लाने वाले कुछ कठोरतम एवं अनिवार्य उपायों को कार्यान्वित करने का सुझाव दिया जिस पर विशेष रूप से न केवल ध्यान देना चाहिये, अपितु तुरन्त ही जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए कदम उठाने चाहिये। हमें यह नहीं

भूलना चाहिये कि विश्व की मात्र १/२ प्रतिशत भूमि पर बसे हमारे भारत में सन २००० तक विश्व की जनसंख्या का छठा भाग सांसे ले रहा होगा। और विश्व जनसंख्या का हर सातवाँ व्यक्ति एक भारतीय होगा। अत: जनसंख्या शिक्षण का अध्ययन नई पीढ़ी के लोगों के लिए आवश्यक होना चाहिए। देश की अप्रत्याशित बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्याओं का सामना करने के लिए जनसंख्या शिक्षण विषय एक महत्वपूर्ण, गहनगम्भीर, दीर्घकालीन, भूमिका अदा कर सकेगा।

जनसंख्या शिक्षण का अर्थ

जनसंख्या शिक्षण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि में उत्पन्न समस्याओं के विषय में गहन ज्ञान, समझ एवं जागरूकता प्रदान करता है। विषय ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति स्वयं अपने, अपने परिवार, समाज, समुदाय, और देश के जीवन स्तर को उच्च एवं सुदृढ़ बना सकता है।

वेरेलमन के मतानुसार "जनसख्या शिक्षण द्वारा शिक्षक और विद्यार्थियों में जनसंख्या के विषय में जागरूकता विवेक व ज्ञान विकसित किया जाता है। साथ ही पारिवारिक जीवन एवं मूलभूत मान्यताओं का ज्ञान भी कराया जाता है। जनसंख्या शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिये जिससे विद्यार्थी भली भाँति समझ जाय कि परिवार के आकार को नियत्रण में रखा जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण से देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और समृद्ध बनाने में सहयोग मिलता है। जनसंख्या शिक्षण से यह जागरूकता भी उत्पन्न की जा सकती है कि परिवार के सदस्यों के सर्वांग सुखों स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता, युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए आज भारतीय परिवार को एक या दो बच्चों के जन्म से ही समझौता कर लेना चाहिये।

व्यक्ति, देश, समाज का कल्याण इसी में निहित है कि कुटुम्ब का स्वरूप छोटा हो। इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं।

जनसंख्या शिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है।

जनसंख्या शिक्षण विद्यार्थियों को जनसंख्या व उसकी गतिविधियों के विषय में जागरूक बनाता है।

जनसंख्या के कारण जीवन स्तर पर पड़ने वाले कुप्रभाव को दर्शाता है।

जनसंख्या शिक्षण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जनसंख्या का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन एवं स्पष्टीकरण करता है।

जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक साधनों पर प्रभाव :-

आज देश की जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है उसे लक्ष्य में रखते हुए यह कहना बहुत कठिन है कि और कितने दिनों तक हम इस प्राकृतिक संपदा का उपयोग कर सकेंगे। एक ओर बढ़ती हुई जनसख्या और दूसरी ओर विलासिता के साधन–प्राप्ति की अंधी स्पर्धा ने प्राकृतिक साधनों का शोषण उस सीमा तक कर दिया है कि आज एक चिन्ताजनक व गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि जनवृद्धि का दबाव

भूमि, जल, वायु, सभी प्राकृतिक संसाधनों पर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में देश की जनसख्या सन् दो हजार तक एक सौ दस करोड़ के समीप पहुंच जायेगी। और उस समय मानव जीवन अतिशय दूभर हो जायेगा। इसका कारण है कि प्राकृतिक साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं की जा सकती, इन साधनों में सर्वप्रथम भूमि आती है।

भूमि और जल :-

यह भूमि प्रकृति की ओर से भेंट की गई हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के कारण भूमि की उत्पादन की शक्ति से सम्बन्धित है, समस्त भूमि की उर्वरक क्षमता एक सी नहीं होती है क्योंकि भूमि भिन्न-भिन्न प्रकार की पायी जाती है। अत: जनसंख्या की वृद्धि से योग्य भूमि उपलब्ध नही हो सकेगी। कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया भी गया तो रहने की अव्यवस्था होना स्वाभाविक है।

जनसख्या की वृद्धि के कारण ही जल प्रदूषित होता है जनसंख्या वृद्धि के कारण औद्योगीकरण अधिक होते हैं तथा औद्योगीकरण के कारण जल का प्रदूषित होना स्वाभाविक है।

जनसंख्या वृद्धि एवं वातावरण प्रदूषण :-

जनसंख्या वृद्धि से वातावरण और प्रदूषण प्रभावित होते हैं। वास्तव में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जिसका प्रभाव सम्पूर्ण वातावरण पर पड़ रहा है। जन वृद्धि से उपभोग की सभी सामग्रियों की माँग बढ़ती है और माँग बढ़ने से नये-नये उद्योग आरम्भ होते हैं। इन उद्योगों में सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग होने के कारण शेष रहे व्यर्थ हानिकारक पदार्थ सारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। अत: वातावरण प्रदूषण का मूल कारण आज के औद्योगीकरण की तीव्र गति को नहीं वरन् जनसंख्या वृद्धि की अप्रत्याशित तीव्र गति को माना जाना चाहिये। जनसख्या वृद्धि के कारण आयोजन रहित उद्योगों की वृद्धि, नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति व वाहन की असीमित वृद्धि से एक साथ मिलकर वातावरण प्रदूषण की समस्या को खडाकर दिया है। इस प्रदूषण ने समस्त मानव तथा प्राणी जगत के शुद्ध वायु मंडल को असंतुलित कर दिया है।

जनसंख्या वृद्धि का सामुदायिक जीवन पर प्रभाव :-

जनसंख्या वृद्धि का जीवनस्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसख्या का परिणाम होता है कि जनसंख्या का विस्तार मानव मात्र जो इस पृथ्वी पर बसता है परस्पर एक दूसरे से, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति से सम्बन्धित है। अपने जीवन का अस्तित्व बनाये रखने के लिये, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। इन आवश्यकताओं में भरपेट भोजन, निवास

करने योग्य आवास, शुद्ध जल स्वच्छ वायु तन ढकने के लिए वस्त्र आदि सम्मिलित हैं। इन सब आवश्यकताओं की हर समय उचित मात्रा में पूर्ति हो, यह तभी सम्भव होगा जब मानव की संख्या सीमित हो। जैसे-जैसे मानव संख्या बढ़ती जायेगी वैसे-वैसे निश्चय ही सभी मनुष्यों की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती और उस स्थिति में मानव जीवन दुखी और संघर्षमय बन जावेगा, अनेक कठिन समस्याओं से त्रस्त हो जायेगा।

जनसंख्या वृद्धि का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव :-

परिवार जितना छोटा होगा उतना ही स्वस्थ और समृद्धशाली होगा वृहत् परिवार का प्रभाव बच्चे के बौद्धिक विकास पर भी दृष्टिगोचर होता है। एक लघु परिवार के बच्चे का विकास समुचित रुप से होता है जबकि बड़े परिवार में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। बड़े परिवारों में शिक्षा के अभाव के कारण बच्चों का पूर्ण विकास सम्भव नहीं होता। उन बड़े परिवारों में जहाँ बच्चों की आयु में बहुत कम अन्तर होता है, वहाँ उनके मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकास मे कमी आ जाती है। माताओं को वह पौष्टिक आहार नहीं मिलते हैं जो उन्हें मिलने चाहिये, इससे माँ के स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता है ही साथ ही बच्चों का विकास भी नहीं हो पाता।

जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी :-

हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या अत्यन्त उग्र हो गई है। आज हमारे देश में शारीरिक व मानसिक रुप से समर्थ और कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति तो कई हैं किन्तु रोजगार के अथवा आर्थिक आवक अवसर उन लोगों के लिये प्राप्त नहीं है। देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण श्रम करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ग्रामीण बेकार श्रमिक रोजगार पाने के लिये औद्योगिक क्षेत्रों की ओर चल पड़ते हैं और वहाँ की बेकारी की संख्या और अधिक बढ़ा देते हैं।

औद्योगीकरण की गति जनसंख्या वृद्धि दर के अनुपातों में बहुत धीमी होने के कारण काम पाने के इच्छुक श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता। इसके साथ हीं औद्योगिक क्षेत्रों अथवा नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित वर्ग में पायी जाने वाली बेरोजगारी ने भी भीषण रुप धारण कर लिया हैं। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ने इस समस्या को अधिक उग्र बना दिया है, कारण कि हमारी शिक्षा पद्धति किताबी अधिक है, व्यवसायिक कम है

जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा समस्या :-

भारत में जनसंख्या के साथ-साथ स्कूल जाने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है हर वर्ष १३६ लाख बढ़ने वाली आबादी के लिये करीब १२६५०० विद्यालयों और ३७२५०० शिक्षकों की आवश्यकता होगी जो कि सम्भव नहीं है। देश में शिक्षा का स्तर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण गिरता जा रहा हैं

विद्यार्थियों को इस बेगिनी बाढ़ ने तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हर शिक्षा संस्थान के सामने चाहे वह प्राइमरी स्कूल हो, या माध्यमिक या कालेज, या कोई यान्त्रिकी विद्यालय सभी स्थान पर लम्बी-लम्बी कतारों की भीड़ देखी जा सकती है। अतः आवश्यक हो गया है कि वर्तमान स्थिति को और बिगड़ने से पहले हम सतर्क हो जायें। आज हर शिक्षालय भारी भीड़ का केन्द्र हो गया है। आने वाले दिनों में इन भीड़ भरे शिक्षा केन्द्रों में कितनी अधिक भीड़ बढ़ जायेगी, इसका सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। आज यह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में वैज्ञानिक ढंग से नई पीढ़ी को समझाया जाय, उन्हें शिक्षा द्वारा जनवृद्धि नियन्त्रित करने का कर्तव्य बोध कराया जाय ताकि वे स्वयं के व राष्ट्र के भविष्य को सुखी व समृद्ध बना सकें।

उपसंहार :-

उपरोक्त समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए आज यह आवश्यक हो गया है कि जनसंख्या शिक्षण अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम से जोड़ा जाय। जनसंख्या शिक्षण परिवार नियोजन की शिक्षा नहीं है। परिवार नियोजन की शिक्षा केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जो उत्पादक वर्ग के हैं, जबकि जनसंख्या शिक्षा सभी व्यक्तियों के लिये है इसमें बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के लोग सम्मिलित रहते हैं। इसमें छोटे परिवार के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करना प्रमुख लक्ष्य रहता है।

जनसंख्या शिक्षा का स्वरूप कैसा हो इसका निश्चित उत्तर सम्भव नहीं हैं। क्योंकि जनसंख्या का विषय वृहत् है। यह शिक्षा कम आयु के बालकों से लेकर प्रौढ़ व्यक्तियों तक के लिये आवश्यक है। केवल औपचारिक शिक्षा में ही जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता नहीं है वरन् अनौपचारिक शिक्षा में भी जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत करके बताया कि जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अध्यापकों को भी इसका ज्ञान हो सकेगा। किन्तु विद्यालयी विषयों में जनसंख्या अतिरिक्त विषय लागू करने से छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि वर्तमान में छात्रों पर पहले से ही अधिक भार है। इसलिये जनसंख्या शिक्षा को अलग विषय न लागू करके, जनसंख्या शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रकरणों को उनकी प्रकृति से मेल खाते हुए विषयों में जोड़ देना ही पर्याप्त होगा जोड़ते समय यह ध्यान में रखा जाये कि वह युक्तिकरण भद्दा प्रतीत न हो वह उसी प्रकार रहे जिस प्रकार जुलाहा विभिन्न प्रकार के रंगों के धागों से कपड़े के लिये ताना बाना बनाते हैं, और विभिन्न रंगों के मेल से बनने वाला वस्त्र केवल एक रंग के धागे से बने वस्त्र की अपेक्षा सुन्दर लगता है। इस प्रकार उपयोगी प्रकरणों को चयन करके विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में इन प्रकरणों को जोड़ देना चाहिये ताकि विषय के साथ-साथ जनसंख्या का भी शिक्षण चलता रहे।

हिन्दी भाषा में उच्चारण, दोष के कारण एवं निदान और वर्तनी

श्रीमती सरला श्रीवास्तव
शैक्षिक प्रोद्योगिकी
विभाग

भाषा का महत्व अनादि काल से है इसे जीवन का पर्यायवाची कहना अतिशयोक्ति न होगा। भाषा मानव समाज को विधाता की ओर से प्राप्त एक बरदान है। वाक् शक्ति के बल पर ही मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी बन सकता है। यह सामाजिक वस्तु तथा मनुष्य की अर्जित सम्पत्ति है। भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच सका। अर्थात हमारी आज की सभ्यता का स्वरूप भाषा की ही प्रमुख देन है। पन्त जी के शब्दों में :-"भाषा संसार का नादमय चित्र है ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तन्त्री झनकार है"।

यह समस्त तीनों लोक अंधकार मय हो जाते, यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता। वास्तव में भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मानव शुद्ध स्पष्ट एवं प्रभावशाली ढंग से अपने भावों विचारों एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति कर सकता है। लेकिन उच्चारण दोष के कारण भाषा निर्जीव एवं बात अस्पष्ट रह जाती है। अतः भाषा में शुद्ध उच्चारण एवं वर्तनी का महत्वपूर्ण स्थान है। शुद्ध वर्तनी को नजर अन्दाज करके ही दोषपूर्ण उच्चारण के कारण एवं उनका निराकरण सम्भव हो जाता है।

प्रत्येक भाषा का अपना ध्वनितत्व होता है। भिन्न-भिन्न ध्वनियों के लिए भिन्न-भिन्न अक्षर अथवा अक्षर समूह निश्चित होते हैं हिन्दी भाषा का ध्वनि तत्व बड़ा ही वैज्ञानिक है। हिन्दी भाषा में प्रत्येक अक्षर का उच्चारण निश्चित होता है। बोलते अथवा पढ़ते समय किसी अक्षर का उच्चारण यदि भिन्न होता है तो यह अक्षर दोष कहलाता है। शुद्ध उच्चारण की ओर ध्यान न देने से भाषा का कोई निश्चित रूप नहीं होता भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक दूसरा लिखित, लिखित भाषा मौखिक भाषा का प्रतिनिधित्व मात्र ही करती हैं। व्यक्ति जो बोलता है वही लिखता है। शब्दों की वर्तनी के अशुद्ध होने का मुख्य कारण अशुद्ध बोलना है। अन्यथा नागरी भाषा का ध्वनि तत्व इतना वैज्ञानिक और स्पष्ट है कि उसमें वर्तनी का अशुद्ध होना सम्भव नहीं। अतः शुद्ध उच्चारण का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके अभाव में लिखित अथवा मौखिक दोनों ही रूप विकृत हो जाते हैं।

शुद्ध वर्तनी का महत्व :-

हिन्दी में शुद्ध वर्तनी की महत्वपूर्ण भूमिका है शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध वर्तनी का होना आवश्यक है। 'सकल' के स्थान पर 'शकल' लिखने से अंश का भाव ही रह जाता है। हिन्दी भाषा में तो उच्चारण और वर्तनी एक दूसरे पर पूर्णतः निर्भर है।

उच्चारण दोष के कारण :-

उच्चारण दोष के कारणों में मुख्यतः कुछ कारण क्षेत्र विशेष तथा कुछ कारण व्यक्ति विशेष के उच्चारण को अशुद्ध करते हैं।

उदाहरणार्थ :- (१) शारीरिक विकार :-

कुछ बच्चों के उच्चारण कण्ठ तालू ओठ, दाँत आदि में विकार होने के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं।

(२) भौगोलिक कारण :-

भिन्न-२ भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वर तंत्र भिन्न होते है। अतः उच्चारण में भिन्नता होना स्वाभाविक है।

(३) क्षेत्रीय कारण :-

भाषा के सम्बन्ध में भारत में यह कहावत प्रचलित है कि "कोस-कोस पर पानी बदले, दस कोस पर बाणी" भाषा पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव अवश्य पड़ता हैं। अतः हिन्दी भाषा में उच्चारण दोष स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं।

(४) भिन्न-भिन्न भाषा भाषियों का प्रभाव :-

हमारा देश विभिन्न भाषा भाषियों का देश है। यही कारण है कि उच्चारण में अनेकानेक दोष आ जाते हैं। पंजाबी में क, ख, ग और घ को क्रमशः का, ख, गा, और घ बोलते हैं। बंगाली में प्रत्येक स्वर को ओष्ठ बनाकर क, ख, ग को को, खो, गो, बोलते हैं। उसमें व न होने के कारण व के स्थान पर ब का प्रयोग ही करते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्री, गुजराती, मेवाड़ी, तामिल आदि भाषाओं का अपना अलग-अलग प्रयोग होता है। भिन्न-भिन्न भाषा भाषियों पर अपनी भाषा के अपनी ध्वनियों के अमिट संस्कार होते हैं। और हिन्दी भाषा के बोलने में उनके उच्चारण अशुद्ध हो जाते हैं।

(५) पर्यावरण का प्रभाव :-

यदि परिवार समाज और अगल-बगल के रहने वाले लोग अशुद्ध बोलते हैं तो बच्चे पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। क्योंकि बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक होती हैं।

(६) अक्षरों तथा मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान : प्रायः अक्षरों तथा मात्राओं का ज्ञान न होने के कारण भी बालक अशुद्ध बोलता एवं लिखता है।

(७) संतुलन का प्रभाव :—

संकोच भय, झिझक एवं शीघ्रता से बोलने के कारण भी उच्चारण दोष उत्पन्न हो जाते हैं।

(८) आदत में शामिल :—

प्रारम्भ में यदि बच्चे को अधिक दुलार-प्यार अथवा किसी अन्य कारण वश अशुद्ध बोलने पर न टोका गया तो शनैः-शनैः यह दोष आदत में आ जाना स्वाभाविक है।

अपनी भाषा को शुद्ध परिमार्जित एवं हृदय स्पर्शी बनाने के लिए उच्चारण पर प्रारम्भ से ही ध्यान देने की आवश्यकता होती हैं। जिससे उच्चारण दोष उत्पन्न ही न होने पाये। फिर भी किसी प्रकार उच्चारण दोष आ जाते हैं तो उनका निराकरण करना आवश्यक हो जाता है। निदान पूर्व कारण की जानकारी करके ही उनका निराकरण सम्भव हो सकता है। कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं।

(१) उच्चारण अंग की चिकित्सा :-

यदि उच्चारण अंग सम्बन्धी विकार के कारण है तो चिकित्सा के द्वारा ही उच्चारण शुद्ध किया जा सकता है।

(२) मानसिक संतुलन :-

प्रायः छात्र/छात्राएं संकोच भय, एवं कठोर अनुशासन अथवा तीव्र गति से पढ़ने या आत्मविश्वास के अभाव के कारण अशुद्ध उच्चारण के शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के साथ प्रेम एवं सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार करके इस दोष का निराकरण किया जा सकता है।

(३) शुद्ध उच्चारण वालों के सम्पर्क से ही इस दोष को दूर किया जा सकता है। आधुनिक युग में ग्रामोफोन, टेप, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा भी उच्चारण शुद्ध किये जा सकते हैं।

ध्वनि तत्व का ज्ञान :-

प्रतिदिन की बोल चाल की भाषा बोलने के बाद ही जब बच्चा पढ़ना आरम्भ करे, प्रारम्भिक स्तर पर ही शिक्षकों को अक्षरों (वर्णों) के स्थान बता देने चाहिये। मुख के जिस स्थान से अक्षर बोला जाता है

यह उस अक्षर का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण का अभ्यास शब्दों के उच्चारण के साथ-साथ कराना चाहिये। उदाहरण के लिए बहुत से छात्र 'स' के स्थान पर "श" का प्रयोग करते हैं। उन्हें यह बताना चाहिये कि वे "स" का उच्चारण करने के लिए जीभ को ऊपर के दाँतों पर छुवायें तब जो ध्वनि निकलेगी वही "स" का उच्चारण होगा इसीलिए इसे दन्त्य "स" कहते हैं। सुनने और बोलने से भाषा सम्बन्धी दोष दूर किया जा सकता है।

उच्चारण सम्बन्धी नियम :-

प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को उच्चारण सम्बन्धी नियमों से पूर्णतः अवगत करा देना चाहिए। हिन्दी में ड और ढ के दो उच्चारण होते है- मूर्द्धन्य और दिस्परट डलिया और ढोलक शब्द में ड और ढ शब्द का उच्चारण मूर्द्धन्य है। लेकिन यदि इन अक्षरों के नीचे बिन्दी लगा दी जाती है तो उच्चारण दिस्पष्ट हो जाता है। जैसे लड़ाई और पढ़ाई इसी प्रकार हिन्दी में वर्णमाला के अन्य वर्णों के नीचे बिन्दी लगा देने से उच्चारण में अन्तर आ जाता है। यथा–आवाज, फकीर, खजाना आदि शब्दों में यद्यपि ध्वनियाँ विदेशी है।

बल विराम तथा स्वर का अभ्यास :-

उचित लय प्रवाह और गति भी उच्चारण की विशुद्धता के लिये आवश्यक है। भाषा को प्रभावशाली एवं हृदय स्पर्शी तभी बनाया जा सकता है जब शुद्ध उच्चारण के साथ पूरा वाक्य उचित बल विराम तथा सुस्वर के साथ बोला अथवा पढ़ा जाय अतः शिक्षकों को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिए।

उच्चारण प्रतियोगिताएं :-

अन्ताक्षरी प्रतियोगिता की भाँति कक्षा में दो टोलियाँ बनाकर उच्चारण प्रतियोगिता के माध्यम से भी यह दोष सरलता से दूर किया जा सकता है।

तात्पर्य यह है कि केवल भाषा के चक्र में ही नहीं अपितु पाठयक्रम के सभी विषयों में तथा सभी शिक्षकों को उच्चारण की ओर ध्यान देना चाहिये। प्रायः देखा जाता है कि अन्य विषयों का अध्यापक इस ओर से उदासीन होता है। वह उच्चारण की ओर ध्यान न देकर विषय को ही वरीयता देता है। लेकिन जब तक सबका ध्यान इस ओर नहीं होगा तो भाषा के घण्टों में सीखा हुआ शुद्ध उच्चारण भी शुद्ध नहीं रह जायगा। अतः इस ओर सबको ध्यान देना चाहिये। तभी उच्चारण सम्बन्धी दोष दूर किया जा सकता है।

आत्मिक सुख की खोज

कु० असमा मुईन
बी०टी०सी० द्वितीय वर्ष

हर मनुष्य सुख चाहता है ज्ञान में चाहे अज्ञान में सुख और आनन्द ही उसकी मंजिल है। यही मानव जीवन का प्राप्य और उद्देश्य है। मनुष्य का जीवन दुख के लिये नहीं अपितु कभी न समाप्त होने वाला आनन्द पाने के लिये है।

लेकिन, यह क्या ? अधिकांश लोग दुख के गलत मार्ग में ही खो जाते हैं और गिने चुने लोग ही सुख पाते हैं।

आखिर इन दुखों का कारण क्या है ? "सुख" चाहकर भी सुख नहीं मिलता, 'आनन्द' तमाम प्रयत्न (बहुत कोशिश) के बावजूद नहीं मिलता।

कारण बहुत छोटा है। वह यह कि आनन्द का स्रोत क्या है। यह हम नहीं जानते।

विशुद्ध शाश्वत आनन्द के दो ही उद्यम हैं अपने को देना और अपने को पाना। समर्पण और साक्षात्कार। वास्तव में अपने को देना और पाना भी एक ही है। यह एक ही चीज के दो पक्ष हैं। जिस तरह हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं।

हम अपने को पाते तभी हैं जब अपने को दे देते हैं। संचय ही दुख का कारण है। उत्सर्ग और समर्पण ही आनन्द का राजमार्ग है।

क्या कभी हम यह सोचते हैं कि इतनी मेहनत से जमा किया धन कभी हमें शान्ति और चैन नहीं देता है, बल्कि वही धन हमें तब सुख देता है जब हम किसी गरीब या अपंग को सहायतार्थ देते हैं। पैसे से हम भौतिक सुख की सभी वस्तुएं खरीद सकते हैं लेकिन क्या इससे हमें आत्मिक शांति मिल सकती है ? नहीं।

बल्कि जब हम किसी दुखी और जरूरतमन्द व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हमें अपने पर गर्व होता है।

एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना, पीना, सोना सब भूल जाती है तभी तो हैं उसका महात्म्य और वह तब ही सुखी होती है।

हमें याद रखना चाहिए कि जो महान है, बड़ा है, वही दे सकता है या वही देता है इसे यों भी कह सकते है कि जो देता है वही महान है। हमारे पास जो है हमें उसे बांटना चाहिए, अगर हमारे पास बांटने के लिये धन नहीं तो परवाह नहीं। एक अपाहिज की सेबा के लिए दो हाथ तो हैं कोई बात नहीं अगर हमारे पास अन्न का भण्डार नहीं किन्तु दो मीठे बोल तो हैं। दुखी जनों को देने के लिए। परवाह नही यदि हम सर्वथा निःस्व है अपने संगी कराहते मानव के हृदय को अपने आंसुओं से अपनी करूणा से नहला तो सकते हैं। लड़खड़ाते हुए इन्सान को सहारा तो दे सकते हैं।

ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास देने के लिये कुछ न हो, और ऐसा कोई समय नहीं जब हम कुछ न दे सकें। यह जिन्दगी देने के लिये है और अपने को देना ही प्रेय है जितना इसे देते हैं यह और बढ़ता है सब बांटने के बाद भी पूरा का पूरा बच जाता है।

मानव आत्मा शाश्वत विरत से पूर्ण हैं वह अपने स्रोत से मिलने के लिये व्याकुल है प्रेम ही मानव का स्वभाव है मनुष्य उस कस्तूरी मृग की तरह है जो सुगन्ध की खोज में मतवाला बना घूमता है जब कि स्वयं ही उस सुगन्ध का स्वामी है। अतः यह कहा जा सकता है कि देना ही आनन्द की स्थिति है--

यदि हमारे पास धन है तो धन दें।
यदि हमारे पास तन है तो तन दें।
यदि हमारे पास मन है तो मन दें।
यदि हमारे पास अन्न है तो अन्न दें।
यदि हमारे पास यह सब नहीं हैं तो सिर्फ
मुस्कान दें।

जितना अपने को दे सकते हैं उतना दें अपने लिये सभी रोते हैं इसीलिये दुख हैं इसीलिये छटपटाहट है और इसीलिए पीड़ा। क्यों न एक बार किसी दूसरे के लिये रोकर देखें। इस दुख में भी कितना सुख है।

अपने लिये जीना दुख है
दूसरों के लिये जीना सुख हैं।

अपने अध्यापकों के लिये, अपने माता पिता के लिये जिएं, अपने मित्रों और भाई-बहनों के लिए जिएं अपने देश के लिए जिएं अर्थात सम्पूर्ण मानव जाति के लिए जिएं बल्कि प्राणी मात्र के लिये जियें। जिस सीमा तक हम दूसरों के निकट जायेंगे अर्थात दूसरों के लिये जियेंगे उसी सीमा तक हम आनन्द के नजदीक पहुंचते हैं।

सब कहते हैं कि यह बड़ी बातें हैं इन्हें समान्यजन कहां कह सकते हैं पर हम भूलते हैं संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं बल्कि प्राणी नहीं है जो जाने अनजाने में अपना कुछ न कुछ अंश देता न हो बल्कि देने के

लिए विवश है। बिना दिये बिना समर्पण किये थोड़ा या बहुत एक क्षण भी नहीं जिया जा सकता है आवश्यकता केवल इतनी है कि इस विवश दैन को हार्दिक देन में बदल दें, बिवश होकर नही स्वेच्छा से, दिलसे, प्रेम से, दें।

अगर हम सुख चाहते हैं तो अपने जीवन की गति संचय की ओर से दान की ओर मोड़ दें। यह जरा भी मुश्किल नहीं है बिल्कुल हमारे स्वभाव की प्रकृति के अनुकूल है एक बार अपने को आजमाएं फिर किसी से सीखना न होगा और हम स्वयं महसूस कर सकेंगे कि देने में कितना आनन्द है।

अपने को जो देता है वह सब कुछ पा लेता है वह निःस्व होकर भी पूर्ण हो जाता। मनुष्य अपने को देकर ही अपने को पा लेता है यह आत्म निदान जड़ में प्राण की सृष्टि करता है। यह समर्पण मरण की सेज पर अमृत हो जाता है।

यही है आत्मिक सुख।

(जिस दिल में सच्ची हमदर्दी न हो, वह उस सीप की तरह है जिसमें मोती नाम की कोई चीज न हो)

मानव का जीवन क्रम

श्री रामदेव सिंह
बी० टी० सी०
(प्रथम वर्ष)

यह क्रम क्या है जन्म से लेकर मरण तक मानव के शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक स्थिति में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं और इच्छा, आकांक्षाओं और विचारों के अनुरूप जीवन में व्यवहार में उतार चढ़ाव ज्वार भांटे की तरह सतत चलते रहते हैं। एक ही व्यक्ति दिन भर में कई व्यक्तियों की झलक देखता है। कभी वह प्रसन्न रहता है तो कभी उदास, कभी दुखी एवं कभी समय तनावग्रस्त। कभी भावनाओं के प्रबल प्रभाव में डूबता उतराता दीखता है तो कभी बौद्धिकता बढ़ी-चढ़ी दिखायी देती है। यह परिवर्तन एक निश्चित चक्र के अन्तर्गत चलते रहते है।

अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन क्या है इसके लिए जीवन के स्वरूप को समझना चाहिए और उससे जुड़े तथ्यों को स्वीकार किया जाना चाहिए चाहे वे कितने ही अप्रिय क्यों न प्रतीत हों।

जीवन एक चुनौती है एक संग्राम है एक जोखिम है एवं उसे इसी रूप में अंगीकार करने के अतिरिक्त और चारा न होना ही जीवन एक रहस्य है, भूलभुलैया है एक प्रकार का गोरखधन्धा है। गम्भीर पर्यवेक्षण के आधार पर ही उसकी तह तक पहुंचा जा सकता है। कर्तव्य के रूप में जीवन अत्यंत भारी किन्तु अभिनेता की तरह हंसने हंसाने वाला हल्का फुल्का रंगमंच भी है।

जीवन एक गीत है जिसे पंचम स्वर में गाया जा सकता है। जीवन एक स्वप्न है जिसमें स्वयं को खोया जा सके और भरपूर आनन्द का रसास्वादन किया जा सके। जीवन अवसर है जिसे गंवा देने पर सब कुछ हाथ मे गुम हो जाता है। जीवन एक कला है इसे कैसे सफल बनाया जा सकता है ? जिसने यह जान लिया इस पर मनन कर लिया, उसे समझ लेना चाहिए कि वही सच्चा पारखी, जौहरी एवं उपलब्धियों का सदुपयोग कर सकने वाला भाग्यशाली पुरुष है। जीवन सौंदर्य है, जीवन प्रेम है, आनन्द है, वह सब कुछ है जो नियन्ता की तरह इस सुव्यवस्थित सृष्टि में सर्वोत्तम कहा जा सकने योग्य है।

जीवन आत्मविश्वास हैं केवल पुस्तकीय ज्ञान, न ही मन से हारा व्यक्ति आमतौर से हारता है। पर जिसे अपनी जीत पर पूरा विश्वास है वह देखता है कि अपने में इतनी क्षमता का भंडार भरा पड़ा है जिसे

कभी जाना पहचाना नहीं गया वस्तुतः मनुष्य का मनोबल ही सर्वोच्च वैभव है। अपने आपको दीन हीन कमजोर मानने वालों का अनायास ही मनोबल गिरा रहता हैं। यह कहा जाता है कि जो अपनी सहायता आप नहीं करता उसकी सहायता करने के लिए ईश्वर भी आगे नहीं आता। अतः इस जीवन को जीवनमय एवं रंगमय बनाना चाहिए व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जैसे विश्वासी व्यक्ति पहले सोचते हैं तब कहते हैं जीवन से थका व्यक्ति सोचने से पहले बोलता है यही जीवन का अन्तर है।

पुष्पांजलि

श्रीमती प्रिम्मी कुशवाहा
बी०टी०सी० प्रथम वर्ष

अपनी संस्थान की निकल रही पत्रिका,
हम सबमें अंकुरेगा लेखन तरीका।
हर छात्रा में छाया इसके प्रति चाव,
मुखरित होंगे इसके पन्नों पर भाव।
हिन्दी अंग्रेजी का होगा प्रयोग,
संस्कृत भाषा का होगा संयोग।
सबमें अंकुरित अपनी मंजुल मन भावना,
नयी पौध के अन्दर कितनी संभावना।
उछल रहा लहर सा व्याकुल उल्लास,
नभ को छू लें है मन बुद्धि का विकास।
सबके श्रम की साधना सबकी शुभ कामना,
सफल क्यों न होगी फिर अपनी यह संभावना।
हमारे श्रद्धा सुमनों से इसका अभिनन्दन,
पावन अमृत सरिता से इसका अभिनन्दन।।

चरन्वैमधुविन्दति

कु० स्मिता गुप्ता
बी०टी०सी० प्रथम वर्ष

भारतीय संस्कृति में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए मानव जाति के मूर्धन्यों ने जिस चिन्तन को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है उनमें उप निषदों का अपना महत्तपूर्ण स्थान है जीवन क्या है ? मृत्यु क्या है ? यह औपनिषदिक चिन्तन का मुख्य विषय रहा है।

"तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्भाअमृतं गमय असतोमा सद गमय" ये वाक्य वस्तुतः और कुछ नहीं जीवन के अन्वेषण मात्र हैं। औपनिषदिक ऋषि को जहां कहीं जीवन की एकता का अवबोध हुआ वहीं पर अपने को ले चलने के लिए उसने परमपिता से अपनी मनोकामना व्यक्त की और उसने उद्घोष किया चरन्वैमधु-विदति। चलता हुआ अर्थात निरन्तर प्रयत्नशील मानव "मधु" अर्थात अभीप्सित लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। परन्तु आज भौतिक चाकचक्य से ग्रसित समाज कर्तव्य बोध की दिशा ही विस्मृत कर बैठा है। जब दिशा का ही ज्ञान नहीं है तो कर्तव्य पालन कैसे हो जब कर्तव्य बोध का ही अभाव है तो कर्तव्यपालन पूर्णतया असम्भव है। दिशा बोध होते ही पथ प्रशस्त होते ही मन दृढ़ कर्तव्य निष्ठायुक्त होकर निरंतर अभीप्सितार्थ को प्राप्त करने के लिए कर्मठ हो जायगा। निरन्तर कार्यशील व्यक्ति ही सूर्य के समान प्रखर तेजस्वी व्यक्ति का निर्माण कर सकते हैं क्योंकि चलने वाली कर्मठता में कुछ भी विचारणीय नहीं होता। अतः वह कार्य तो विश्व बन्धुत्व को अपने अन्दर समायोजित किये हुये होता है योगिराज श्री कृष्ण "कर्मण्येवाधिकास्ते" एवं भक्त शिरोमणि तुलसी दास जी "कर्म प्रधान विश्व रचि राखा" कह कर इसी निरन्तर कर्मठता की ही पुष्टि करते हैं।

आज का समुन्नत, विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र की बड़ी-बड़ी उपलब्धियां एवं अन्य सभी विकास के सोपान निरंतर कार्यरत रहने के ही मधुर फल हैं। प्राकृतिक जगत में ही देखिए निरन्तर प्रयास करती हुई मकड़ी गिर-गिर कर भी अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेती है निरन्तर बहती हुई नदियां समुद्र तक पहुँच जाती हैं अतः मानव को यह नहीं भूलना चाहिए कि नैरंतर्य एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हमारे मनीषियों ने "गति ही जीवन है एवं विराम ही मृत्यु हैं" यह कहकर इसी सिद्धान्त को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। रुके नहीं कि अवनति प्रारम्भ है।

कार्य में निखार व्यक्तित्व की विलक्षणता एवं सदविवेकिनी प्रज्ञा का मानव में तभी समावेश होगा जब बिना विश्राम किये मनुष्य कार्यरत रहेगा। यहाँ विश्राम से तात्पर्य निरुत्साहित होकर बैठने से है। शारीरिक क्षतिपूर्ति के लिए शरीर को तनिक विराम देने से नहीं।

भुवन भास्कर भगवान अंशुमाली को ही देखिए जगतीतल पर अपने अनुपम जीवनदायी स्वर्णिम प्रकाश को बिखेरते हुए दिवस के अवसान पर बिना विश्राम किये ही पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध को आलोकित करने चले जाते हैं। तनिक उनके कार्य की नैरंतर्यता पर मनन कीजिए। यह समस्त चराचर जगत क्या उसके बिना जीवन की कल्पना कर सकता है, कभी नहीं। अतः मानव मात्र को प्रतिक्षण कार्यशील बनने की प्रेरणा देता हुआ यह श्लोक कितना सार्थक है–

"चरवैन्मधु विन्दति,, चरन्स्वादुमुदुम्बारम।
सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तन्द्रपते चरन॥

क्या आप जानते हैं

श्रीमती अनुराधा
बी०टी०सी० प्रथम वर्ष

१- एक पौंड मकड़ी के जाले की लम्बाई इतनी होती है कि पृथ्वी के चारों ओर छः बार लपेटा जा सकता है।

२- ओइस्टर नामक मछली जो कि अमरीका में पायी जाती है, प्रति वर्ष ५० करोड़ अण्डे देती है। उसमें से करीब एक बच्चा ही वयस्क होने तक जीवित रहता है।

३- मादा स्टार फिश प्रतिवर्ष ६०, ००, ०० ००० अण्डे देती है।

४- ५६० दिनों तक मादा गैंडा गर्भ का वहन करती है।

५- साँप अपने बच्चों को खुद खा जाता है।

६- चूहा बिना पानी पिये ऊँट से भी ज्यादा दिनों तक जिन्दा रह सकता है।

७- ऊँट की रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है।

८- एक नीली व्हेल की चर्बी से १२० बैरल तेल निकाला जा सकता है।

९- हाथी अपनी सूँड़ में दो गैलन तक पानी भर कर ले जा सकता है। उसकी सूँड़ में एक भी हड्डी नहीं होती पर मांसपेशियां ४०, ००० होती हैं।

१०- कांकरोच का सिर काट देने के बाद भी वह तीन दिनों तक जिन्दा रह सकता है।

११- संसार में २, ७१२ भाषाएं बोली जाती हैं।

१२- नाइट्रस आक्साइड सूँघने से मनुष्य हंसने लगता है।

१३- अमरीका के रेडवुड वृक्ष ३५० फिट की ऊँचाई तक बढ़ते देखे गये हैं।

१४- विश्व का सबसे लम्बा आदमी पाकिस्तान का आलम चन्ना है जिसकी लम्बाई ८.६ फिट है।

१५- लुई चौदहवें ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल में सिर्फ तीन बार स्नान किया था।

१६- जन्म के समय कंगारू के बच्चे की लम्बाई करीबन एक इंच होती है।

वार्षिक खेल-कूद प्रतियोगिता समारोह

श्रीमती राशदा शरफ
सहायक अध्यापिका

'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है' स्वस्थ शरीर के लिए जहाँ संतुलित आहार स्वच्छ वातावरण तथा स्वच्छ जल की आवश्यकता है वहीं सबसे अधिक आवश्यक मनोरंजक शारीरिक क्रिया-कलाप भी हैं। विद्वानों ने इसी मनोरंजक शारीरिक क्रिया-कलापों को शारीरिक शिक्षा के नाम से पाठ्यक्रम में समायोजित किया है। खेल-कूद पाठ सहगामी क्रिया के रूप में मनोरंजन तो प्रदान करती ही है इसके अतिरिक्त भी खेल-कूद की कई उपयोगितायें हैं। खेलों के माध्यम से छात्राओं में टीम में कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। अपने कप्तान के अनुशासन में खेलने से अनुशासन का महत्व ज्ञात होता है। यह छात्रायें व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासित रहने का प्रयास करती हैं। बच्चों में कठिनाइयों का सामना कर सकने का साहस उत्पन्न होता है। खेल खेलते समय बच्चों को मस्तिष्क व मांसपेशियों दोनों से काम लेना होता है। अतः मस्तिष्क व मांसपेशियों में सामंजस्य स्वाभाविक रूप से होने लगता है। व्यक्तिगत जीवन में बहुधा व्यक्ति जो करने का प्रयास करता है आवश्यक नहीं कि उसमें सफल हो जाय छोटी सी असफलता कभी-कभी व्यक्ति को बहुत उद्विग्न कर देती है और वह जीवन से निराश हो जाता है। खेल के माध्यम से बच्चे स्वतः ही इससे मुक्ति पा जाते हैं। खेल में हार व जीत होती रहती है। हारने पर हतोत्साहित न होना तथा जीतने पर गर्व न करना ही खेल का उद्देश्य है।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्थान में बी०टी०सी० की दोनों वर्षों की छात्राओं के लिए खेल-कद, प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संस्थान की समस्त शिक्षिकाओं के सहयोग से यह प्रतियोगिता सम्पन्न हुई।

प्रतियोगिता की तिथि ७ व ८ मार्च तय की गयी। सर्वप्रथम प्राचार्य महोदय ने उद्घाटन भाषण में खेलों की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि खेल खेल की भावना से खेला जाना चाहिए तथा खेल कूद समारोह का विधिवत उद्घाटन किया।

प्रतियोगिता निम्नलिखित आइटम्स में की गयी :—

क्रम संख्या	आइटम	प्रतिभागियों की संख्या
१–	१०० मीटर की दौड़	२ प्रति गृह
२–	रिले दौड़	४ ,,
३–	गोला फेंक	२ ,,
४–	डिस्कस फेंक	२ ,,
५–	बालीबाल	६ ,,
६–	कबड्डी	६ ,,
७–	तम्बू निर्माण	८ ,,

इस प्रतियोगिता के परिणाम निम्नलिखित थे।

१०० मीटर की दौड़ –

१–	कु० स्मिता गुप्ता	आजादगृह	प्रथम
२–	श्रीमती मंजू	भास्कर गृह	द्वितीय
३–	कु० असमां	भास्कर गृह	तृतीय

रिले दौड़ :—

१–	आजाद गृह	प्रथम	
२–	भास्कर गृह	द्वितीय	

गोला फेंक :—

१–	कु० स्मिता गुप्ता	आजाद गृह	प्रथम
२–	श्रीमती मंजू वर्मा	आजाद गृह	द्वितीय
३–	कु० शिप्रा शुक्ला	भास्कर गृह	तृतीय

डिस्कस :—

१–	कु० स्मिता गुप्ता	आजाद गृह	प्रथम
२–	शिप्रा शुक्ला	भास्कर गृह	द्वितीय
३–	पूर्ति त्रिवेदी	कमल गृह	तृतीय

कबड्डी :—

आजाद गृह	प्रथम	
कमल गृह	द्वितीय	

वाली वाल :—

आजाद गृह	प्रथम
भास्कर गृह	द्वितीय

तम्बू निर्माण :—

१-	भास्कर गृह	प्रथम
२-	आजाद गृह	द्वितीय

क्रीड़ा प्रतियोगिता बडे हर्ष व उल्लास तथा सद्भावना से परिपूर्ण वातावरण में पूर्ण हुई। सभी प्रतिभागियों ने अदम्य उत्साह का परिचय दिया।

संस्थान में खेल-कूद प्रतियोगिता के मद में धन नहीं था फिर भी प्राचार्य महोदय ने धन की व्यवस्था करके टोकेन ग्रुप में पुरस्कार की व्यवस्था की। इसमें दो के प्रकार स्टील प्लेट्स प्याले छोटे व बड़े तथा स्टील की ट्रे की व्यवस्था किया। दिनांक २६-४-६२ को प्राचार्य महोदय ने विजयी छात्राओं को पुरस्कृत किया मिष्ठान वितरण भी हुआ। इस प्रकार प्रतियोगिता का समापन अत्यन्त हर्षोल्लास से सम्पन्न हुआ।

जनपद उन्नाव की स्थापना और विकास से सम्बन्धित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

अमृत लाल कुशवाहा
कार्यालय सहायक

१- प्रश्न—उन्नाव कब बसाया गया ?

उत्तर—उन्नाव सन् ११०० ई० में बसाया गया।

२- प्रश्न—११०० ई० से पहले यहाँ क्या था ?

उत्तर—११०० ई० से पहले यहाँ घना बन था।

३- प्रश्न—उन्नाव को किसने बसाया ?

उत्तर –उन्नाव को बंगाल के राजा के सेनापति गोंडों सिंह चौहान ने बसाया।

४- प्रश्न —उन्नाव के पहले इसका क्या नाम था ?

उत्तर—उन्नाव के पहले इसका नाम गोंडों सराय था।

५- प्रश्न—गोंडों सराय नाम किसने रखा था ?

उत्तर—गोंडों सराय बंगाल के राजा के सेनापति गोंडों सिंह चौहान ने रखा।

६- प्रश्न—उन्नाव का आधुनिक नामकरण किस सन् में हुआ ?

उत्तर—सन् ११५० में।

७- प्रश्न--उन्नाव का यह नाम किसने रखा ?

उत्तर--उन्नाव का यह नाम उनवन्त सिंह बसेन ने रखा।

८- प्रश्न--उन्नाव जनपद कब बना ?

उत्तर--सन् १८६९ में।

९- प्रश्न—सन् १८६९ में उन्नाव का मुख्यालय कहाँ था ?

उत्तर--मोहान था।

१०- प्रश्न--उन्नाव जनपद के अन्य मुख्यालय कौन कौन बनाये गये ?

उत्तर--पुरवा और हसनगंज।

११- प्रश्न--उन्नाव नगर जनपद का मुख्यालय किस सन् में बना ?

उत्तर--१८११ में बना।

पर्यावरणीय संस्कृति एवं संरक्षण

कु० विभा त्रिपाठी
नियोजन तथा प्रबन्ध
विभाग

वेदों में अंतरिक्ष, पृथ्वी, वनस्पतियों, औषधियों तथा समस्त ब्रहमाण्ड में शान्ति की प्रार्थना की गई है। स्वयं शान्ति के लिए भी शान्ति की प्रार्थना की गई है। ऋषियों ने वृक्ष रक्षा को धर्म के साथ जोड़कर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके द्वारा निर्देशित जीवन पद्धति इस प्रकार की थी कि व्यक्ति जीव जन्तुओं, पशुओं, वृक्षों, लताओं को हानि पहुँचाए बिना प्रकृति पर निर्भर रह सके। यज्ञ के लिये समिधाएँ तथा भोजन बनाने के लिये लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए विधान बनाया कि वृक्ष पर स्वतः सूखी लकड़ियों का ही उपयोग उपर्युक्त कार्यों के लिये किया जाए। यज्ञ करना प्रत्येक गृहस्थ के लिए एक दैनिक दायित्व बनाया गया। यज्ञ वृष्टि को नियमित करते है और वृष्टि समस्त वनस्पतियों तथा जीव जन्तुओं को नवजीवन प्रदान करती है। ऐसा ऋषि मानते आये हैं।

जल को जीवन और अमृत की संज्ञा दी गई है। इसलिए जल की शुद्धता की ओर उन्होंने अपनी विशेष रूचि दिखाई। जल स्रोतों से जल ग्रहण करने की नियमावली का निर्धारण किया। जल को दूषित करना पाप घोषित किया। और पापों के लिये प्रयाश्चित निर्धारित किये गंगा, सिन्धु, कावेरी गोदावरी आदि नदियों को पवित्र किया। गंगा माई के प्रति पूरे भारत में जो सम्मान, श्रद्धा और पूजा भाव आज भी उपस्थित है वह एक दिन का प्रयास थोड़े ही हैं। सिन्धु सभ्यता के दौरान वृक्षों की पूजा प्रचलित थी। आज भी प्रचलित है। मार्शल ने बताया कि सिन्धु कालीन सभ्यता के लोग ऐतिहासिक कालीन लोगों की तरह से वृक्षों की पूजा करते थे। पीपल का वृक्ष आज की तरह से ही तब भी पूजा जाता था पीपल वृक्ष के प्रमाण मोहन जोदड़ों की मुद्राओं पर अंकित है। वृहत संहिता में वृक्षायुर्वेद पर एक सम्पूर्ण अध्याय है उस समय लोग बीजों की सुप्तावस्था तथा कठोर बीज कवचों को कमजोर करने के लिये रसायनों का प्रयोग करते थे ये तो केवल दो उदाहरण है जो कि वृक्षों तथा फसलों के प्रति की जाने वाली प्रौद्योगिकी की ओर इंगित करते हैं।

पर्यावरण शब्द "परि" और "आवरण" इन दो शब्दों के योग से बना है। परि का अर्थ होता है

ढका हुआ। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ वह आवरण जो कि चारों ओर से ढका हुआ है। आवृत्त किये हुए, घेरे हुए है।

पर्यावरणीय शिक्षा एक नया अधिगम क्षेत्र है जो कि अपनी विकासमान अवस्था में है। इस सम्बन्ध में कुछ भी कहने सुनने में यह जानना आवश्यक है कि पर्यावरणीय शिक्षा क्या है ? पर्यावरण सुधार के लिए पर्यावरण के सम्बन्ध में पर्यावरण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा पर्यावरणीय शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा का क्षेत्र व्यक्ति और उसके सामाजिक तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य होने वाली अन्योय क्रियाओं तक सीमित हैं। पर्यावरणीय शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपनी संस्कृति तथा जैव भौतिक परिवेश के बीच पारस्परिक सम्बन्धों को समझें तथा श्लाघा का विकास सम्प्रत्यों का स्पष्टीकरण कुशलताओं और अभिवृत्यों का विकास करता है। यह शिक्षा व्यक्ति की निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवहार संहिता में भी अपेक्षित परिवर्तन लाती है।

पर्यावरण और शिक्षा, बहु विषयक प्रकृति का अध्ययन क्षेत्र हैं। जिसके अन्तर्गत जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि विषयों की भी विषय सामग्री सम्मिलित रहती है। किन्तु इन विषयों की सामग्री में पर्यावरण और शिक्षा की प्रकृति के अनुकूल परिवर्तन करना आवश्यक है। पर्यावरण व शिक्षा की विषय वस्तु अन्तर्विषयक प्रकृति की है तथा इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि शिक्षण में सम्प्रत्यात्मक विधि है। इस शिक्षा का अभिप्राय मानवीय परिस्थिति एवं मानवीयता का प्रकृति के साथ सम्बन्ध स्थापना की जागरूकता को विकसित करने से है। इस शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार के समाज की रचना करना है जो कि पर्यावरण तथा उसकी समस्याओं से ज्ञान सम्पन्न होकर उन्हें हल करने के लिए प्रेरित कर सके। इसका विषय मानव को प्रभावित करने वाले कारकों के समझ श्लाघा तथा कुशलताओं आदि को विकसित करना है। यह मानवीय दायित्वों का बोध करती है। मानवीय दायित्व-केवल परिवार के प्रति नहीं होते–अपितु समाज राष्ट्र के प्रति भी होते हैं। वस्तुतः पर्यावरण और शिक्षा मानवता का बोध कराने वाली शिक्षा है। इससे व्यक्ति प्रकृति एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का बोझ प्राप्त करते हुए पर्यावरण सुधार के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है यह शिक्षा व्यक्ति में निर्णय प्रक्रिया वैज्ञानिक बनाती है। तथा व्यवहार में विधायक परिवर्तन लाती है। इस शिक्षा में अपनत्व का भाव निहित है। अपनत्व का भाव विकसित हो जाने पर कोई गैर नहीं रह जाता अपने का कोई शोषण नहीं करता अपने पन के द्वारा स्वार्थ से मुक्ति मिलती है।

पर्यावरण से सम्बन्धित शिक्षा में वे समस्त बिन्दु आते है। जिनका सम्बन्ध पर्यावरण के प्रदूषण से है। यह शिक्षा देशकाल तथा परिस्थितियों के अनुसार विषयवस्तु में परिवर्तन करने का गुण रखती है। इसका कारण है पर्यावरण में सतत परिवर्तन होना जिस विषय वस्तु को हम आज की परिस्थितियों में आवश्यक अनुभव कर रहे हैं। आवश्यक नहीं है कि कल यह उतनी ही आवश्यक प्रतीत हो।

पर्यावरण से सम्बन्धित शिक्षा की मांग परिवेश की आवश्यकता के कारण हुई इस शिक्षा को पर्यावरण संरक्षण के रूप में लिया जाना अधिक सार्थक होगा। पर्यावरण का दृष्टिकोण स्वसंतुलन, स्वसमायोजक और स्वशोधक होना चाहिए। प्रकृति में तो यह खूबी सहज विद्यमान है। मनुष्य को प्रकृति के लिए संघर्ष करने के बजाय उससे सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि हम प्रकृति की व्यवस्था के अंग हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह अपनी समस्याओं के निदान की युक्ति जानता है। गाँधी जी का यह कथन, "यह धरती सबकी जरूरत तो पूरा कर सकती है किन्तु किसी एक का भी लालच नहीं पूरा कर सकती है" वर्तमान समय में अक्षरशः सिद्ध हो रहा है। गाँधी जी के इस कथन को ध्यान में रखकर मनुष्य को एक बार पुनः प्रकृति की गोद में आना होगा तभी उसे स्थायी शांति प्राप्त हो सकती है। विश्व कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर से एक बार जब भारतीय संस्कृति के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने उत्तर दिया था कि भारत की संस्कृति गाँवों की ओर है न कि शहरों-नगरों की ओर। भारतीय संस्कृति अरण्य संस्कृति है हमारे इतिहास और परम्परा दर्शन और संस्कृति का निर्माण अरण्य में ही हुआ। महर्षि, विद्वान, दार्शनिक तपस्वी अरण्य में ही रहे और अपने क्रिया कलापों से भारतीय मानस को प्रभावित किया आज का शिक्षक जब इस बात को समझेगा तभी वह स्वच्छ पर्यावरण में स्वस्थ रहकर विश्व कल्याण करने में समर्थ होगा।

धरती के संसाधनों पर से अतिरिक्त दबाव को कम करना हमारी अपनी तात्कालिक जरूरत है। इसके लिये हमें उन वस्तुओं और सुविधाओं का मोह त्यागना होगा जो सहज अस्तित्व के लिए नितान्त आवश्यक नहीं है। यही अनुकलन के सिद्धान्त के अनुरूप होगा। जब संसाधनों की प्रचुरता थी हमने जैसे चाहा उनका दोहन और उपयोग किया। लेकिन अब जबकि हमने अपनी जरूरतें लाँघ ली है और संसाधन कम पड़ रहे हैं और पर्यावरण संतुलन ध्वस्त होने के कगार पर है तब मनमानेपन की प्रवृत्ति को जारी रखना घातक ही होगा। मनुष्य की आबादी का वह २० प्रतिशत हिस्सा जो समर्थ और प्रभावशाली होने के कारण संसाधनों के अस्सी प्रतिशत अंश का उपभोग कर रहा है। अभी भी वस्तुस्थिति को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं दिखता। वह पर्यावरण संकट का ढोल तो बड़े जोर शोर से पीट रहा है लेकिन कटौती का बोझ खुद न स्वीकार कर आबादी के उस अस्सी प्रतिशत हिस्से पर डालना चाहता है जो संसाधनों के मात्र बीस प्रतिशत हिस्से से अपना काम चला रहा है। इस प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार तर्क संगत नहीं कहा जा सकता है। संसाधनों के उपयोग में कटौती की जिम्मेदारी पहले उन पर आती है जो न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक उपभोग करते रहे हैं और अपने कृत्यों से पर्यावरण को लगातार क्षति पहुचाते आ रहे हैं।

अगर मानव समाज का समृद्ध वर्ग इस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय कमजोर वर्ग के हितों की कीमत पर संसाधनों का व्यय जारी रखता है तो यह निश्चित रूप से टकराव का कारण बनेगा जो किसी भी प्रकार मानव जाति के हित में नहीं होगा। अभी ३ जून को रियोडी-जेनरों में 'पृथ्वी बचाओ' सम्मेलन

सम्पन्न हुआ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बुतरस घाली ने यहाँ पृथ्वी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने का आह्वान किया। श्री घाली ने भाषण की शुरुआत में धरती के लिए दुनियाँ भर में दो मिनट का मौन रखने की अपील की इसके पश्चात् रियोसेन्टरों सम्मेलन केन्द्र में प्रतिनिधियों ने दो मिनट खड़े होकर मौन रखा। पर्यावरण संकटयुक्त विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ वह इस शताब्दी का अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्मेलन है। संसार में जिस प्रकार का पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रहा है उसे रोकने तथा जीवन शक्ति देने वाले तत्वों की रक्षा और विकास तत्काल न किया गया तो इस संसार में मनुष्यों के अस्तित्व का संकट ही उत्पन्न हो जायेगा। इसमें किसी देश विदेश का स्वार्थ नहीं लगा हुआ है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये। पृथ्वी के जीवनतत्व की रक्षा की जिम्मेदारी से भागने वाले देशों को भावी पीढ़ी कभी क्षमा नहीं करेगी।

शिक्षा : मानव का विकास है

गिरीश चन्द्र
कार्यालय सहायक

शिक्षा मानवीय चेतना का वह ज्योतिमय सुसंस्कृत पक्ष है, जिससे उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता और अनुभव करता है वह शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से ही नये विचार हमारे मन में जन्म लेते है। शिक्षा के माध्यम से ही संसार की वैज्ञानिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति सम्भव है। भोजन का जो महत्व और उपयोग हमारे शरीर के लिए है वही शिक्षा का सामाजिक जीवन के लिए है। शिक्षा के अभाव में हमारा मानव जीवन असम्भव है। सृष्टि से लेकर अब तक शिक्षा का प्रभाव एवं अस्तित्व भली प्रकार स्वीकार किया जा रहा है। मानव का अस्तित्व जब तक रहेगा शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहेगी। जिस प्रकार पौधों का विकास खेत की अच्छी जुताई से होता है ठीक उसी प्रकार मानव का विकास सुशिक्षा से होता है। बच्चा जन्म के समय असहाय होता है लेकिन निरन्तर प्रयास और शिक्षा के द्वारा एक न एक दिन उन्नतिशील प्राणी बन जाता है। मानव की शिक्षा उसी समय शुरू हो जाती है जब वह नवजात शिशु के रुप में जन्म लेता है।

शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है वही शिक्षा के अन्तर्गत आता है। बालक अपने माता-पिता, भाई-बहनों, मित्रों अध्यापकों से हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है। बड़ा होने पर वह जीवन में प्रवेश करता है और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के सम्पर्क में आता है। जैसे बालक घर में, स्कूल में, दूसरों से कोई न कोई बात सीखता है वैसे ही वयस्क प्राप्त करता है। अत: शिक्षा उस विकास का नाम है जो बचपन से लेकर जीवन के अन्तिम क्षण तक चलती रहती है। "शिक्षा व्यक्ति की उन सब शक्तियों का विकास है जिनसे वह अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके"।

जिस व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति होती है उसी को विकसित कहा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने चारों ओर होने वाली घटना की आलोचना कर सकता है वही समाज को कुछ योगदान कर सकता है। अरस्तू ने ठीक ही कहा है :- "शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रुप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे कि वह परम् सत्य, शिव सुन्दरम् का चिन्तन करने के योग्य बन सके"।

शिक्षा, नेत्रों और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करती है पर किस प्रकार ? यदि एक व्यक्ति अपने से बड़े को अपने सामने देखकर नमस्कार करता है तो हम उसे प्रशिक्षित व्यक्ति कहेंगे। पर यदि वह सम्मान से नत मस्तक हो जाता है, तो हम उसको शिक्षित व्यक्ति कहेंगे। क्योंकि सच्ची शिक्षा का अर्थ है मनुष्य को शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं के स्तरों पर अच्छे और बुरे के अन्तर को समझना।

शिक्षा का प्रमुख कार्य मनुष्य के व्यक्तित्व और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में उसके बहुमुखी उन्नति के द्वार खोलना है। शिक्षा से व्यक्ति की अज्ञानता दूर होती है और उसे ज्ञान का प्रकाश मिलता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति का आपेक्षित सुधार होता है और वह समाज के योग्य बनता है। शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य है मनुष्य में अच्छाई एवं बुराई में भेद करने की क्षमता पैदा करना और मनुष्य में मूल्य सम्बन्धी सजगता उत्पन्न करना। व्यक्ति का विकास शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। शिक्षा व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों को विकसित करके उसे विद्वान, योग्य और चरित्रवान बनाती है। शिक्षा द्वारा सत्य, प्रेम, त्याग, करुणा हिंसा आदि प्राकृतिक गुणों का विकास व्यक्ति में होता है। इन्हीं सद्भावनाओं द्वारा उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है और वह सुख एवं शान्ति पाता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। शिक्षा सामाजिक जीवन की जननी है। शिक्षा के प्रभाव से ही व्यक्ति में मानवोचित गुणों का विकास होता है। शिक्षा से ही व्यक्ति समाज का प्रगतिशील सदस्य बनता है और शिक्षा द्वारा ही वह अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। शिक्षा व्यक्ति को भिन्न व्यवसायों की शिक्षा भी प्रदान करती है जिन्हें सीखकर व्यक्ति उनके द्वारा जीविकोपार्जन करता है। शिक्षा से व्यक्ति का चारित्रिक और वैयक्तिक पक्ष समृद्ध होता है। चरित्र बल हीन त्यागी व्यक्ति भी भर्त्सना का पात्र बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति पूजा एवं श्रद्धा का पात्र होता लेकिन चरित्रवान व्यक्ति अनुराग एवं प्रेम का पात्र होता है। चरित्र निर्माण ही शिक्षा का मूल कर्तव्य है।

शिक्षा के द्वारा ही नागरिकों में एक आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास होता है। शिक्षा का एक ध्येय यह भी है कि व्यक्ति की सामाजिक उन्नति हो जिससे पूरा समाज उन्नति कर सके। शिक्षित व्यक्ति ही अपने समाज तथा जीवन के उद्देश्य को भली-भाँति समझ सकता है और अपने विकास की दशाएं निर्मित कर सकता है। शिक्षा से व्यक्ति महान बनता है और उसमें एक निरूपम भव्यता और चमक उत्पन्न होती। अर्थात शिक्षा ही मनुष्य का निर्माण करती है।

विदायी समारोह–कुछ झलकियाँ

श्रीमती सरिता गुप्ता
सहायक अध्यापिका

प्रत्येक वर्ष की भाँति जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी निकट आ रही थी अध्ययन में लीन छात्रायें प्रश्नपत्रों से साक्षात्कार करने हेतु उत्सुक दिखायी दे रही थीं। ऐसे वातावरण में विदायी समारोह के आयोजन ने निरंतर पढ़ाई की एक रसता से मुक्ति सी दिलाई। 'विदाई" शब्द से ही पीड़ा की अनुभूति होने लगती है। चाहे वह घर में स्वजनों से विदाई हो अथवा विद्यालय परिवार के सदस्यों से। किन्तु विद्यालय के इस विदाई समारोह में हर्ष एवं विषाद का जो अद्वितीय संगम दृष्टिगोचर होता है वह शायद ही कहीं सुलभ हो। बी०टी०सी० प्रथम वर्ष की छात्रायें एक ओर तो अपनी बड़ी बहनों, द्वितीय वर्ष की छात्राध्यापिकाओं, के मंगल एवं उज्जवल भविष्य तथा परीक्षा में सफल होने की कामना करती हैं वहीं दूसरी ओर उनका साथ छूट जाने एवं मार्गदर्शन से वंचित हो जाने के लिए दुखी भी होती हैं। बी०टी०सी० द्वितीय वर्ष की छात्राओं को भी अपनी छोटी बहनों तुल्य बी०टी०सी० प्रथम वर्ष की छात्राओं से विलग होने का दुख कम नहीं था। दो वर्ष की अवधि में शिक्षिकाओं से उन्हें संतानतुल्य स्नेह, ममत्व तथा शिक्षण के अतिरिक्त मंगलमय जीवन के लिए जो मार्गदर्शन मिला है, उससे वंचित होने का भी संतापक्रम नहीं था। परन्तु इस पीड़ा के साथ छात्रावास से अपने परिवार के सदस्यों में पुनः पहुंच जाने एवं अपना प्रशिक्षण समाप्त कर भावी अध्यापिका होने का उल्लास भी कम नहीं था।

बी०टी०सी० प्रथम वर्ष की छात्राओं ने अपनी बड़ी बहनों के रोली का टीका लगाया तथा दही पेड़ा खिलाकर उनके परीक्षाफल में सफल होने की मंगल कामना की। प्राचार्य महोदय एवं गुरुजनों को अभिवादन कर आमंत्रित सदस्यों के स्वागत के पश्चात दोनों वर्ष की छात्राओं ने मिल जुलकर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

विद्या की देवी सरस्वती माँ की आराधना में कुमारी मधुलिका, कु० स्मिता तथा अन्य छात्राओं ने वन्दना की 'हे शारदे माँ ! हे शारदे माँ !"

प्रथम वर्ष की छात्राओं ने भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। थोड़ी देर के लिए प्रेक्षागृह पंजाब के उल्लासपूर्ण वातावरण में डूब गया।

बी०टी०सी० द्वितीय वर्ष की छात्राओं कु० आशा अवस्थी तथा सहयोगियों ने प्रहसन "अनपढ़ महिला" प्रस्तुत किया। कु० आशा ने अनपढ़ महिला का इतना सजीव अभिनय किया कि दर्शकगण हंसते-हंसते दोहरे हो गये।

बी०टी०सी० द्वितीय वर्ष की कव्वाल छात्रायें मंच पर आयीं और उन्होंने गाया "नारियाँ देश की जाग जायें अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जायगा"। तत्पश्चात बी०टी०सी० द्वितीय वर्ष की छात्रायें एक-एक कर फैन्सी ड्रेस में आने लगी। कु० आशा अवस्थी ने शराबी का अभिनय किया जो कि अत्यन्त सराहनीय था। जिसमें सुधारवादी पुट था। यह इंगित करता था कि मदिरापान करने वालों की क्या दुर्दशा होती हैं। कु० ममता त्रिपाठी अनपढ़ महिला के वेश में आयीं और अभिनय के अंत में जब उन्होंने दर्शकों को मुखातिब करके कहा "हम नीक लागत हैं ना ?" तो सम्पूर्ण प्रेक्षागृह में ठहाके गूंजने लगे। श्रीमती शालिनी ने नौकरानी का अभिनय किया। उनके शब्द "अच्छा बहिनी हमार चौका बासन परा है अब चलत हैं"। आज भी याद आ जाते हैं। कु० प्रतिभा श्रीवास्तव ने ग्राम सेविका का सराहनीय अभिनय किया। सभी फैन्सी ड्रेस की छात्राओं ने इतना अच्छा अभिनय किया कि निर्णायक महोदय निर्णय करते समय गहन चिन्तन मे दिखाई दिये। कु० आशा अवस्थी को प्रथम, कु० ममता त्रिपाठी को द्वितीय तथा कु० शालिनी को ततीय परस्कार घोषित किया गया।

अब समय आया विदाई समारोह के सबसे मनोरंजक कार्यक्रम का जिसका सभी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे अर्थात उपाधियाँ वितरित करने का। बी०टी०सी० द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने प्राचार्य की उपाधि सर्वप्रथम पढ़ी जिसमें उनकी विद्वता का सही चित्रांकन था। इसके पश्चात क्रम से सभी शिक्षिकाओं की उपाधियाँ पढ़ी गयीं जिनको सुनकर यह सत्य ही प्रतीत हुआ कि छात्र ही शिक्षक का मूल्यांकन करता है। गरुजनों को ज्ञात हुआ कि छात्रायें हमारे आचार विचार को किस बारीकी से निरखती परखती हैं। जैसे-जैसे शिक्षिकाओं की उपाधियाँ समाप्ति की ओर पहुंच रही थीं। बी०टी०सी० द्वितीय वर्ष की छात्राओं की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब बारी थी उनकी उपाधियाँ पढ़ी जाने की। वैसे तो कुछ ही छात्रायें फैंसी ड्रेस में आयीं थी किन्तु अन्य सभी छात्रायें अपनी प्रतिदिन की संस्थान की एक सी वेशभूषा से उकताई हुई आज सजी संवरी फैंसी ड्रेस में आयी प्रतीत होती थीं। बी०टी०सी० प्रथम वर्ष की छात्राओं ने द्वितीय वर्ष की एक-एक छात्रा को मंच पर बुलाकर उनकी उपाधि पढ़ी। छात्राओं की उपाधियाँ उनके गुणों के सर्वथा सटीक थीं।

समारोह में सूक्ष्म जलपान का भी आयोजन किया गया था। संस्थान के एक मात्र छात्राध्यापक श्री रामदेव सिंह ने जब बिदाई गीत गाया तो शायद ही कोई ऐसा पाषाण हृदय हो जिसके नेत्र न सजल हो आये हों। अंत में प्राचार्य महोदय ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य तथा मंगलमय जीवन की शुभ कामना दी तथा उनसे अच्छी शिक्षिकायें बनने की भी अपेक्षा की जो कि देश को उत्तम नागरिकों की फसल दें।

जिन्दगी और मौत की हार–जीत

संकलन कर्त्ता-श्रीमती शारदा शरण

ग्रन्थों को भी पढ़कर,
जब मानव पशुता का व्यवहार करें।
तो जिन्दगी फिर क्यों न,
मौत का हार स्वीकार करे।
"बाइबिल" के पढ़ने से क्या होता है,
यदि मानव मानव से रार करें।
तब मरियम का ईशू रोता है,
क्यों न दिल के टुकड़े चार करें।
तो जिन्दगी क्यों न, मौत का हार स्वीकार करें।
"गीता" के पढ़ने से क्या होता है,
यदि कर्मक्षेत्र को ठुकराकर,
मानव मानवता पर प्रहार करे।
तो लगता है ऐसा कंस, कृष्ण से प्यार करे।
तो जिन्दगी क्यों न मौत का हार स्वीकार करे।
"कुरान" के पढ़ने से क्या होता है,
यदि सिया सुन्नी को मजहबी दीवार बनाकर,
मानव मानवता का कत्लेआम करे।
तो इस्लाम पड़े रोता है,
जब मानव मानव पर अत्याचार करे।
तो जिन्दगी क्यों न मौत का हार स्वीकार करे।
"रामायण" के पढ़ने से क्या होता है,
यदि बन्द नहीं अत्याचार हुआ।
तो देखो माँ सीता का राम खड़े रोता है,
जब मानव दानवता का सत्कार करे।
तो जिन्दगी क्यों न मौत का हार स्वीकार करे।
"वाहे गुरू" के कहने से क्या होता है,
यदि संत जनों के सीने पर, गोली की बौछार करे।
"गुरू नानक" की आँख भिगोता है,
जब मानव मानवता का तिरस्कार करे।
तो जिन्दगी क्यों न मौत का हार स्वीकार करे।
"संसारी" शिक्षा–दीक्षा से क्या होता है।
यदि मानव मानवता से तकरार करे।
अमृत का प्याला ठुकराकर,
खुद ही मानव विष का पान करे।
तो जिन्दगी क्यों त मौत का हार स्वीकार करे

बी० टी० सी० दोवर्षीय प्रशिक्षण में सम्मिलित छात्राध्यापिकाओं का विवरण

बी० टी० सी० प्रथम वर्ष

१- श्रीमती अल्का निगम
२- श्रीमती अर्चना कुमारी
३- श्रीमती अनुराधा देवी
४- श्रीमती आशा बाजपेई
५- श्रीमती उमा देवी
६- कु० गीता त्रिपाठी
७- कु० गुड़िया दीक्षित
८- कु० ज्योत्सना द्विवेदी
९- कु० ज्योत्सना श्रीवास्तव
१०- कु० नम्रता वर्मा
११- कु० पद्मा देवी
१२- श्रीमती प्रिम्मी कुशवाहा
१३- श्रीमती माया देवी
१४- कु० मधूलिका बाजपेई
१५- कु० मीना देवी
१६- श्रीमती राजकुमारी
१७- श्री रामदेव सिंह
१८- श्रीमती लवली सक्सेना
१९- कु० विनीता शर्मा
२०- कु० शशिप्रभा मिश्रा
२१- कु० शिप्रा शुक्ला
२२- कु० स्मिता गुप्ता
२३- श्रीमती सुमन्तराजनी
२४- कु० सुनीता सिंह
२५- कु० सुनीता दीक्षित

बी० टी० सी० द्वितीय वर्ष

१- कु० असमा मुईन जाफरी
२- कु० आशा अवस्थी
३- श्रीमती आशा देवी शुक्ला
४- कु० आशा देवी
५- कु० आशा बाजपेई
६- श्रीमती उमा देवी
७- श्रीमती ऊषा देवी
८- श्रीमती ऊषा शुक्ला
९- कु० कुसुमा देवी
१०- कु० ज्योतिमा सिंह
११- श्रीमती जमुना देवी
१२- कु० दीपा रानी
१३- श्रीमती नन्हीं देवी वर्मा
१४- श्रीमती परमावती
१५- कु० पूर्ति त्रिवेदी
१६- कु० प्रतिभा श्रीवास्तव
१७- कु० ममता त्रिपाठी
१८- कु० मधू त्रिवेदी
१९- कु० मनोरमा देवी
२०- श्रीमती मंजूकुमारी
२१- श्रीमती मंजूलता वर्मा
२२- कु० मंजूपाल
२३- श्रीमती माया चौधरी
२४- कु० रचना देवी
२५- श्रीमती रंजना कुमारी
२६- कु० रेनू सिंह
२७- कु० रेनू अवस्थी
२८- कु० ललिता पाण्डेय
२९- श्रीमती विमला देवी
३०- श्रीमती विमला यादव
३१- कु० विनीता देवी गुप्ता
३२- श्रीमती शशीकान्ती देवी
३३- श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव
३४- श्रीमती सरला कुमारी
३५- कु० सारिका त्रिपाठी

छात्रावास

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

उन्नाव